खण्ड-224, अंक-3
बुधवार, 20 वैशाख, शक संवत् 1883
(10 मई, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 224 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १० मई, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३२८

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊइल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री

गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव , श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति श्रम्वेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्तवैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थासिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पंचमराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बलदारसिंह, श्री
बलबूराम, श्री
बलबूलाल कुसुमश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री

बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भोखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसेन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रारिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद हंस, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री

रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंहचौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धा देवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सिताबदुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखबनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुगीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हबीबुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांण्डपाल, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १० मई, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कानपुर में क्षय रोग अस्पताल खोलने के लिए एकत्र धन

**१—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या कानपुर शहर व जिले की जनता ने तथा उत्तर प्रदेश क्षय निवारण संघ ने एक क्षय अस्पताल का निर्माण करने के लिये दो लाख ग्यारह हजार से ऊपर रुपया सरकार को सन् १९५६ तथा १९५७ में दिया और उसके लिये सरकार ने १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में अस्पताल के निर्माण के लिये योजना भी बनाई ? यदि हां, तो आज तक अस्पताल न बनाये जाने का क्या कारण है ?

सार्वजनिक निर्माण-उप-मंत्री (श्री धर्मसिंह)—ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन, कानपुर, उत्तर प्रदेश क्षय निवारण संघ तथा टीचर्स ऐण्ड स्टूडेन्ट्स एसोसियेशन ने कुल २,११,६६१ रुपया सरकार को लाला लाजपतराय अस्पताल कानपुर, में क्षय रोगी शय्याएं बढ़ाने के लिए दिया था ।

शासन ने शय्याओं में वृद्धि किये जाने के बजाय एक क्षय रोग अस्पताल का निर्माण अधिक उपयोगी समझा और उसके लिए योजना बनाई, परन्तु धनाभाव के कारण अस्पताल के निर्माण में विलम्ब हुआ । अस्पताल का निर्माण दिनांक २४ अप्रैल, १९६१ से आरम्भ हो गया है ।

**२—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त रुपये को सरकार ने अपने पास रक्खा है और बैंक में नहीं रखा ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं, यह रुपया सार्वजनिक निर्माण विभाग डिपाजिट्स लेखा शीर्षक के अन्तर्गत शासकीय कोष में रखा गया ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सन् ५६-५७, ५७-५८ और ५८-५९ में जो ऐस्टीमेट अस्पताल के लिये बनाया गया था वह कितना था और अब जो २४ अप्रैल, १९६१ से काम चालू हुआ है, उसका एस्टीमेट कितने का है ?

श्री धर्मसिंह—उस समय जब इस अस्पताल के बनाने की बात थी तो यही थी कि उसी अस्पताल में इसके लिये बेड्स बढ़ा दिये जायं, लेकिन जब बाद में मेडिकल कालेज बनाने के बारे में निश्चय हुआ और यह भी विचार कर कि कानपुर में टी० बी० के बेड्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बाद में यह सोचा गया कि इसके लिये सेपरेट अस्पताल बनवा दिया जाय । पहले ३०० बेड्स के लिये २१,८४,५०० रुपये का एस्टीमेट था । लेकिन उसके बाद यह सोचा गया कि ज्यादा खर्चा होगा जिसको सरकार बरदाश्त नहीं कर सकेगी । फिर १३४ बेड्स के लिये ९,१०,००० रुपये का ऐस्टीमेट बनाया गया, फिर ५२ शैयाओं के लिये ६ लाख रुपये का एस्टीमेट बनाया गया ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब किसी अस्पताल के निर्माण के लिये जनता से कोई रुपया इकट्ठा होता है तो क्या उसमें सरकार की तरफ से कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, अगर जनता की तरफ से कोई चीज दी जाती है तो उसके बारे में यह कोशिश कीजाती है कि वह काम जल्दी हो जाय । इसीलिये इसका निर्माण कराया गया ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--१९५६-५७ में जब रुपया जमा कराया गया तब क्या उसकी पहली शर्त यह थी कि एक साल के अन्दर अस्पताल का निर्माण हो जायगा ?

श्री धर्मसिंह--सबसे पहली शर्त तो यही थी लेकिन वह लाला लाजपतराय अस्पताल में ही बेड्स बढ़ाने की बात थी, लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया वहां पर मेडिकल कालेज का एक्सपेंशन करना था इसलिये उस वक्त इसको स्थगित कर दिया गया और इस बीच सोचने विचारने में समय लगा और बाद में निर्णय लिया गया कि सेपरेट अस्पताल बना दिया जाय ।

श्री ऊदल--क्या यह सही है कि मौजूदा मुख्य मंत्री उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री थे और जब वह कानपुर पधारे थे तो उन्होंने यह शर्त रखी थी कि अगर कानपुर के लोग ढाई-३ करोड़ रुपया जमा कर लें तो वहां क्षय रोग का अस्पताल बनाया जायगा ?

श्री धर्मसिंह--माननीय मुख्य मंत्री इस समय यहां नहीं हैं, लेकिन सूचना के आधार पर मैंने कहा है कि शुरू की शर्त में कुछ तब्दीली हुई और अब जो निर्णय किया गया है उसके अनुसार अस्पताल बन रहा है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब यू० पी० क्षय निवारण संघ तथा अध्यापक व विद्यार्थी संघ ने इतना रुपया जमा करके दिया और सरकार ने फिर भी इस काम को पूरा नहीं किया, तो क्या इस बीच में जब योजना बनाई जा रही थी उन लोगों से भी राय ली गई इस संबंध में ?

श्री धर्मसिंह--यह जो कुछ कार्यवाही हो रही है उसमें उनकी सलाह ली जाती है, समय-समय पर उनकी सलाह से ही योजना तैयार हुई है और अस्पताल बनने का काम शुरू हो गया है ।

यात्रा व दैनिक भत्ते संबंधी नियमों में संशोधन

३--श्री गोविन्दसिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा)--क्या वित्त मंत्री हाल में राजकीय कर्मचारियों को दिये जाने वाले यात्रा व दैनिक भत्ते संबंधी नियमों में किये गये परिवर्तनों व तत्सम्बन्धी राजाज्ञा की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे और यह बतायेंगे कि कुछ राजकर्मचारियों पर ये संशोधित नियम क्यों लागू नहीं किये गये तथा वे कौन-कौन से लोग हैं जिनको पूर्ववत् भत्ता दिया जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह--हाल में किये गये यात्रा व दैनिक भत्ते संबंधी नियमों के संशोधनों तथा तत्सम्बन्धी राजाज्ञाओं की एक एक †प्रतिलिपि प्रस्तुत है ।

यह संशोधित नियम सभी राज कर्मचारियों पर लागू हैं । मंत्रियों, विधान सभा के अध्यक्ष तथा विधान परिषद् के सभापति के व्यक्तिगत स्टाफ के विषय में यह अपवाद अवश्य है कि जब वे मंत्रियों, अध्यक्ष अथवा सभापति के साथ राज कार्य हेतु यात्रा कर रहे हों तो वे कर्मचारी जो द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने के अधिकारी हैं प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं । ऐसा अपवाद पहले भी था और मंत्रियों, अध्यक्ष व सभापति को इन कर्मचारियों से यात्राकाल में राजकार्य लेने की सुविधा देने के लिये किया गया है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास कोई ऐसे एस्टीमेट्स हैं कि इन नियमों में परिवर्तन से कितनी बचत हो सकेगी ?

श्री धर्मसिंह--यह आशा की जाती है कि इससे ३० लाख के ऊपर बचत होगी ।

---

†प्रतिलिपि छापी नहीं गई ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या यह सही है कि अक्सर मंत्रिगण समय बचाने के लिये ऐसी ट्रेन्स से सफर करते हैं कि जिनसे रात का समय सफर में सोते हुए कट जाता है ? यदि हां तो ऐसी अवस्था में जब कि छोटे कर्मचारी उनके साथ रात को सफर करते हैं तो उनको फर्स्ट क्लास देने का क्या औचित्य है ?

श्री धर्मसिंह---अगर उनका मतलब मंत्रियों के पी० एज० से है तो उनके लिये वह नहीं हो सकता क्योंकि उनको बहुत से काम करने पड़ते हैं और काम की सहूलियत के लिये ही ऐसा नियम बनाया गया है ।

विधायकों को अस्पताल में अधिक सुविधायें देने की प्रार्थना

४---श्री नत्थूसिंह** (जिला बरेली)---क्या मुख्य मंत्री अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ तारीख २६ अप्रैल, १९६१ ई० के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार विधायकों के परिवार को अस्पताल में वे सभी सुविधायें देने पर विचार करेगी जो कि मंत्रियों और उप-मंत्रियों को प्राप्त हैं ?

श्री धर्मसिंह---अभी कोई ऐसा प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री नत्थूसिंह---क्या सरकार इस प्रश्न पर भविष्य में विचार करेगी कि गजटेड अफसरों को जो सुविधायें अस्पताल में प्राप्त हैं वही विधायकों को भी प्राप्त हों ?

श्री धर्मसिंह---फिलहाल तो ऐसा विचार नहीं है, क्योंकि इस में खर्च अधिक होगा । इसके अलावा सदन ही हर चीज के लिये पैसा देता है, अगर सदन तैयार होगा तो इस चीज पर विचार हो सकेगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या सरकार बतायेगी कि इस संबंध में विधायकों में और मंत्रि परिषद् के सदस्यों में भेदभाव का कारण क्या है ?

श्री धर्मसिंह---थोड़ा बहुत भेदभाव तो स्वाभाविक है, क्योंकि वह लोग भी पहले तो विधायक ही होते हैं और उन्हीं में से कुछ लोगों को मंत्री और उपमंत्री पदों का भार उठाना पड़ता है । इन लोगों को लखनऊ में रहना पड़ता है । इसके अलावा एम० एल० एज० को अपनी कांस्टीट्यूएंसी में अधिक रहना पड़ता है केवल सेशन में ही आते हैं । तो फर्क कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है ही ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मंत्री जी बतायेंगे कि जब मंत्रियों को यह सुविधा दी गई कि उनके परिवार वालों की दवादारू का इन्तजाम किया जायगा तो उस समय यह प्रश्न भी विचाराधीन था कि विधायकों को भी पूरी सुविधा दी जायगी ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं ।

जिलाधीश अल्मोड़ा द्वारा पुलों के बनाने की सिफारिश

५---श्री गोविन्दसिंह विष्ट, श्री प्रतापसिंह, कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर), श्री ऊदल तथा श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या स्वायत्त शासन मन्त्री दिनांक १ मई, १९६१ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश अल्मोड़ा ने किन नदियों पर व किन स्थानों पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में संस्तुति की है व उसमें प्रायोरिटी (Priority) किस रूप में दी गई ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)——जी हां।

प्रायोरिटी के अनुसार पुलों की सूची इस प्रकार है :—

१——साउल नदी पर पिठौनी में,

२——कोसी नदी पर मागटोला में,

३——जैगण नदी पर वैद्य बागड़ पारखेत में,

४——पानार नदी पर रनक की सेड़ी में,

५——पानार नदी पर भुइयों का डुमोल में,

६——सकूनीगढ़ पर कपिलेश्वर में।

**६——श्री गोविन्दसिंह विष्ट, श्री प्रतापसिंह, कुंवर श्रीपालसिंह, श्री ऊदल तथा श्री हिम्मतसिंह——क्या यह सही है कि जिलाधीश द्वारा संस्तुति किये गये ६ पुलों का एस्टीमेंट प्लान व नक्शे सरकार के पास आये हैं और उन पर १,७५,१०० रुपये के करीब खर्च का ही एस्टीमेंट आया है? क्या यह भी सही है कि सचिव स्वायत्त शासन विभाग से करीब ६ महीने पूर्व पुलों के फर्म एस्टीमेट (Firm estimates) देने के बाबत पत्र लिखा गया था जिसके जवाब में जिलाधीश ने ६ पुलों की संस्तुति की है?

श्री कैलाशप्रकाश——उपर्युक्त पुलों में से एस्टीमेट सभी के आ गये हैं, परन्तु प्लान क्रमांक ४ व ५ पर दिये हुए पुलों के नहीं आये हैं।

यह भी सत्य है कि सचिव स्वायत्त शासन ने जिलाधीश अल्मोड़ा को इस आशय का पत्र अक्तूबर, १९६० में लिखा था।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट——मंत्री जी बतायेंगे कि जो यह एस्टीमेट्स आये हैं क्या यह सही है कि १,७५,१०० रु० के एस्टीमेट ६ पुलों के आये तो और उस पर शासन ने वहां १,७५,००० रु० भेज दिया है?

श्री कैलाशप्रकाश——यह बात तो सही है कि इन पुलों का एस्टीमेट १,७५,००० रुपये के करीब आया है और यह भी बात सही है कि १,७५,००० रुपये का अनुदान अल्मोड़ा को जिला अन्तरिम परिषद् को दिया गया है। लेकिन यह बात सही नहीं है कि क्योंकि एस्टीमेट यह आया है इसलिये १,७५,००० रुपये अनुदान दिया गया है। १,७५,००० रुपये पहले दे दिया गया था उसके बाद जिलाधीश ने यह चीज भेजी है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट——मंत्री जी ने यह पता लगाया है कि यह एस्टीमेट पहले आ गये थे और एस्टीमेट की चूंकि सेक्रेटेरियट में फाइल मिलती नहीं इसलिये दूसरी सर्टिफाइड कापी खुद मैंने जाकर मय प्लानों के मंत्री जी व सचिव को दी थी?

श्री कैलाशप्रकाश——यह तो माननीय सदस्य की व्यक्तिगत जानकारी है। मैं तो पत्रावली की जो जानकारी मुझको है वह बता रहा हूं। हो सकता है पहले एस्टीमेट आया हो और जैसा माननीय सदस्य कहते हैं वह यहां उपलब्ध न हो पाये हों। तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है।

श्री प्रतापसिंह——१,७५,००० रु० जैसा उन्होंने कहा जिला अंतरिम परिषद् को भेज दिया, तो किस निर्देश के साथ भेजा गया? कितने पुल बनने चाहिए, जो प्रायरिटीज दी गई हैं उनके लिये भेजा गया या सारे जिले के लिये भेजा गया?

श्री कैलाशप्रकाश——कुछ अंतरिम जिला परिषदों को और स्थानीय निकायों को विशेष अनुदान दिया जाता है। जिला अल्मोड़ा की अंतरिम जिला परिषद् को एक विशेष

अनुदान दिया गया है । उसमें यह लिख दिया गया था कि किन पुलों या किन सड़कों के लिये इस्तेमाल होगा यह बाद में निर्धारित कर दिया जायगा । जो अनुदान दिया जाता है उसकी एक शर्त यह रहती है कि जितना रुपया दिया जाय उतना ही स्थानीय निकाय अपनी ओर से अपने फंड से भी लगावे ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--मंत्री जी को ज्ञात है कि २२ मार्च, १९६० को उनकी इसी कुर्सी पर बैठने वाले भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री ने इस सदन में यह चैलेन्ज किया था कि लोग कहते हैं कि रुपया नहीं देते हैं, सरकार के पास पुलों के लिये रुपया है, तो उसी दिन यह अर्जियां लगायीं, उस पर एस्टीमेट बने, जितना रुपया यहां से भेजा गया उतने के ही एस्टीमेट थे ? क्या यह भी सही है कि चूंकि कुछ और लोग वहां से आये हैं इसलिये पोलिटिकल रीजन्स से पुल बदलने के लिये बात कही जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं । यह तो मैंने पत्रावली देखी नहीं जो माननीय सदस्य कह रहे हैं । शासन के पास सभी जगहों से मांगे आती रहती हैं । और जगहों से भी मांगे आयी हैं । माननीय गोविन्दसिंह बिष्ट जी ने भी भेजी और लोगों ने भी भेजी हैं कि यहां पर भी पुल होना चाहिये ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब १ लाख ७५ हजार का एस्टीमेट आया था और सरकार ने उतना अनुदान जिला परिषद् को दे दिया लेकिन इतनी ही ग्रांट से इन सभी पुलों का बनवाना सम्भव नहीं है तो सरकार इनमें से एक, दो जो नितान्त आवश्यक पुल हैं उनको बनवाने का आदेश जिला परिषद् को देगी और अगर अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता हो तो वह भी देने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां, जिला परिषद् को यह लिखा गया है । यह जो प्रायोरिटी बना कर भेजी है इसमें जिला अन्तरिम परिषद् की कार्यकारिणी की प्रायोरिटी है या नहीं, इस समयक्योंकि यह सूचना मुझको प्राप्त नहीं है । दूसरी बात उनको यह लिखी गयी है कि १लाख ७५ हजार रुपया जो यहां से मिला है और कायदे के मुताबिक १ लाख ७५ हजार रुपया जो उनको अपने फंड से लगाना है उसमें कितना रुपया वह लगा सकते हैं । तीसरी बात यह भी लिखी गयी है कि यदि अन्तरिम जिला परिषद् अपने फंड से इतना रुपया नहीं लगा सकता है तो क्या कोई स्थान ऐसा है कि जहां पुल बनने की मांग हो और वहां के लोग कुछ रुपया दे सकते हों ।

श्री ऊदल--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि शासन की यह नीति है कि पहाड़ी जिलों में वहां के जिला परिषद् या और संस्थाओं को रुपया देने के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है ?

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन्, मेरी जानकारी तो ऐसी ही है कि है, बाकी माननीय सदस्य यह कहते हैं तो मैं फिर से इस बात को देख लूंगा ।

श्री हिम्मतसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब वहां से १ लाख ७५ हजार रुपये का एस्टीमेट आया तो पूरा रुपया क्यों दिया गया, उसका आधा क्यों नहीं दिया गया जबकि मंत्री जी ने जैसा बताया कि नियम यह है कि आधा रुपया जिला अन्तरिम परिषद् लगायेगा ?

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन्, यह भी बात मेरी कुछ सही नहीं समझी गयी । १ लाख ७५ हजार रुपया उनको विशेष अनुदान दिया और उसके साथ एक यह शर्त रहती है । यह मैं अपनी जानकारी की बात बता रहा हूं । उसके साथ ही क्योंकि पहाड़ी जिलों की कठिनायी और मांग काफी रहती है इसलिये जब विशेष अनुदान का प्रश्न आया तो उनको इतना रुपया दे दिया गया और यह लिख दिया गया कि इसमें क्या-क्या चीज बनेगी, यह बाद में निर्धारित किया जायगा ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस बात की फिर से छानबीन करेंगे कि जैसा कि उन्होंने कहा कि जनता का कोई आदमी रुपया दे दे तो पुल बन सकता है, यह कंट्री-ब्यूशन का सिद्धान्त प्लानिंग विभाग का है और स्वायत्त शासन विभाग हमेशा पुल और सड़कें अपनी तरफ से बनवाता है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप सुझाव दे रहे हैं ।

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, सुझाव नहीं दे रहा हूं। मैं तो यह पूछ रहा हूं कि कंट्री-ब्यूशन का नियम स्वायत्त शासन विभाग का है या प्लानिंग विभाग का है ?

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, यह नियम की बात नहीं है। जैसा कि मैंने अभी स्पष्ट किया यहां से साधारणतया एक अनुदान दिया जाता है और उतना ही रुपया उस स्थानीय निकाय को खर्च करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों की एक विशेष स्थिति होती है कि वहां वे उतना रुपया खर्चा करने में कभी-कभी अपनी असमर्थता दिखलाते हैं और जब वे असमर्थता दिखलाते हैं तब इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि उन को कोई छूट हो जाय। यह जो मैंने निवेदन किया कि स्थानीय निकाय अगर अपने फंड से उतना रुपया दे सकें तो बिल्कुल ठीक बात है। अगर उतना रुपया न दे सकें तो कहीं और दूसरी जगह से उनको रुपया मिल जाता हो तो उसे दें बनी कोई वैसी बात नहीं है और वह कोई खास नियम की भी बात नहीं है कि उतना ही रुपया वह अन्तरिम जिला परिषद् को अनुदान स्वरूप दे दे और वह उसको खर्च कर दे। यह तो जाहिर बात है कि जितना रुपया यहां से दिया जाता है और जितना लोकल साधनों से एकत्र किया जा सकता हो उसको एकत्र करके अधिक से अधिक काम कराया जाय ।

ऋषिकेश में ऐन्टीबायोटिक्स फैक्टरी खुलने से गंगा-जल पर प्रभाव

**७---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ऋषिकेश में कोई ऐसी फैक्टरी खुलने जा रही है जिससे गंगाजल के अपवित्र हो जाने की आशंका है ?

सूचना उप मंत्री (श्री रऊफ जाफरी)---राज्य सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप ऋषिकेश में केन्द्रीय सरकार एक Antibiotics Factory लगाने जा रही है, परन्तु इससे गंगाजल के अपवित्र हो जाने की आशंका नहीं है ।

**८---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---अगर हां, तो सरकार उसे रोकने के लिये क्या कर रही है ?

श्री रऊफ जाफरी---प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार ने इस बात का समाधान किस जरिये से किया कि गंगाजल अपवित्र नहीं होगा ?

श्री रऊफ जाफरी---वहां जो कारखाना बनेगा उसी के साथ एफलुयेन्ट प्लान्ट को ट्रीट करने के लिये एक प्लान्ट अलग लगेगा और जिससे नाइट्रोजन के कांटेन्ट्स निकाल दिये जायंगे और उससे फर्टिलाइजर बनाया जायगा और जो पानी शुद्ध होगा वह नदी में चला जायगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह कम्पनी पब्लिक सेक्टर की है या प्राइवेट सेक्टर की ? अगर प्राइवेट सैक्टर की है, तो क्या उसमें बिड़ला ब्रदर्स भी शामिल हैं ?

श्री रऊफ जाफरी---पब्लिक सेक्टर की ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस पब्लिक सैक्टर की कम्पनी के अलावा क्या कोई कम्पनी बिड़ला ब्रदर्स खोल रहे हैं जिसकी वजह से गंगाजल अपवित्र होगा ?

श्री रऊफ जाफरी---मुझे नहीं मालूम ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो फैक्टरी खुलने जा रही है वह द्वितीय योजना की है या तृतीय योजना की ?

श्री रऊफ जाफरी---यह फैक्टरी तो इसी योजनाकाल में बनेगी ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या सरकार इस बात को सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित करा देगी कि गंगाजी में अपवित्र को पवित्र करने की क्षमता अब भी बाकी है ?

(उत्तर नहीं दिया गया ।)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन, नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१-२---**श्री प्रतापसिंह**---[१३वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३-५---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---[१३ वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

शिकारगढ़-बरदाना-बरघपुर सड़क] का निर्माण

*६---**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार दिनांक ३१ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७७ के उत्तर के क्रम में कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के फरेंदा बरडाड़ पवह सड़क को पुल सहित बनाने की योजना में जो सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है अब तक क्या-क्या कार्य बनने के लिये बाकी रह गया है और कौन से कार्य हो चुके हैं ?

श्री धर्मसिंह---जो सड़क सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी उसका नाम शिकारगढ़ बरदाना-बरघपुर है । इस सड़क के एक मील में सी० सी० ट्रैक का निर्माण स्वीकृत किया गया था । सड़क के चार फर्लांग में मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है । शेष कार्य स्थगित कर दिया गया है ।

श्री गौरीराम गुप्त---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एक मील लम्बी सीमेंट कांकरीट ट्रैक रोड और पुल कब स्वीकृत हुये थे और ३१ मार्च, १९५९ के बाद क्या-क्या कार्य हुये ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक सड़क का संबंध है वह १९५७ में स्वीकृत हुई थी और पुल का निर्माण कार्य १९५८ में टेक अप हुआ था । सड़क के बारे में यह है कि मिट्टी का कार्य चार फर्लांग हो चुका है और कांकरीट लेइंग के लिये कंकड़ इकट्ठा हो चुका है । सीमेंट कांकरीट लेइंग के लिये डेढ़ गज स्टोन बैलेन्स १०० प्रतिशत हो गया है और सीमेंट कांकरीट लेइंग के लिये सीमेंट १०० प्रतिशत हो गया है ।

श्री गौरीराम गुप्त---इस पुल के लिये क्या-क्या कार्य अब तक हुये ?

श्री धर्मसिंह---किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न ।]

*१---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया ।]

चाइना पीक को अधिक आकर्षक बनाने पर विचार

*२---श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---चाइना पीक (नैनीताल) पर कैन्टीन के सम्बन्ध में २-८-६० के तारांकित प्रश्न संख्या १ व ३ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह चाइना पीक पर पीने के शुद्ध पानी की निःशुल्क व्यवस्था कर रही है ?

वन मन्त्री (श्री अलगूराय शास्त्री)---जी नहीं ।

*३---श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)---क्या सरकार गिरवर तक जाने के मार्ग को अधिक सुविधाजनक बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री अलगूराय शास्त्री---जी नहीं ।

*४---श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)---क्या उक्त शिखर के जिस स्थान पर झंडा लगाने का पोल तथा बैठने के लिये बेंचों का प्रबन्ध किया गया है उसे पुनः दुरुस्त कराकर अधिक आकर्षक बनाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री अलगूराय शास्त्री---इस प्रश्न पर सम्भवतः यू० पी० टूरिस्ट कौन्सिल द्वारा विचार किया जायेगा, जिसकी बैठक जून अथवा जुलाई, १९६१ में होगी ।

भीमापार की वन विभाग में निहित भूमि

*५---श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील के ग्राम तेतरी बाजार व भीमापार में कितनी-कितनी जमीन प्रत्येक गांव में वन विभाग की है ?

श्री अलगूराय शास्त्री---ग्राम तेतरी बाजार में वन विभाग की कोई भूमि नहीं है । ग्राम भीमापार में १६३ एकड़ जमीन वन विभाग की है ।

*६---श्री मथुराप्रसाद पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त दोनों गांवों में जो जमीन बन विभाग की है उसे वन विभाग ने कब लिया है और किस प्रकार लिया है ?

श्री अलगूराय शास्त्री---ग्राम तेतरी बाजार के बारे में यह प्रश्न नहीं उठता । ग्राम भीमापार में उक्त १६३ एकड़ जमीन जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप वन विभाग में निहित हुई और इस जमीन को वन विभाग ने राजस्व अधिकारियों से १९५३ में लिया ।

*७---श्री मथुराप्रसाद पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त दोनों गांवों जो जमीन वन विभाग की है उसमें कितने-कितने दरख्त प्रत्येक गांव की जमीन में लगाये गये हैं और उस पर सरकार का कितना रुपया व्यय हुआ है ?

श्री अलगूराय शास्त्री---कोई भी वनरोपण कार्य नहीं किया गया । अतः कुछ भी व्यय नहीं हुआ ।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मौजा भीमापार में जो १६३ एकड़ भूमि राजस्व विभाग से वन विभाग को मिली वह किस प्रकार की भूमि थी ?

श्री अलगूराय शास्त्री—वह भूमि जमींदारी उन्मूलन के बाद जो जमींदारों का वन था उस किस्म की थी और इसमें निहित हो गई ।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस १६३ एकड़ जमीन में कोई पेड़ मौजूद नहीं है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जमीनें जो ऊसर लैंड, बंजर और कुछ वन इस तरह की थीं वह निहित हुई हैं, तो यह जमीन जो है उसी तरह से ऊसर, बंजर किस्म की है, उसमें बहुत पेड़ नहीं हैं ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि बस्ती के इस हिस्से में बहुत बाढ़ आती है या तो उस पर वन लगाने की कोशिश करेंगे या अगर वन नहीं लगाते तो वहां के लोगों के पास भूमि बहुत कम है, इसलिये वहां के लोगों को वह भूमि एलाट करने की सिफारिश करेंगे ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जो राष्ट्रीय नीति है वन विभाग की उसे कई बार मैं कह चुका हूं । वन की बहुत कमी है, इसलिये ऐसी जमीनों के बारे में यह झंझट आज जगह-जगह चला आ रहा है कि कृषि के लिये लोग उसे लेना चाहते हैं, एन्क्रोच करते हैं और उस पर काफी विवाद है । लेकिन एक बार नहीं कई बार यह घोषित किया जा चुका है कि वन के नीचे जमीन अधिक लाने की आवश्यकता है, उस नीति का कड़ाई के साथ पालन होगा और यह कृषि के लिये नहीं दी जा सकती ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १६३ एकड़ जमीन जो वन विभाग में निहित की गई उसमें मौके पर एक पेड़ भी नहीं था, लेकिन कागज में वन लिखा हुआ था ?

श्री अलगूराय शास्त्री—मैंने कहा कि केवल वन ही नहीं बल्कि ऊसर बंजर जमीन भी ऐसी निहित हुई, तो सम्भव है कि पेड़ उसमें न हों, लेकिन फिर भी वह उसी के अन्तर्गत आती है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, उन्होंने कहा कि सरकार कड़ाई के साथ वन लगाने की नीति को लागू करना चाहती है, तो क्या कड़ाई की नीति का नतीजा यही है कि नौ साल में अब तक सरकार ने एक भी पेड़ लगाने का प्रयत्न नहीं किया है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—सरकार बहुत जगह वन लगा रही है और बहुत प्लान्टेशन हुआ है । माननीय सदस्य देखकर अनुभव करेंगे और उस क्रम को जारी रखा जा रहा है । काम उस दिशा में जारी है और जारी रहेगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या यह सही है कि उस जगह पर पेड़ इसलिये नहीं थे कि वहां वन लगाने का शिलान्यास किया गया था, वन तो बाद में लगाये जायेंगे ?

श्री अलगूराय शास्त्री—प्रश्न कोई बहुत गम्भीरता से नहीं पूछा गया है । उत्तर अनावश्यक है । मगर मैं कह सकता हूं कि शिलान्यास कोई वहां नहीं हुआ ।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की सूचना मान करके इसकी जांच करायेंगे कि मौजा भीमापार में जो भी लेखपाल के कागजात हैं उसमें एक इंच भी जमीन वन विभाग की नहीं है ? मैं इन्तखाब लाया हूं ।

श्री अलगूराय शास्त्री——श्रीमन्, यह जमींदारी उन्मूलन के पहले जो जमींदारी के वन थे उनका और जो इस तरह की भूमि थी, उस का प्रबन्ध उन्होंने कर रखा था, तो उस तरह से नाम कागजात में चले आ रहे हैं और यही विवाद का कारण है कि जहां एन्करोचमेंट हो रहा है वहां वह क्लेम करने वाले एक तरफ खड़े हो रहे हैं और वन विभाग दूसरी तरफ। मुकदमे होते हैं और फैसले होते हैं। उन फैसलों के मुताबिक कार्यवाही हो रही है।

खटीमा तहसील से माफी लकड़ी के लिए प्रार्थना-पत्र

*८—श्री प्रतापसिंह——क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल की तहसील खटीमा में रेंज कार्यालय में १ नवम्बर, १९६० से आज तक कितने प्रार्थना-पत्र माफी के लिये आये और उनमें कितने थारू काश्तकारों के थे ?

श्री अलगूराय शास्त्री——आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

*९—श्री प्रतापसिंह——क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त लोगों में से कितनों को आज तक माफी दी गई ?

श्री अलगूराय शास्त्री——आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री प्रतापसिंह——क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १५-४-६१ को यह सवाल दिये गये थे और यह प्रश्न एक तहसील, एक रेंज और एक जिले से सम्बन्धित है तो आज इतने समय तक सूचना एकत्रित न होने में सरकार को क्या दिक्कत पड़ रही है ?

श्री अलगूराय शास्त्री——श्रीमन, कठिनाई और कोई विशेष नहीं है। कठिनाई प्रश्न के शुरू में ही पैदा हो गई। उसमें पूछा गया था कि थारू काश्तकारों के कितने प्रार्थना पत्र माफी के लिये आये। उसमें सिर्फ गांव की संख्या तो उपलब्ध है मगर कितने थारू हैं यह सूचना अभी मंगानी है। इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसलिये विलम्ब हुआ और कोई कारण नहीं है।

श्री प्रतापसिंह——क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि १ नवम्बर, १९६० से कितने काश्तकारों की अर्जी आईं और कितनों को माफी मिली ?

श्री अलगूराय शास्त्री——उसमें करीब १०० गांव थे जहां से अर्जियां आईं। वह डिटेल हमारे पास है कि उनको कितनी लकड़ी और किस किस्म की मिलनी चाहिये, लेकिन जो प्रश्न थारू का है अभी उस सम्बन्ध में जानकारी करना बाकी है। उस सम्बन्ध में पहले कुछ कहना लोक हित में उचित नहीं होगा।

श्री प्रतापसिंह——मेरी सूचना को सही मानते हुये क्या सरकार बतायेगी कि वहां के काश्तकार चाहे थारू हों या कोई भी काश्तकार हो उनको माफी दिसम्बर के महीने में मिल जानी चाहिये थी वह आज तक नहीं मिली है, वे वैसे ही बैकवर्ड हैं ? यदि हां, तो सरकार ऐसी कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द उनको लकड़ी वगैरह मिल जाय ?

श्री अलगूराय शास्त्री——जैसा मैंने निवेदन किया हमारे मित्र प्रतापसिंह जी जरा धीरज से काम लें तो उनको सारी सूचना मिल जायगी।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)——क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस प्रश्न में जिस माफी की दरख्वास्त का जिक्र है वह किस प्रकार की माफी है, लगान की माफी है या थमरिया, थनिया की माफी है ? किस प्रकार की माफी का प्रश्न है ?

श्री अलगूराय शास्त्री——मैं कह चुका हूं कि यह सब सूचना एकत्र की जा रही है।

झांसी जिले में सरकारी जंगलों से किसानों को सुविधायें

*१०—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में सरकारी जंगलों से किसानों को खेती के हल, बखर, रहट आदि तथा मकान बनाने और जलाऊ लकड़ी और (खेतों के घेरने को) बारी करने के लिये जार (कांटा) आदि लेने की क्या-क्या सुविधायें हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री—झांसी जिले में दो प्रकार के वन हैं, पुराने "रक्षित" वन और दूसरे हाल में वन विभाग में निहित हुए "निजी" वन। पुराने रक्षित वनों से दर्ज शुदा हकूक जैसे जानवरों की चराई, खेती बाड़ी तथा घरेलू काम के लिये लकड़ी आदि की सुविधायें आमतौर पर दी जा रही हैं। इन पुराने रक्षित वनों से कांटेदार झाड़ियों को काटने का हक दर्ज नहीं है।

वन विभाग में निहित हुए निजी वनों में अभी बन्दोबस्त का काम जारी है जिसके द्वारा हक हकूकों को तय तथा निर्धारित किया जाता है। जब तक वन बन्दोबस्त अधिकारी हक-हकूकों को तय नहीं करते उस समय तक समीप के गांव वालों को निम्नलिखित सुविधायें दी जा रही हैं :—

(१) बिना मूल्य चराई।
(२) बिना मूल्य गिरा पड़ा ईंधन सिर बोझा द्वारा इकठ्ठा करना।
(३) बिना मूल्य के महुआ के फूल तथा फलों का उपयोग।
(४) बिना मूल्य के छाने की घास का उपयोग।
(५) लकड़ी के छोटे टुकड़े तथा (कांटेदार झांड़ियों का शेड्यूल्ड (sheduled) दरों पर घरेलू कामों के लिये उपयोग, बशर्ते कि इनको ले जाने से बनों को क्षति न पहुंचे।

*११—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जमींदारी समाप्ति के बाद १९५२ से परती के जो जंगल व जमींन गांव सभाओं से वन विभाग ने लिये हैं उनमें किसानों को वे सभी सुविधायें प्राप्त हैं जो उन्हें पहले प्राप्त थीं ? यदि हां, तो वे मुख्य-मुख्य सुविधायें क्या हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री—झांसी जिले में सन् १९५२ से १९६० तक वन विभाग ने केवल एक एकड़ भूमि अटैच्ड (attached) आफिसर्स क्वार्टर तथा फारेस्ट गार्ड चौकी बनाने के लिये गांव समाज से लिया है। अन्य कोई भूमि गांव समाज से नहीं ली गई। इस-लिये प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

शामली-मेरठ सड़क पर बड़ौत के निकट पुल बनाने की प्रार्थना

*१२—**आचार्य दीपंकर** (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि शामली जिला मुजफ्फरनगर से लांख गांव होते हुये मेरठ जाने वाली सड़क पर का बड़ौत के पास का सार्वजनिक महत्व का पुल पिछले दो वर्षों से टूटा हुआ है तथा यातायात में बड़ी कठिनाई हो रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—जी हां। परन्तु यातायात में उसके कारण कोई अधिक कठिनाई नहीं हो रही है।

*१३—**आचार्य दीपंकर** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि इस स्थान पर एक व्यक्ति ने अनधिकृत अस्थायी पुल बना रखा है और जनता से नाजायज टैक्स वसूल किया जाता है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं। कबड़ौत ग्राम पंचायत ने फेरी पट्टे पर दे रक्खी है। पट्टेदार ही फेरी की देखभाल करता है और टैक्स वसूल करता है।

*१४--आचार्य दीपंकर (अनुपस्थित)---यदि हां, तो क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री वहां सरकारी पुल बनवाने का विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक यह पुल बन जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग---जी नहीं ।

द्वितीय भाग---प्रश्न नहीं उठता ।

नौगढ़ तथा बांसी तहसीलों में वन विभाग की भूमि

*१५--**श्री मथुराप्रसाद पांडेय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की नौगढ़ तथा बांसी तहसील में सरकार द्वारा रक्षित वनों की भूमि का क्षेत्रफल क्या है तथा कौन-कौन से वनों में वृक्ष लगे हुये हैं और कौन-कौन से वन बिना पेड़ के हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री--बस्ती जिले के नौगढ़ तथा बांसी तहसील में वन विभाग के पास लगभग ७,२१९.४६ एकड़ वन भूमि है। जिस वन भूमि पर जंगल खड़े हैं तथा जो भूमि बिना जंगल अथवा पेड़ के हैं उनका ब्योरा संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २६५-२६६ पर)

*१६--**श्री मथुराप्रसाद पांडेय**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त तहसीलों में जमींदारी विनाश के पहले वन विभाग के पास कितने वन थे तथा उनका क्षेत्रफल क्या था और इस समय कितने हैं तथा उनका क्षेत्रफल क्या है ?

श्री अलगूराय शास्त्री--जमींदारी उन्मूलन के पहले वन विभाग के पास कोई भूमि उक्त तहसीलों में नहीं थी। इस समय वन विभाग के पास इन तहसीलों में ७,२१९.४६ एकड़ भूमि है।

*१७--**श्री मथुराप्रसाद पांडेय**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त तहसीलों के वनों में कितनी जमीन कृषि योग्य है और क्या सरकार कृषि योग्य भूमि को भूमिहीन किसानों को देने का विचार कर रही है ?

श्री अलगूराय शास्त्री--इन तहसीलों में वन विभाग के पास कोई कृषि योग्य भूमि नहीं है। इस कारण भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो वन विभाग की ७,२१९.४६ एकड़ जमीन है उसमें कितनी जमीन पर पेड़ लगे हुये हैं और कितनी जमीन बगैर पेड़ के है ?

श्री अलगूराय शास्त्री---इसमें कुल ७,२१९.४६ एकड़ भूमि जंगल की है जिसमें ३,००६ एकड़ जंगल है और ऊसर है २,१७९.९६ एकड़, और जिसमें घास वगैरह पैदा होती है उसका एरिया है २,०३३.५० एकड़। इस सब का टोटल है ७,२१९.४६ एकड़।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सूची में जो भोमापार की १६३ एकड़ भूमि वन विभाग की है वह जमींदारी उन्मूलन के पहले से ही काश्तकारों के कब्जे में है और उन्हीं का नाम उस पर लिखा है ?

श्री अलगूराय शास्त्री---मैं यह सूचना हासिल कर के बतला सकता हूं, अभी नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि लगभग ४,००० एकड़ भूमि जो बिना पेड़ों के पड़ी हुई है उस पर सरकार की ओर से वन लगाने के प्रयास इसलिये नहीं किये गये कि वह केवल कागज पर ही सरकार के पास है, वस्तुतः उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया है ?

श्री अलगूराय शास्त्री---ऐसी बात नहीं है

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--माननीय मंत्री जो घबड़ा रहे हैं, उनको शायद मालूम नहीं है कि सही बात क्या है।

श्री अध्यक्ष--वह सूचना मांग रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या यह सही है कि यह ४,००० एकड़ भूमि जब से ली गयी है, १९५३ से, तब से सरकार ने उस पर एक पेड़ भी नहीं लगाया? यदि हां, तो क्या सरकार ने अपनी कोई योजना बनायी है कि जिसके अनुसार बस्ती जिले में वन नहीं लगाये जायंगे?

श्री अलगूराय शास्त्री--ऐसी कोई योजना नहीं है कि वहां वन नहीं लगाये जायेंगे। वहां वन जरूर लगाये जायंगे।

श्री प्रतापसिंह--जब माननीय मंत्री जी मानते हैं कि भूमिहीनों की समस्या हल करना भी वन विभाग का कर्त्तव्य है तो क्या वन विभाग अपनी नीति में परिवर्तन करेगा और जहां सरकार जंगल नहीं लगा सकती उस जमीन को भूमिहीनों को एलाट करने की इजाजत देगा?

श्री अलगूराय शास्त्री--अगर सरकार इस नतीजे पर पहुंच जाती है कि वह वहां वन नहीं लगा सकती तो उसको छोड़ देगी, लेकिन वहां वन लग सकते हैं और वन लगाये जायेंगे इस निश्चय से उसको रोक रखा है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--जब किसी जमीन में वन लगाने का इरादा हो तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि दो, तीन, पांच साल में उसमें कार्य अवश्य आरम्भ कर दिया जायगा?

श्री अलगूराय शास्त्री--यह बहुत सुन्दर सुझाव है। इस दिशा में अवश्य प्रयत्न किया जायगा।

श्री गेंदासिंह--जिस समय जमीन वन विभाग के लिये ली गयी थी उस समय क्या कोई कार्यक्रम बना था कि कितने वर्षों बाद इसमें पेड़ लायंये जायगे? क्या कोई टार्गेट था कि इसमें पेड़ कब लगाये जायंगे?

श्री अध्यक्ष--जब उन्होंने उस सुझाव को अच्छा कह दिया तो यह आगे के लिये है, पीछे के लिये नहीं।

श्री ऊदल--जैसा मथुराप्रसाद जी ने बतलाया कि भीमापार में १६३ एकड़ काश्तकारों के कब्जे में है, उसी प्रकार बस्ती जिले में भी बहुत सी जमीन काश्तकारों के पास है। क्या मंत्री जी उसकी जांच कराकर उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री अलगूराय शास्त्री--मैंने निवेदन किया कि इस किस्म के एन्क्रोचमेंट जगह-जगह हो रहे हैं और यह मामले अदालत में जाते हैं। उनके सामने दोनों पक्षों की ओर से गवाहियां पेश होती हैं और उनका निर्णय माना जाता है। यही तरीका इसमें बरता जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में जो कई हजार एकड़ जमीन पड़ी हुई है और जहां अभी तक कोई पेड़ नहीं लगाया जा सका, तो वे कौन से कारण हैं जिनके कारण वह भूमि काश्तकारों को नहीं दी जा सकी?

श्री अलगूराय शास्त्री--और कोई कारण नहीं है, किन्तु वह जमीन तो वन विभाग में आ चुकी है, अब जो लोग गलत तरीके से कब्जा चाहते हैं, उसको लेना चाहते हैं, वह नहीं हो सकता।

भूमिसंरक्षण तथा बाढ़ रोकने के लिए वन लगाने की योजना

*१८--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नदियों के कटाव को रोकने के लिये प्रदेश की किन-किन नदियों के किनारे वन लगाये जाने की योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर विचाराधीन है ?

श्री अलगूराय शास्त्री---भूमि संरक्षण तथा बाढ़ आदि के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से वन लगाने का कुछ कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हुआ है और यह कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भी किया जायगा, पर नदियों के किनारे वन लगाने की कोई विशेष योजना अभी तक नहीं बनाई गई है।

श्री उग्रसेन---घाघरा नदी से जो कटाव होता है, माननीय मंत्री जी के जिले से गोरखपुर, बस्ती, देवरिया आदि में, उसको रोकने के लिये क्या कोई वन लगाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अलगूराय शास्त्री---अभी तो कोई ऐसी व्यापक योजना नहीं बनाई गयी है, मगर जो फ्लड कंट्रोल बोर्ड तथा कन्जर्वेशन आफ स्वाइल बोर्ड हैं वे इस दिशा में प्रयत्नशील हैं और जब वे कोई योजना बनावेंगे और हमसे वन लगाने के लिये कोई सहयोग चाहेंगे तो हम उसको करेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भूमि संरक्षण हेतु, बाढ़ से उसको बचाने के लिये, जो कार्य किये गये थे वह कहां-कहां हुये और उनमें कितना धन व्यय हुआ?

श्री अलगूराय शास्त्री---इस दिशा में कुछ काम तो इटावा जिले में जमुना के प्रवाह से नष्ट होने वाली जमीन को बचाने के लिये हुआ, कुछ बेतवा आदि नदियों से जालौन, झांसी, हमीरपुर आदि में जो नुकसान होता है उससे बचाव के लिये काम हुआ और उससे काफी जमीन की रक्षा हुई है। बात यह है कि नदियों के किनारे भूमि आसानी से नहीं मिल पाती और इस कारण वहां यह काम नहीं हो पाता है। लेकिन जहां यह सुविधा उपलब्ध होती है, वहां यह कार्य किया जाता है। वन विभाग के पास जितना पैसा होता है उसके अनुसार कार्य किया जाता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके पास फ्लड कमेटी ने और स्वाइल कन्जर्वेशन विभाग की तरफ से नदियों के किनारे वन लगाने के संबंध में कोई प्रस्ताव आया था किन्तु वह कार्यान्वित नहीं हो सका ?

श्री अलगूराय शास्त्री---इस संबंध में सूचना मंगानी पड़ेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किस जिले में उनकी क्या योजना है ?

श्री अलगूराय शास्त्री---इसकी जानकारी मंगानी पड़ेगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि कटाव को रोकने के लिये उनके पास कोई निश्चित योजना वन विभाग की तरफ से मंजूर करके तैयार की गई है या नहीं ?

श्री अलगूराय शास्त्री---श्रीमन्, जैसा मैंने बताया उन्हीं योजनाओं के अनुसार यमुना और बेतवा के कटाव को रोकने के लिये काम हो रहा है और वही योजनायें, और वही तरीके नदियों के कटाव को रोकने के लिये, जैसे-जैसे साधन उपलब्ध होंगे और सुविधा मिलेगी, और जगह भी प्रयोग में आयेंगे।

[१० मई, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री मदन पांडेय—[२७ अप्रैल, १९६१ को प्रश्न १ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*२-३—श्री मदन पांडेय—[४ मई, १९६१ को प्रश्न २-३ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

विद्युत् विभाग में ड्राफ्टमैन के पद पर उन्नति

*४—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विद्युत विभाग में ट्रेसर व असिस्टेंट ड्राफ्टमैन पदोन्नत होकर जो ड्राफ्टमैन बनाये जाते थे उनको अब इस प्रकार पदोन्नति न देने के कौन-कौन से कारण हैं?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—जो असिस्टेंट ड्राफ्टमैन तथा ट्रेसर आवश्यक शिक्षा व टैक्निकल योग्यता रखते हैं उनको ड्राफ्टमैन के पद के लिये पदोन्नत किये जाने में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ड्राफ्टमैन बनने के लिये टैक्निकल योग्यता और आवश्यक शिक्षा कहां तक होनी चाहिये?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—ड्राफ्टमैन के लिये लड़के रुड़की यूनिवरसिटी और गवर्नमेंट आर्ट ऐंड क्राफ्ट स्कूल से पास करते हैं। पहले क्वालीफाइड ड्राफ्टमैन ज्यादा नहीं मिलते थे इसलिये हमारे यहां दो ग्रेड रख दिये गये थे, एक क्वालीफाइड के लिये और दूसरा अनक्वालीफाइड के लिये। लेकिन अब और भी बहुत से इंस्टीट्यूशन्स खुल गये हैं जो यह शिक्षा देते हैं और काफी ड्राफ्टमन मिलन लग ह इसलिय अनक्वालीफाइड ड्राफ्टमैन से काम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती ।

यमुना पर मावी ग्राम के निकट पुल बनाने का आयोजन

*५—आचार्य दीपंकर (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या मेरठ और मुजफ्फरनगर के बीच में पूर्वी पंजाब से यू० पी० का संबंध जोड़ने के लिये यमुना नदी पर पुल के निर्माण का प्रश्न लगभग एक वर्ष से सरकार के विचाराधीन है?

श्री गिरधारीलाल—जी हां।

*६—आचार्य दीपंकर (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह पल किस स्थान पर और कब से बनना प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—पंजाब की ओर पानीपत तथा उत्तर प्रदेश की ओर कैराना (जिला मुजफ्फरनगर) के बीच मावी ग्राम के समीप।

द्वितीय भाग—कार्य आरम्भ होने में अभी कुछ समय लगेगा।

*७-८—श्री प्रतापसिंह—[तेरहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*९-१०—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—[तेरहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों का इतिहास लिखने के लिए समिति

*११—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने हिन्दुस्तान की आजादी के लिये सन् २० से लड़ने वाले सैनिकों का जिलेवार इतिहास लिखने के लिये उपमंत्री सूचना विभाग की अध्यक्षता में अभी हाल ही में कोई कमेटी नियुक्त की है? यदि हां, तो कब और उसके कौन-कौन सदस्य हैं?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां।

कमेटी की नियुक्ति २२ फरवरी, १९६१ को हुई है। अध्यक्ष के अतिरिक्त इसके सदस्य हैं:

(१) श्री मलखानसिंह, एम० एल० ए०,
(२) श्री नवल किशोर, एम० एल० ए०,
(३) श्री गेंदासिंह, एम० एल० ए०,
(४) राजा राघवेंद्रप्रतापसिंह, एम० एल० ए०।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसी उद्देश्य से जो पहले एक कमेटी मुकर्रर की गई थी जिसने ४० जिलों की रिपोर्टें तैयार की थीं उनकी रिपोर्टें मान ली गई हैं या रद्द कर दी गई हैं?

श्री रऊफ जाफरी—जो सूचना पहले इकट्ठा हुई है उसको काम में लाया जायगा और यह कमेटी उसको देखकर इतिहास तैयार करने की कोशिश करेगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि जब यह कमेटी पहले से बनी थी और ४० जिलों की रिपोर्टें उसके पास आ चुकी थीं तो फिर दोबारा कमेटी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी?

श्री रऊफ जाफरी—उस कमेटी ने पूरी सूचना ४० जिलों की इकट्ठा कर ली हो, ऐसा नहीं हुआ। कुछ मुख्तलिफ तरीकों पर मुख्तलिफ जगहों से कुछ सूचना इकट्ठा हुई है जो अब काम में आयेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को कुछ ऐसे पत्र प्राप्त हुये हैं जिनमें सुझाव दिया गया है, कि विस्तृत सूचना प्राप्त करने के हेतु इस प्रदेश के सभी दलों के प्रतिनिधि इस कमेटी में लिये जायं ताकि सही मानों में कमेटी में प्रतिनिधित्व हो सके?

श्री रऊफ जाफरी—यह तो मुझे इस वक्त मालूम नहीं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के पास ऐसे पत्र आये हैं, लेकिन मैं माननीय सदस्यों को यह बतला देना चाहता हूं कि जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज यहां हैं उनका सहयोग लेने की कोशिश की जा रही है। चुनान्चे १३ मार्च को इस हाउस में जितने लीडर्स हैं उन सबों की एक मीटिंग बुलाई गई, उसमें कुछ आये और कुछ नहीं आये। अब जो सर्कुलर जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि जिले में जो कमेटियां बनेंगी उसमें पार्लियामेंट या प्रदेश के लेजिस्लेचर के सदस्य रहें और जितनी भी पोलीटिकल पार्टीज एलेक्शन कमीशन की तरफ से रिकग्नाइज्ड हैं उनके प्रेसीडेंट या सेक्रेटरी भी उसके मेम्बर होंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश के स्तर पर उन्होंने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी में इस सदन के कई दलों के प्रतिनिधि क्यों नहीं लिये गये?

श्री रऊफ जाफरी—जैसे कि मैंने नाम पढ़े, उसमें कई दलों के लीडर उस वक्त नहीं लिये गये थे लेकिन १३ तारीख को जो मीटिंग बुलाई गयी थी उसका मकसद यह भी था कि जो लोग हों उनको शामिल कर लिया जाय, यह कमेटी उसी में उनको कोआप्ट कर लेती।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस कमेटी में क्या उन लोगों को भी रखा जा रहा है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई नहीं लड़ी?

श्री रऊफ जाफरी—लड़ाई लड़ने वालों की कमेटी नहीं बनी है बल्कि जो लड़ाई लड़ने वाले थे उनका हाल इकट्ठा करने के लिये बनी है, इसलिये जिसको भी वाकफियत हो, चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम में रहा हो या न रहा हो, वह मेम्बर हो सकता है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सत्य है कि ४० जिलों में कमेटी के सदस्यों के नाम अंतिम रूप से निश्चित हो गये कि ये लोग कमेटी में रहेंगे और इस बात की सूचना सरकार की तरफ से इस विधान सभा की आश्वासन समिति को दे दी गई थी?

श्री रऊफ जाफरी—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कमेटी के सदस्यों के नामांकन का क्या आधार रखा गया है और उन लोगों को इस कमेटी में क्यों शामिल नहीं किया गया है जो सन् २० और उसके पहले से राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं?

श्री रऊफ जाफरी—मैंने जैसा कि पहले बतला दिया, इस कमेटी में सबको शामिल करने की नीयत है, बुलाये भी गये थे सब लोग, और यह कि सन् २० से जो रहे हैं उनको न लिया जाय यह भी नहीं है बल्कि यह है कि जो लोग उसमें वक्त दे सकें उनके कोआपरेशन को वेलकम किया जायगा।

श्री उग्रसेन—क्या सरकार बतायेगी कि अब सभी राजनीतिक दलों के एक-एक प्रतिनिधि को राज्य स्तर पर जो कमेटी है उसमें ले लिया जाय, इसमें उनको क्या एतराज है?

श्री रऊफ जाफरी—कोई भी एतराज नहीं है, यकीनन ले लिये जायेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो कमेटी बनी है उसमें अधिक से अधिक कितने सदस्य रखने का विचार है?

श्री रऊफ जाफरी—बहुत बड़ी कमेटी तो बनाने की नीयत नहीं है लेकिन इतनी गुंजायश तो है कि कम से कम हर दल का एक-एक, दो-दो आदमी उसमें हो सके।

विद्युत् इंजीनियर्स का काम तथा लखनऊ के देहाती क्षेत्र को बिजली

*१२—**श्री प्रतापसिंह**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् योजनाओं पर सिविल कार्य तो सिंचाई के इंजीनियर करते हैं और लाइनों तथा सब-स्टेशन इत्यादि का इरेक्शन ठेके पर फर्म कर रही है, तो विद्युत् के इंजीनियर्स क्या करते हैं?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—विद्युत् के इंजीनियर ठेकेदारों के काम की देखभाल करते हैं इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट बनाते हैं, टेन्डर मांगते हैं तथा स्पेसीफिकेशन बनाते हैं। जहां ठेके पर काम की आवश्यकता नहीं होती वहां वह स्वयं काम भी करते हैं। सिविल कार्य भी ठेकेदारों द्वारा सिविल इंजीनियरों की देख-रेख में होते हैं।

*१३—**श्री प्रतापसिंह**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के देहाती क्षेत्र की आबादी के कितने प्रतिशत लोगों को विद्युत् शक्ति उपलब्ध है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--लखनऊ के देहाती क्षेत्र में यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी ने २९३ कनेक्शंस और यू० पी० स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने १० कनेक्शंस दिये हैं। लखनऊ जिले के देहाती क्षेत्र की आबादी ६,७५,६३० है। इससे प्रत्यक्ष है कि देहाती आबादी के बहुत ही कम लोगों को विद्युत् शक्ति उपलब्ध है।

श्री प्रतापसिंह--मंत्री जी ने अभी कहा कि जहां ठेके पर काम की आवश्यकता नहीं होती वहां वह स्वयं काम करते हैं, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब विद्युत योजना पर सिविल इंजीनियर काम करते हैं तो इलेक्ट्रिक इंजीनियर क्या काम करते हैं?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--सिविल इंजीनियर जो हैं वह सिविल का काम करते हैं जैसे बांध वगैरह बनाने का, लेकिन जहां बिजली की लाइन का काम होता है या टरबाइन लगाना पड़ता है, तो वह काम बिजली के इंजीनियर कराते हैं. क्योंकि वह स्पेशल काम है, सिविल इंजीनियर उसे नहीं कर सकते।

श्री प्रतापसिंह--माननीय मन्त्री जी ने कहा कि लखनऊ के देहातों को बहुत ही कम बिजली दी जाती है, तो इसका कारण क्या यह है कि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी है उसके पास बहुत ही कम बिजली है और शर्तनामे के अन्दर यह शर्त है कि १० मील के भीतर कोई दूसरा आदमी बिजली नहीं दे सकता है, क्या यह सही है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--दोनों बातें सही हैं। उनके पास बिजली की भी कमी है और इस कारण नहीं दे सकते। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास भी बिजली की कमी है।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी सब गांवों में सब लोगों को बिजली मिल सके इसके लिये वह बतायेंगे कि क्या योजना है और क्या इस शर्त को वह हटाने जा रहे हैं?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--हम अपनी बिजली कम्पनी को बढ़ाने जा रहे हैं और यह भी प्रयत्न कर रहे हैं कि हम और बिजली प्राप्त कर सकें तो इस बिजली कम्पनी को दे दें जिससे वह बिजली लोगों को पहुंचा सके।

*१४-१६--**श्री गरीबदास** (जिला जालौन)--[तेरहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१७-१८--**श्री कैलाशनारायण गुप्त** (जिला इलाहाबाद)--[तेरहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१९-२०--**श्री नागेश्वरप्रसाद** (जिला जौनपुर)--[तेरहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२१--**श्री तेजासिंह** (जिला मेरठ)--[तेरहवें बुधवार के लिये स्थगित प्रश्न २० के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*२२-२४--**श्री बादामसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)--[तेरहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२५--**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)--[तेरहवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*२६-२७--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--[११ मई, १९६१ के लिये प्रश्न ९४-९५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२८-३०--**श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा** (जिला कानपुर)--[तेरहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३१--श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)--[हटा दिया गया।]

*३२--श्री रणबहादुरसिंह--[तेरहवें बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

बिलरियागंज-रौनापार सड़क पक्की करने की प्रार्थना

*३३--श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले में बिलरियागंज-रौनापार सड़क को पक्की कराने की योजना कई वर्षों से सरकार के विचाराधीन रही है ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं।

*३४--श्री मुक्तिनाथराय--क्या यह सही है कि तृतीय योजना में भी इस सड़क को पक्की कराने की कोई योजना नहीं है और इस सड़क की उपयोगिता के बारे में जिलाधीश आजमगढ़ या आयुक्त गोरखपुर डिवीजन का कोई पत्र सरकार के पास गत तीन-चार माह के अन्दर प्राप्त हुआ है ?

श्री धर्मसिंह--प्रथम भाग--जी हां।

द्वितीय भाग--जी नहीं।

*३५--श्री मुक्तिनाथराय--यदि हां, तो सरकार इस सड़क की उपयोगिता को देखते हुए इसके निर्माण की क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री धर्मसिंह--प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिलरियागंज-रौनापार सड़क को पुख्ता करने और निर्माण की आवश्यकताओं के बारे में इधर सरकार का ध्यान दिलाया गया ? यदि हां, तो सरकार इसके निर्माण की व्यवस्था करेगी ?

श्री धर्मसिंह--ध्यान तो अवश्य दिलाया गया है, लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो अंतरिम जिला परिषद् ने सिफारिशें की थीं उसमें इस सड़क की तीसरी प्रायोरिटी थी, इसलिए उसको लेना संभव नहीं हो सका, धन की कमी के कारण।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए आजमगढ़ अन्तरिम जिला परिषद् ने प्राथमिकता किस सड़क को दी और उसके ऊपर काम कब से शुरू होने जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह--यह जो घोसी-मुहम्मदाबाद सड़क है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी और इस पर अभी काम शुरू ही होगा, क्योंकि यह तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या यह सही है कि १९५७ में सरकार द्वारा इसी सदन में बताया गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में धनाभाव के कारण यह सड़क निर्मित नहीं हो सकी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये सन् १९५८ में बताया गया था कि धन उपलब्ध नहीं है। १९५९ में इसलिये निर्माण-कार्य नहीं हो सकता है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में धन मिलेगा तो निर्माण-कार्य किया जायगा, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा क्यों है ?

श्री धर्मसिंह--उस वक्त क्या कहा गया था, इस वक्त मेरे पास सूचना नहीं है, लेकिन सड़क को न लेने का कारण यह है कि एक तो इसको प्रायोरिटी नहीं हो सकी, दूसरे इसके लिए धन की कमी है इस वजह से इसको नहीं लिया जा सका।

श्री झारखंडेराय---घोसी-मुहम्मदाबाद सड़क पर काम कब से शुरू होगा ? थर्ड प्लान के पहले चरण में या दूसरे चरण में ?

श्री गिरधारीलाल---अभी नहीं कहा जा सकता। जिस वक्त किसी वर्ष में बजट यहां पर पास हो जायगा तब उसके काम की शुरुआत की जायगी।

श्री झारखंडेराय---माननीय मंत्री जी यह जानते हुए कि यह बिलरियागंज--रोनापार सड़क जहां पर खत्म होती है यह आजमगढ़ जिले का घाघरा के दियारा का आखिरी हिस्सा है और बहुत बैकवर्ड एरिया है और अक्सर बाढ़ में डूब जाता है, तो इस सड़क पर विशेष रूप से विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---फिलहाल तो, जैसा मैंने निवेदन किया, उसके लिए धन की कमी है और धन उपलब्ध न होने की वजह से निर्णय नहीं लिया जा सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर कितने मील सड़क बनाने की योजना है और इस सड़क के कितने मील बनेंगे ?

श्री धर्मसिंह---केवल १३ मील---की प्रायोरिटी दी गयी है जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ली जायगी।

अन्तरिम जिला परिषद्, बरेली द्वारा सड़कें बनाने की सिफारिश

*३६---**श्री नत्थूसिंह** (जिला बरेली) **तथा श्री बाबूराम** (जिला बरेली)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली में वह तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितनी-कितनी और कौन-कौन-सी सड़कें कच्ची व पक्की बनाने वाले हैं ?

श्री गिरधारीलाल---तृतीय पंचवर्षीय योजना में बरेली जिले में केवल आंवला-सिरौली सड़क (८ मील) के निर्माण का प्रस्ताव है।

*३७---**श्री नत्थूसिंह तथा श्री बाबूराम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अन्तरिम परिषद् ने कौन-कौन-सी कच्ची व पक्की सड़कें बनाने की सिफारिश की है ?

श्री गिरधारीलाल---अन्तरिम जिला परिषद् बरेली द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना में पक्की सड़कें निर्माण हेतु सिफारिश की गई सड़कों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २०७ पर)

*३८---**श्री नत्थूसिंह तथा श्री बाबूराम**---[तेरहवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*३९-४०---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---[हटा दिये गये।]

*४१-४३---**श्री प्रतापभानप्रकाशसिंह** (जिला सीतापुर)---[तेरहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

आय-कर, बिक्री-कर संघ, मथुरा का आवेदन-पत्र

*४४---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या फरवरी-मार्च, १९६१ में सरकार के पास मथुरा के बिक्री-कर, आय-कर व मिलों के एसोसिएशन का कोई आवेदन-पत्र बिक्रीकर के १९४९ के (अस्थायी) नियमों में प्रभावित संशोधनों के बारे में आया है ?

नोट:---तारांकित प्रश्न ३५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--जी हां।

*४५--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार उस आवेदन-पत्र की एक प्रतिलिपि सदन को मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--आय-कर, बिक्री-कर सलाहकार संघ, मथुरा द्वारा इस सम्बन्ध में भेजे गये आवेदन-पत्र दिनांक २४ मार्च, १९६१ को प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २६८-२६९ पर)

*४६--श्री बालकराम--[तेरहवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*४७--श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--[तेरहवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

देवरिया-तमकोही सड़क बढ़ाने की योजना

*४८--श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या सार्वजनिक निर्माण-मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि राजमार्ग संख्या २८ को कसया जिला देवरिया से आगे बढ़ाने का काम कब से प्रारम्भ होगा तथा उसके निर्माण में अनुमानित व्यय कितना होगा ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--राष्ट्रीय मार्ग संख्या २८ कसया, जिला देवरिया से तमकोही तक पहले ही से बना हुआ है। तमकोही से आगे प्रदेश की सीमा तक बढ़ाने के कार्य के आगणन पर केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर यह कार्य आरम्भ किया जायगा।

द्वितीय भाग--लगभग १४.७३ लाख।

*४९-५०--श्री गोविन्दसिंह विष्ट, आचार्य दीपंकर तथा कुंवर श्रीपालसिंह--[तेरहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

सिकन्दरपुर-कुतुबगंज घाट सड़क पक्की करने की प्रार्थना

*५१--श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)--क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिले के अन्तर्गत सिकन्दरपुर से कुतुबगंज घाट तक ४ मील सड़क पी० डब्लू० डी० द्वारा पक्की कराने के लिये क्षेत्रीय विधायक द्वारा एक प्रार्थना-पत्र १९५९-६० में जिला अधिकारी तथा सरकार को प्राप्त हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां।

सरकार को एक पत्र फरवरी, १९५९ में प्राप्त हुआ था।

*५२--श्री जगन्नाथ चौधरी--यदि हां, तो क्या सरकार इसे जनता के हित में अत्यावश्यक समझ कर तीसरी पंचवर्षीय योजना में पक्का करा देने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं।

*५३-५५--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--[तेरहवें बुधवार के के लिये प्रश्न २१-२३ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

अल्प-बचत योजनान्तर्गत जमा धन

*५६--श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत १९६०-६१ में अल्प-बचत योजना के अन्तर्गत प्रदेश में माहवार कितना पया जमा हुआ और माहवार अल्पबचत योजना से कितना वापस किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह--वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत जमा की गई तथा उसमें से निकाली गई धनराशि का ब्योरा निम्न प्रकार है :---

मास	धनराशि जो	
	जमा हुई	निकाली गई
	(हज़ार रुपयों में)	
अप्रैल, १९६०	३,९९,६१	३,९३,२३
मई, १९६०	३,७८,६३	३,८०,४०
जून, १९६०	४,०९,३६	३,१५,७२
जुलाई, १९६०	३,५१,८५	२,३९,७२
अगस्त, १९६०	४,६३,९९	३,०८,०१
सितम्बर, १९६०	४,३०,५२	२,८४,९६
अक्टूबर, १९६०	३,६२,८८	३,०५,७८
नवम्बर, १९६०	३,७५,३०	३,२१,४४
दिसम्बर, १९६०	४,१८,६३	३,२१,८०
जनवरी, १९६१	३,८३,९८	२,९०,७६
फरवरी, १९६१	३,६८.०४	२,८२,०९
मार्च, १९६१	५,८२,७९	३,७५,१५
योग ..	४९,२५,५८	३८,१९,०६

*५७--**श्री नत्थाराम रावत** (जिला बाराबंकी)---[तेरहवें बुधवार के लिये प्रश्न २४ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

शाहजहांपुर इलेक्ट्रिक कम्पनी द्वारा बोनस तथा उपभोक्ताओं को लाभांश का वितरण

*५८--**श्री देवनारायण भारतीय** तथा **श्री रामस्वरूप वर्मा**---क्या सरकार बिजली कम्पनियों से प्राप्त लेखों के बारे में ५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८-१९ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेगी कि "शाहजहांपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, शाहजहांपुर" ने ३० सितम्बर, १९५८ तक अपने लेखे में जो १,१०२ रुपये का लाभ दिखलाया है उसको सरकारी आदेश होने पर उपभोक्ताओं में बांट दिया गया नहीं? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---कानून के मुताबिक इस रुपये का एक तिहाई हिस्सा कम्पनी रख सकती है, एक तिहाई टैरिफ़ और डिविडेन्ड कन्ट्रोल में डालना पड़ेगा और एक तिहाई उपभोक्ताओं को वापस करना होता है। वापस होने वाली रक़म में से हर उपभोक्ता को कितना मिलना है, इसका हिसाब लगाया जा रहा है और हिसाब बन जाने पर रक़म बांट दी जायेगी।

*५९—**श्री देवनारायण भारतीय** तथा **श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५५ से १९६० तक उक्त कम्पनी ने प्रतिवर्ष अपने कर्मचारियों को कोई बोनस दिया है या नहीं ? यदि हां, तो प्रति वर्ष कितना-कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—शाहजहांपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी ने सन् १९५५ से सन् १९६० तक निम्नलिखित बोनस अपने कर्मचारियों को दिया है :—

		रु०
अक्तूबर, १९५४ से सितम्बर, १९५५ तक	.. ..	२,८२६
अक्तूबर, १९५५ से मार्च, १९५७ तक	.. ..	४,१७८
वित्तीय वर्ष १९५७–५८	.. .. ..	५,१२५
वित्तीय वर्ष १९५८–५९	.. .. ..	७,७९६
वित्तीय वर्ष १९५९–६०	.. .. ..	५,४३३

*६०—**श्री देवनारायण भारतीय** तथा **श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या सरकार को यह विदित है कि बोनस न मिलने के कारण आजकल इस कम्पनी के मजदूर फैक्टरी गेट पर गत दो महीनों से नित्य प्रदर्शन कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वहां की मजदूर यूनियन ने १९५९–६० संबंधी एक महीने का अतिरिक्त (additional) बोनस पाने के लिये फैक्ट्री गेट पर प्रदर्शन किया था, लेकिन २३–४–६१ को कम्पनी और यूनियन के बीच इस मामले में जिलाधीश द्वारा आरबीट्रेशन कराने पर समझौता हो गया है तथा प्रदर्शन बन्द हो गया है ।

*६१—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—[हटा दिया गया ।]

*६२–६३—**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)—[तेरहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*६४–६५—**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)—[तेरहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*६६—**श्री जगपतिसिंह** (जिला बांदा)—[तेरहवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*६७—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—[तेरहवें बुधवार के लिये प्रश्न २५ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

औरैया को बिजली देने की प्रार्थना

*६८—**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा के अन्तर्गत औरैया नगर में बिजली के लिये पुखरायां जिला कानपुर से कनेक्शन देना स्वीकार कर लिया गया है और उस पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

*६९—**श्री भजनलाल**—यदि हां, तो कितने समय तक यह बिजली का कनेक्शन मिलेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—औरैया नगर का विद्युतीकरण औरैया वाटर एवं इलेक्ट्रिक सप्लाई कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड द्वारा किया जा चुका है, अतः पुखरायां जिला कानपुर कनेक्शन देने का प्रश्न नहीं उठता ।

*७०—श्री गोविन्दसिंह विष्ट तथा श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—[चौदहवें गुरुवार के लिये प्रश्न ४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किय गया।]

लखनऊ में बिक्री-कर-अधिकारी सम्मेलन पर व्यय

*७१—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार को ऐसी सूचना है कि दिल्ली सरकार ने हाल में किसी एक ऐसे दल को गिरफ्तार किया है जो उत्तर प्रदेश तथा दूसरे राज्यों में सेल्स टैक्स से व्यापारियों को बचाने में सहायता करता था ?

श्री हरगोविन्दसिंह—सरकार को ऐसे किसी दल की गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है।

*७२—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या यह सही है कि लखनऊ में अप्रैल, १९६१ के प्रारम्भ में बिक्री-कर अधिकारियों का कोई सम्मेलन हुआ था ? यदि हां, तो उस पर सरकार को कुल कितना व्यय करना पड़ा ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां। लगभग ५,६५८ रुपये इस सम्मेलन पर खर्च होने की संभावना है।

*७३-७४—श्री गौरीराम गुप्त तथा श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला-सीतापुर)—[तेरहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*७५—श्री गनेशचन्द्र काछी—[तेरहवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*७६—स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)—[तेरहवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*७७—श्री नारायणदत्त तिवारी—[तेरहवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

झांसी जिले में वन विभाग की भूमि

*७८—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में १९५२ में जिले की कितनी प्रतिशत भूमि में और कुल कितने एकड़ भूमि में प्रत्येक तहसील में अलग-अलग सरकारी वन था और १९६० में कितने एकड़ में था ?

श्री अलगूराय शास्त्री—आवश्यक सूचना संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २७० पर)

*७९—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में १९५२ से १९६० तक कितने एकड़ जंगल व परती जमीन किन-किन गांव सभाओं से वन विभाग ने कितनी-कितनी भूमि अपने अधिकार में ली और किस काम के लिये ?

श्री अलगूराय शास्त्री—वन विभाग ने केवल ग्राम समाज अम्बानाथ की एक एकड़ जमीन आफिसर क्वार्टर एवं फारेस्ट गार्ड चौकी के निर्माण के लिये ली है।

गोंडा जिले में वन क्षेत्र के निकट किसानों को रिआयती मूल्य पर लकड़ी न मिलने की शिकायत

*८०—श्री दशरथप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में वन क्षेत्र के निकट रहने वाले किसानों को रियायती मूल्य पर लकड़ी देना बन्द कर दिया गया है जो सदा से मिल रही थी ?

श्री अलगूराय शास्त्री——वनों के समीप रहने वाले गांव वालों को जिन के हकूक पहले से निर्धारित हैं उनको लकड़ी का रियायती दर से देना न बन्द किया गया है, और न उनमें कोई कमी की गई है ।

*८१—**श्री दशरथप्रसाद**——क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि वन क्षेत्र के किसान तथा अग्नि पीड़ितों के लिये मकान बनाने हेतु लकड़ी की क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री अलगूराय शास्त्री——वनों के निकट बसे हुये गांव वालों को इमारती तथा जलाने की लकड़ी उनके दर्ज शुदा हकूकों के अनुसार दी जाती है। अग्नि पीड़ितों को मकान बनाने के लिये लकड़ी की व्यवस्था जिलाधीशों द्वारा की जाती है ।

कोआपरेटिव आडिट आर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों में वृद्धि

*८२—**श्री रामहेतसिंह** (जिला मथुरा)——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सहकारिता आन्दोलन के विस्तार के कारण कोआपरेटिव आडिट आर्गनाइजेशन के कर्मचारी वर्ग में कितनी वृद्धि की गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह——कुल ७२१ कर्मचारियों की वृद्धि हुई थी ।

चन्दनपुर के किसानों की वन न लगाने की शिकायत

*८३—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मार्च, १९६१ में ग्राम चन्दनपुर, जिला बदायूं में हुई एक किसान सभा में सिंचाई मंत्री से किसानों ने यह शिकायत की थी कि उनके ग्राम के निकट की बहुत सी जमीन १०–१२ वर्ष पहले वन विभाग ने घना वन लगाने के लिये ली थी परन्तु आज तक उस जमीन में कोई पेड़ नहीं लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किसानों की उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अलगूराय शास्त्री——सूचना एकत्र की जा रही है ।

फर्रुखाबाद जिले में नवीन सड़कों का निर्माण

*८४—**श्री होरीलाल यादव**——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत फर्रुखाबाद जिले में कितने मील नई सड़कें बनने वाली थीं और उनमें से कितने मील सड़क बन कर तैयार हो चुकी हैं ?

श्री गिरधारीलाल——३४ १/२ मील नई सड़कें बनने वाली थीं और उनमें से १६ १/२ मील बन कर तैयार हो चुकी हैं ।

बिजली कम्पनियों पर सरकारी ऋण

*८५—**श्री ऊदल**——क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय प्रदेश की किन-किन बिजली कम्पनियों पर सरकार का कितना-कितना रुपया कर्ज के रूप में है और वह कितने सद की दर से दिया गया है ? क्या उक्त रुपया देते वक्त कोई समझौता भी उन कम्पनियों से हुआ था ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——जिन-जिन बिजली सप्लाई कम्पनियों पर सरकार का रुपया कर्जे के रूप में बाकी है उनका, तथा सूद की दरों का विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है । कर्ज देने के समय उक्त कम्पनियों से समझौता हुआ था । समझौते की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं :

(१) ऋण बिजली सप्लाई कम्पनी के विकास कार्यों में खर्च किया जायगा ।

(२) कम्पनियों के स्थायी उपकरण (immovable assets) जिनका मूल्य ऋण के सवाये से कम न होगा, जमानत के तौर पर सरकार के साथ गिरवी रखे जायेंगे ।

(३) उक्त ऋणों के लौटाने की किश्तें नियुक्त हैं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २७१ पर)

रिहन्द योजना की विभिन्न मदों पर व्यय

*८६—**श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि रिहन्द योजना की निम्नांकित मदों पर प्रारम्भ में कितने व्यय का अनुमान था :

(क) सिविल कार्यों तथा बांध पर,

(ख) जेनरेशन प्लांट एवं टरबाइन पर,

(ग) ट्रांसमिशन लाइन पर ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रिहन्द बांध के प्रारम्भिक एस्टीमेट में जो १९४७ में सरकार ने स्वीकार किया था, ट्रांसमिशन लाइनों तथा सब-स्टेशनों की कीमत शामिल नहीं थी । दी हुई मदों पर व्यय का निम्नांकित अनुमान किया गया था :

	लाख रुपये
(क) बांध तथा सिविल कार्यों पर (कुल व्यय)	१,२१६.१८
(ख) जेनरेटिंग प्लान्ट, टरबाइन, आउट-डोर सब-स्टेशनों तथा अन्य संबंधित कार्यों सहित (कुल व्यय)	४०८.९४
(ग) कुछ नहीं	
योग ..	१,६२५.१२

*८७—**श्री प्रतापसिंह**—[चौदहवें गुरुवार के लिये प्रश्न ११६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

राज्य में हरिजन रजिस्ट्रेशन क्लर्क्स

*८८—**श्री सोहनलाल धुसिया** (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश भर में इस समय रजिस्ट्रेशन विभाग में कुल कितने क्लर्क्स हैं और उनमें हरिजनों की संख्या कितनी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—इस समय प्रान्त में ३१८ रजिस्ट्रेशन क्लर्क्स हैं जिनमें २६ हरिजन हैं ।

राजकीय औद्योगिक हरिजन प्रशिक्षण केन्द्र, नैनीताल के छात्रावास बनने में विलम्ब तथा बख्शी का तालाब केन्द्र में बिजली न होना

*८९—**श्री बादामसिंह**—क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि हरिजन कल्याण विभाग द्वारा राजकीय औद्योगिक हरिजन प्रशिक्षण केन्द्र नैनीताल के छात्रावास हेतु ६ वर्ष से रुपया सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया हुआ है ? यदि हां, तो आज तक छात्रावास निर्माण न करने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——जी हां, छात्रावास के निर्माण में देरी होने के कारणों के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग से सूचना मांगी गई है ।

*९०—**श्री बादामसिंह**——क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन कल्याण विभाग द्वारा गत १ वर्ष से राजकीय औद्योगिक हरिजन प्रशिक्षण केन्द्र बख्शी का तालाब में बिजली लगाने हेतु रुपया दे रखा है किन्तु आज तक बिजली नहीं लगाई गई, इसका क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——जी हां, बिजली सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लगाई जायगी तथा उन्हें दो टेन्डर प्राप्त हुये थे परन्तु एक ने जमानत नहीं दी तथा दूसरे का पिछला कार्य संतोष-जनक नहीं था, अतएव उपयुक्त अधिकारियों से आदेश लेकर टेन्डर फिर से मांगे जायेंगे ।

खन्नौत नदी पर सिधौली का पुल

*९१—**श्री कमलेशचन्द्र**——(जिला शाहजहांपुर) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिधौली पर बनाये जाने वाले पुल का एक खंभा टेढ़ा हो गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल——प्रथम भाग——इस पुल का कोई खम्भा टेढ़ा नहीं हुआ है किन्तु गलाते समय एक कुंआ कुछ टेढ़ा हो गया था, जो कि गलाई से ही सीधा कर दिया गया है ।

द्वितीय भाग——कुएं गलाते समय अक्सर ऐसा हो जाता है और गलाई से ही उन्हें सीधा किया जाता है ।

कमसपुर ग्राम में नटों व कंजरों को बसाने की योजना

*९२—**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)——क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम कमसपुर, गोंडा में नटों एवं कंजरों के ३० परिवारों को बसाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो अब तक इस योजना में कितनी प्रगति हो चुकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——जी हां, सूचना एकत्र की जा रही है ।

*९३—**श्री गंगाप्रसाद**——क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना के संबंध में कितनी एकड़ जमीन प्रति परिवार को दी जायगी और अब तक इस संबंध में कितनी जमीन उनके बसाने के संबंध में ली जा चुकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——सूचना एकत्र की जा रही है ।

बंगरा-रजपुरा सड़क बनाने तथा नरौल घाट पर स्टीमर रखने की प्रार्थना

*९४—**श्री गरीबदास**——क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जिला जालौन के डाकू-ग्रस्त क्षेत्र की एक मात्र सड़क बंगरा से रजपुरा के निर्माण-कार्य को वह वर्षा के पूर्व निश्चित रूप से पूर्ण करा देगी ?

श्री गिरधारीलाल——सम्भव नहीं है ।

*९५—**श्री गरीबदास**——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन का डाकुओं से त्रस्त मध्य प्रदेश से मिला हुआ भाग जो रामपुरा थाने के अन्तर्गत पहूज नदी के दूसरी पार पड़ता है उसकी वर्षा काल में डाकुओं से सुरक्षा और आवागमन का संबंध स्थापित रखने के लिये वह निनावली या नरौल घाट पर स्टीमर अथवा मोटर बोट रखने की व्यवस्था करेगी ?

श्री गिरधारीलाल——जी नहीं ।

चकलवंशी-संडीला सड़क पर सई नदी के पुल का निर्माण व्यय

*९६---श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में चकलवंशी-संडीला रोड पर जो सई नदी पर पुल बनेगा उस पर कितना खर्च होगा तथा इसका ठेका निर्माण हेतु किसे दिया गया है तथा कार्य कब से आरम्भ हो जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग---३,५०,००० रुपये ।

द्वितीय भाग---किसी भी ठेकेदार का टेन्डर अभी स्वीकृत नहीं किया गया है ।

तृतीय भाग---यदि टेन्डर स्वीकृत हो गया तो नवम्बर, १९६१ से कार्य प्रारम्भ करने की आशा है ।

बदायूं तहसील में सिंचाई के लिए बिजली न मिलना

*९७---श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं तहसील बदायूं में १९६० में किसानों के सिंचाई के कुओं पर बिजली की लाइनें लग जाने के बाद भी किन-किन गांवों के किसानों को अब तक बिजली नहीं मिली और क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस प्रकार का केवल एक मामला गांव भुरेसी का है। चूंकि उपभोक्ता ने completion certificate नहीं दिया, अतः उसे कनेक्शन नहीं दिया जा सका।

अतारांकित प्रश्न

निर्माण विभाग की तृतीय पंचवर्षीय योजना

१---श्री गोविन्दसिंह विष्ट तथा श्री राजेन्द्रसिंह---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निर्माण विभाग की तृतीय पंचवर्षीय योजना की एक प्रति सदन में रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल---योजना की एक प्रति† सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है।

हरिजन कल्याण के केन्द्रीय अनुदान का शेष धन

२---श्री सोहनलाल धुसिया तथा श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)---क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा हरिजन कल्याण की मद में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित धनराशि में से अभी कितना रुपया शेष है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---३४,१४,६६२ रु० शेष है ।

प्रश्नों से सम्बन्धित पत्रादि मन्त्रियों के कमरों में उपलब्ध रखने के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---कल एक प्रश्न के बारे में श्रीमान् ने कहा था कि जो नक्शा या काग़ज़ात देखने हों वे सूचना देकर मंत्री जी के यहां जाकर देख लें। कल हमने सूचना भी दी लेकिन काग़ज़ात उपलब्ध नहीं हो सके। यह आवश्यक है कि हम पहले काग़ज देखकर फिर प्रश्न करें। उसी दिन देखने को मिल जावें, ऐसी कोई व्यवस्था करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष---संबंधित मंत्री जो कल मौजूद थे वह आज नहीं हैं। लेकिन उपनेता सदन मौजूद हैं। उनकी ओर से यह बात सब मंत्रियों को मालूम हो जानी चाहिये कि अगर वह यह उत्तर दें कि काग़ज़ात उनके दफ्तर में देख लिये जावें तो उन्हें चाहिये कि जिस दिन यह उत्तर दिया जाय उसी दिन अपने कार्यालय में वह काग़ज़ात मंगा लें ताकि यदि माननीय सदस्य देखना चाहें तो प्रश्नों के पहले देखने को चले जावें। उनको आधा घंटा पहले कार्यालय में आ जाना

---

† प्रति छापी नहीं गई ।

चाहिये। नहीं तो ऐसा उत्तर नहीं देना चाहिये। कल श्री रामस्वरूप वर्मा मंत्री जी के कमरे में गये तो उन्होंने कह दिया कि दफ्तर से मंगाना पड़ेगा। यह बात जरूर है कि अगर उस दिन नहीं दे सकते हैं तो उन्हें चाहिये कि अपने प्रश्नों को दूसरे दिन के लिये पोस्पोन करा लें।

प्रश्नों के स्थगन पर आपत्ति

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—प्रश्नों के सम्बन्ध में मुझे भी निवेदन करना है कि प्रश्नों का स्थगित किया जाना आवश्यक तो कभी-कभी है, लेकिन यह नियम नहीं हो जाना चाहिये। अब तो प्रश्नों का उत्तर देना बन्द सा हो गया है। रोज ही पचासों प्रश्न स्थगित होते हैं। आप सरकार से कोई उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि कुछ दिनों से ऐसी हालत अवश्य हो रही है। उसका कारण मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि बहुत से माननीय मंत्री यहां उपस्थित नहीं रहते हैं। अगर कोई मंत्री बीमार इत्यादि हों, जैसे गृह मंत्री हैं, तो बात दूसरी है वरना जब प्रश्न एक बार स्वीकार हो गया उसे बाद में स्थगित कराने की कोशिश करने पर मंत्री जी खयाल रखें। अगर बाहर दौरे पर भी जाना है तो पोस्पोन न कराके, उप मंत्री जी के सुपुर्द कर दें।

विविध जानकारियां

श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—आज के लिये मेरे दो प्रश्न स्वीकार हुये थे किन्तु एक ही एजेन्डा में आया है और दूसरे के लिये न तो हमें बताया गया .....

श्री अध्यक्ष—यह चीज ब्योरे की है। आप मेरे कार्यालय में पूछें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—आज वन मंत्री जी हमारे नगर में पधारे हैं। फिर वह चले जाते हैं। श्रीमन् को भी पत्र लिखा। सूचना वह दे नहीं रहे हैं। बजेश्वर भी उनको बहुत पहले भेज दिया गया था।

श्री अध्यक्ष—माननीय वन मंत्री जी, आपने वायदा किया था, सदन को कब सूचना देंगे?

वन मन्त्री (श्री अलगूराय शास्त्री)—७ दिन के अन्दर।

श्री अध्यक्ष—निश्चित तारीख बता दें।

श्री अलगूराय शास्त्री—१९ तारीख को।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कतिपय विधेयकों के लिए समय-निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—मैं कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण के बारे में सदन को सूचना देता हूं। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार व उसका पारण, १० मई १९६१ को ढाई घंटे। उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निपातन) विधेयक, १९६०, को संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के सम्बन्ध में विधान परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव से सहमति का प्रस्ताव, १० मई को डेढ़ घंटे। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६० को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाने का सहकारी मंत्री का प्रस्ताव, ११,१२ और १६ मई को। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६१ में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार, १७,१८ और १९ मई। यह कार्य-मंत्रणा समिति ने अपने सुझाव दिये हैं।

संसदीय विषयक उपमन्त्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन निम्नलिखित विषयों पर कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय-निर्धारण से सहमत है:---(१) उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६१, पर विचार व उसका पारण, १० मई, १९६१ को २ १/२ घंटे । (२) उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निपातन) विधेयक, १९६०, को संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के सम्बन्ध में विधान परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव से सहमति का प्रस्ताव, १० मई, १९६१ को १ १/२ घंटे । (३) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६०, को दोनों सदनों की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का सहकारिता मंत्री का प्रस्ताव, ११, १२ तथा १६ मई, १९६१ ।(४)उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६०, में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार, १७,१८ तथा १९ मई, १९६१ ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उस प्रस्ताव का जो माननीय शांति प्रपन्न शर्मा ने प्रस्तुत किया है, विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--विरोध तो आप नहीं कर सकते हैं। आप पुनर्विचार के लिये कह सकते हैं।

श्री देवनारायण भारतीय---मैं उसके पुनर्विचार के लिये प्रस्ताव करता हूं । कल ही की बात है कि शर्मा जी ने ही डेफीनिटली पूछने पर यह निश्चित उत्तर दिया था कि १२ के बाद सदन आगे नहीं बैठेगा। कल एक प्रश्न के बारे में यह लिखा गया था कि १२ वें मंगलवार को उत्तर दिया जायगा। सरकार पर आरोप लगाया गया था कि वह १२ वें मंगलवार को पेश होना लिख कर सदन को धोखा देने की कोशिश करती है जब १२ वें मंगलवार को अधिवेशन होगा ही नहीं। ऐसी महत्वपूर्ण बातें कल हुई थीं। आज सरकार की ओर से यह प्रस्ताव आया है कि सदन १९ तारीख तक हो ।

श्री अध्यक्ष---सरकार की ओर से नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय---कार्य-मंत्रणा समिति की ओर से ही सही। १३ और १४ को तो शनिवार और रविवार हैं जिन दिनों सदन नहीं बैठता है। १५ को भी छुट्टी की जा रही है। मेरी समझ में नहीं आया कि वह छुट्टी क्यों की जा रही है। यदि सरकारी काम बाकी है तो १५ को भी सदन बैठना चाहिये। गर्मी अधिक पड़ने लगी है। सदन को निरन्तर आगे को बढ़ाये जाने में माननीय सदस्यों को प्रोग्राम बनाने में असुविधा होती है। कल के उत्तर के पश्चात् मैं स्वयं ही १४ तारीख को दिल्ली जाने का निश्चय कर चुका था। आज यह सूचना मिलती है कि १६ से १९ तक सदन हो रहा है, तो वह सारा प्रोग्राम कैंसिल करना होगा। ऐसी असुविधा सभी माननीय सदस्यों को होती होगी। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुख्य मंत्री जी का प्रस्ताव पुनर्विचार के लिये समिति के पास भेजा जाय ।

श्री अध्यक्ष---यह प्रस्ताव मुख्य मंत्री का नहीं है, शांति प्रपन्न शर्मा जी का है ।

श्री देवनारायण भारतीय---तो उनका ही प्रस्ताव भेज दिया जाय ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देवनारायण जी भारतीय के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । आपको यह अच्छी तरह से मालूम है कि २०,२१ दिन से लगातार मैं इस बात की कोशिश करता रहा हूं, कई बार मैंने कोशिश की है कि सरकार से आगे का कार्य-क्रम मालूम हो जाय । जब-जब मैंने जानना चाहा तब-तब सरकार की तरफ से यह कहा गया कि १२ तारीख के आगे असेम्बली नहीं होगी । एक मर्तबा कहा गया कि ९ तारीख को जवाब देंगे और ९ तारीख को निश्चित रूप से यह कह दिया गया कि १२ तारीख के बाद नहीं होगी लेकिन अब १२ के बाद हो रही है । यह कोई खिलवाड़ नहीं है । सरकार का यह कर्त्तव्य था और प्रस्तावक महोदय का भी कर्त्तव्य था कि अगर वे कोई नया कार्य-क्रम

निश्चित करते हैं तो वे माननीय सदस्यों की सुविधा का ध्यान रखें। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि हमें बाहर जाने के लिये रिजर्वेशन कराना होता है। सरकार के निश्चित उत्तर देने के बाद मैंने रिजर्वेशन करा लिया। अब उसको कैंसिल कराना होगा और यह भी पता नहीं कि आगे रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं।

इसके अलावा सरकार को अपने निश्चयों के बारे में कुछ निश्चिन्तता बरतनी चाहिये, इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिये। कल तो सरकार कहती थी कि १२ को खत्म हो जायगी लेकिन आज प्रातःकाल ही कहती है कि १९ तक चलेगी, १९ को भी कह सकती है कि २६ तक चलेगी। सरकार की तरफ से यह कहा जा सकता है कि कार्य-मंत्रणा-समिति ने यह कार्य क्रम निश्चित किया है। लेकिन यह सरकार क्योंकि योजनाओं में विश्वास करती है, योजना के साथ उसको अपना कार्यक्रम बनाना चाहिये और अगर कार्य-मंत्रणा समिति इस प्रकार की कोई तब्दीली करना चाहती है तो कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में उसको यह जानकारी देनी चाहिये।

अगर ५ तारीख से पहले यह बता दिया गया होता कि १२ तारीख के बाद भी बैठ रहे हैं तो हमारी तरफ से और सदन के अधिकांश सदस्यों की ओर से यह सुझाव आता कि बीच में ३ दिन की छट्टियों के बजाय ५ दिन की छुट्टी कर दी जाय। तब माननीय सदस्य अपने दूसरे काम भी कर सकते थे और अपने क्षेत्रों में भी होकर आ सकते थे। आप सरकार को इस तरह की सलाह दें कि वह सदस्यों की सुविधा को भी देखा करे और कार्य-क्रम को पहले से निश्चित कर दिया करे, जिस प्रकार कि लोक सभा में बहुत पहले से बता दिया जाता है और चन्द घंटों में कोई तब्दीली नहीं होती। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस पर सरकार पुनर्विचार करेगी। यह भी हो सकता है कि विधान सभा की कार्यवाही १२ तारीख को समाप्त कर दी जाय और २५ से हम फिर बैठ सकते हैं।

इसके अलावा एक बात और है कि क्षेत्र समितियां जो बुलाई गयी हैं, २० तारीख को उनके नामीनेशन्स होने वाले हैं। १९ तारीख को यहां काम करने के बाद माननीय सदस्यगण किस प्रकार से अपने-अपने क्षेत्रों में जा सकते हैं? इसलिये अगर हो सके तो नामजदगी की तारीख को और आगे बढ़ा दें या नामजदगी और चुनाव हो जाय और सेशन २५ के बाद चलता रहे। इसमें सदस्यों को अधिक सुविधा होगी क्योंकि उससे पूर्व हम लोग चुनाव क्षेत्रों में पहुंच जाना चाहते हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दुःख की बात है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों पर जो प्रस्ताव इस सदन में आया है, उसमें कुछ संशोधन या अपवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। सिद्धांततः ऐसा नहीं होना चाहिये। लेकिन मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के साथ एक विशेष परिस्थिति है।

अनेक बार सरकार की ओर से यह एलान किया गया कि १२ मई के आगे इस सदन की बैठक नहीं होगी। लेकिन आज यकायक यह बात कही जा रही है कि सदन इसके आगे भी बैठेगा। इसमें संदेह नहीं है कि सरकार के पास कुछ आवश्यक कार्य हैं लेकिन यह इसका द्योतक जरूर है कि उसको अपनी आवश्यकताओं का सही समय पर अंदाज नहीं होता। अगर वह कोई तब्दीली कार्य-क्रम में करती है तो उसकी सूचना सदन को भी यथाशीघ्र देनी चाहिये तथा उसको निश्चित करते समय सदस्यों की सुविधा का उसे ध्यान रखना चाहिये।

इस सिलसिले में यद्यपि अलाहिदा की बात है फिर भी वह खटकती है, लेकिन आपकी आज्ञा से उसे भी कह देना चाहता हूं और स्वतंत्र दल के माननीय नेता ने उसकी ओर संकेत भी किया है। क्षेत्र समिति तथा अन्तरिम जिला परिषदों के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिये नामिनेशन्स की तारीख २० थी और चुनाव की तारीख २५ मई थी। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वह ३० है, बहरहाल वह ३० के अन्दर ही है। मेरा मतलब यह है कि इस सदन के सदस्यों की दिलचस्पी इन चुनावों में है क्योंकि वह इन अन्तरिम जिला परिषदों के सदस्य भी हैं। तो सदन १९ तक बैठेगा तो

[श्री त्रिलोकीसिंह]

२० की नामजदगी में सदस्य दिलचस्पी नहीं लें पायेंगे मैंने देहरादून के माननीय सदस्य से जो कि इसके प्रस्तावक हैं उन से मालूम कराया कि क्या वह इस का प्रबन्ध करवा सकते हैं कि सरकार इसकी तारीख को बढ़ा दे और मुझे सूचना मिली है कि नामिनेशन की तारीख सरकार ने ५ दिन आगे बढ़ाई है। लेकिन इसी बीच में मुझे एक और माननीय सदस्य से बात करने का मौका मिला, उन की राय में यह ५ दिन का समय कम होगा । अगर इस को मई के अन्तिम सप्ताह तक या जून के प्रथम सप्ताह तक रख दें तो जो एतराज किया गया है वह बहुत हदतक दूर हो जायगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर सरकार को आपत्ति न हो तो बेहतर होगा कि इस सम्बन्ध में पुनः कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुला ली जाय और सरकार भी आज शाम तक या कल सुबह तक सोच-विचार कर अपनी राय कायम कर ले ताकि यह मामला सर्वसम्मति से आदरणीय सदस्यों द्वारा तय हो जाय ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुःख है कि कल जो मैंने १२ तारीख तक की बात कही थी तो मेरा खयाल था कि १२ तक हमारा कार्य समाप्त हो जायगा। लेकिन बाद में आपस में बात करने से, श्री त्रिलोकीसिंह जी तथा दूसरे दल के साथियों से मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि शायद यह सम्भव न होगा कि इतना काम इतने समय में समाप्त हो सके। यद्यपि हमारा सदा ही यह विचार रहा है कि हम अपोजीशन के माननीय नेताओं की बातों को अधिक से अधिक मानें और जहां तक सम्भव हो उन को एकमोडेट करें इसी बात को मानकर हमने कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई थी और उस में सभी दलों के प्रतिनिधि थे। उस समिति में मैंने पहले ही यह कह दिया था कि यहां जो भी प्रोग्राम सब लोग निश्चित करेंगे वह आप लोगों के दल के लोगों को मानना पड़ेगा और आपको उन्हें बतलाना पड़ेगा कि हम लोगों ने मिलकर आपस में यह तय किया है। मुझे अवस्थी जी की बात सुनकर ताज्जुब हुआ क्योंकि वहां पर उग्रसेन जी मौजूद थे, मैं पालीवाल जी से तो माफी मांगूंगा, पता नहीं उन से किसी ने बताया या नहीं, लेकिन श्री उग्रसेन जी के कहने से समय निश्चित हुआ। जहां तक चुनाव की तारीख हटाने की बात है, मैंने माननीय मंत्री जी से जो कि चुनाव के इंचार्ज हैं प्रार्थना की कि इस में हमारे साथियों को दिक्कत होगी। वह मान गये और उन्होंने ५ दिन का समय हटा दिया लेकिन अगर उस तरफ के साथी चाहते हैं कि कुछ समय और आगे बढ़ जाय तो मैं उन से फिर प्रार्थना कर लूंगा और मैं समझता हूं कि इसमें उन को कोई दिक्कत न होगी बाकी कार्य-मंत्रणा समिति ने जो समय निश्चित किया था वह बहुत सोच-विचार कर तय किया था, उस में माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी भी थे। सभी ने बहुत सोच समझकर वह तय किया था। अवस्थी जी ने जो कहा उस के सम्बन्ध में तो मैंने प्रार्थना कर दी, हमारी मंशा कोई बात छिपाने की नहीं है, हम तो आपस में एकोमोडेट करना चाहते हैं और सब ने मिल जुलकर इस चीज को तय किया है। उस तरफ के साथियों की और सभी की यह राय थी और काफी बहस के बाद यह निश्चित हुआ था। इसलिये मैं पुनः दरख्वास्त करूंगा कि सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करे और माननीय सदस्य अपने विरोध को वापस ले लें ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मेरा खयाल है हमारे दल का कोई सदस्य नहीं था ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—कल था ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—कल की जो बात कही तो कल यह तय नहीं हुआ था कि १९ तारीख तक सदन चलेगा। शाम को हम लोग बैठे थे तो उन्होंने शनिश्चर मांगा था। हमने कहा कि यह आखिरी शनिश्चर है इसे भी ले लीजिये १३ तारीख को। लेकिन उसके आगे चलने की कोई बात नहीं थी। आज नया सवाल आया है। कल यह तय किया गया था कि एजेन्डे में परिवर्तन किया जायगा और आज क्षेत्र समिति विधेयक लिया जाने वाला था, उसी के मुताबिक हम तैयार हो कर आये थे। आज एकाएक बदल दिया गया। अब इस पर कहा जाय

कि सरकार की तरफ से ऐसा नहीं हुआ, यह तो कार्य मंत्रणा समिति ने किया, कि तो यह बात सही है क्योंकि यह एजेन्डा कल रात छप गया और समिति आज सुबह बैठी ।

श्री अध्यक्ष—कार्य-मंत्रणा समिति ने ही किया है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—वह तो आज सुबह बैठी है और एजेन्डा कल रात ही प्रिंट हो गया ।

श्री अध्यक्ष—जो पहले था उसे कार्य-मंत्रणा समिति ने उलट दिया ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—ठीक है । गोवध निवारण विधेयक के लिये खास कर कल शाम मैंने दरख्वास्त की थी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के २,३ फैसले हो चुके हैं जो बहुत अहमियत के हैं, तो कल जो विधेयक भांडार अधिग्रहण वाला चल रहा था उस पर तो कोई टाइम लिमिट नहीं थी लेकिन गोवध निवारण विधेयक के लिये, जिसका सम्बन्ध ३९ करोड़ हिन्दुओं से है, उसको केवल ढाई घंटे ही दिये । मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—तो आप चाहते हैं कि पुनर्विचार के लिये भेज दिया जाय ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जी हां । १३ तारीख से आगे सदन नहीं चलना चाहिये ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, जो मेरा नाम लिया गया है कि मेरे कहने से किया गया, यह तो उचित नहीं है । क्योंकि जो कुछ हुआ कार्य-मंत्रणा समिति से हुआ ।

रह गई बात दिन बढ़ाने की । जब सरकार कार्य-मंत्रणा समिति से इस बात की मांग करती है कि क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् समितियों को जल्दी निकाल देना जरूरी है क्योंकि उसका गठन होना चाहिये और सहकारी समिति विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में जाना है, तो यह बात सही है कि इस बात को मद्देनजर नहीं रखा गया कि १९ तारीख को नामिनेशन होंगे और २५ को वोटिंग होगी ।

तो जैसा देवनारायण भारतीय जी ने कहा और नेता विरोधी दल ने कहा—मैं चाहता हूं कि इसको पुनर्विचार के लिये कार्य-मंत्रणा समिति को भेज दिया जाय ।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि जहां तक दल की बात है उसके बारे में सब के संरक्षक आप हैं । आप यह जानते हैं कि ६ फरवरी से यह सदन बैठा है और सिलसिलेवार पौने चार, और चार महीने उसको १९ तारीख तक चलते हो जायेंगे । होटल में खाना खाकर, अपने स्वास्थ्य को खराब करके आपका हाउस चलवायेंगे । तो इस तरह से पकड़ कर सदन को चलवाना और जबर और ज्यादती करना, हाउस को चलाने के माने नहीं होते । जैसा पालीवाल जी ने कहा—मैं इसको पसन्द करता था कि ३ दिन के बजाय ५ दिन की छुट्टी कर दी जाय । मैं नहीं जानता कि नामिनेशन कब होंगे । मगर इतने दिन सदन चलाना ज्यादती होगी । कार्य-मंत्रणा समिति ५,७ आदमियों की बैठ जाती है, पर आप तो ४३१ सदस्यों के संरक्षक हैं महाराज । आप इस को गौर से देखें कि ४ महीने जो सदन चले वह किस तरह से चल सकता है । हमारी राय यह है कि १२ तारीख को सदन की बैठक समाप्त कर दी जाय ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—मान्यवर, वैसे तो मेरा कोई विचार नहीं था कि मैं इस बहस में भाग लूं पर कुछ कारणवश मुझे कुछ कहना पड़ रहा है । जो हमारी बिजनेस कमेटी होती है उसमें किसने क्या कहा और क्या नहीं कहा, यह बातें यहां नहीं आनी चाहिये । क्योंकि जो फैसले वहां होते हैं वे आमतौर से सर्वसम्मति से होते हैं और बाई इम्प्लीकेशन हमको मान लेना चाहिये, जो भी उस समिति के सदस्य हैं उनमें कोई मतभेद नहीं है । असल बात यह है, यह बात सही है कि हम सभी को कार्य-क्रम के बदलने से असुविधा होती है,

[श्री नवलकिशोर]

मगर प्वाइंट सिर्फ दो थे जैसा कि माननीय शान्तिप्रपन्न शर्मा ने कहा। एक प्वाइंट तो यह था कि क्षेत्र समिति बिधेयक के लिये जितना समय विरोधी पक्ष चाहता था उतना देते हुए १२ तारीख तक उस प्रोग्राम के पूरा होने की उम्मीद नहीं थी। दूसरी सब से बड़ी बात यह थी कि जो कोआपरेटिव का बिल है जिसके बारे में बराबर इस बात की मांग है कि इतना प्रोग्रेसिव बिल पेंडिग पड़ा हुआ है, क्या कारण है कि वह पेश नहीं होता ? तो यह बात सोची गयी कि उसको अगर इस सत्र के अन्दर पेश कर दिया जाय और तीन दिन उसके ऊपर डिबेट हो कर ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में दे दिया जाय तो छुट्टियों में उसकी रिपोर्ट आ जायगी और जब दोबारा हाउस बैठेगा तो आसानी से उसे पास कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि मंत्रणा समिति ने इन सब बातों पर ध्यान दिया था।

जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि दिक्कत होती है होटलों में खाने में, तो मैं उनकी बात से पूर्ण सहानुभूति रखता हूं लेकिन जहां इतने दिन तक दिक्कत उठाई, वहां दो, चार दिन की बात और है और मैं आशा करता हूं कि वे मान जायेंगे।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, नेता सदन ने एलान किया था कि १२ तारीख तक सदन चलेगा। हम लोगों के जाने के लिये प्रोग्राम बन गये। सरकार आज कुछ कहती है, कल कुछ कहती है। यह सरकार तो छोड़ कर चली जाय तो अच्छा हो। यह सरकार जबान बदलती रहती है तो कुछ नहीं होता और गवाह अगर जबान बदले तो उसको सजा हो जाती है। ये अन्याय के भागी बन गये। ये मंत्री नहीं कुमंत्री बन गये। इनका कोई विश्वास नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव पेश हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं और इसलिये करता हूं कि एडवाइजरी कमेटी ने जो प्रस्ताव किया है उस पर हमारे विरोधी दल के नेता की भी यही राय है कि इसको पास होना चाहिये लेकिन उन्होंने जो मांग की कि २० तारीख के बजाय २५ होनी चाहिये, तो माननीय स्वायत्त शासन मंत्री मौजूद हैं, वे इस बात के लिये सहमत हो गये हैं कि वह तारीख २५ भी हो सकती है और ३० भी हो सकती है। इसको माननीय नेता विरोधी दल वगैरह बैठ कर तय कर सकते हैं। इसके अलावा कोआपरेटिव का बिल बहुत आवश्यक है और उस पर विचार होना बहुत जरूरी है। अतः प्रस्ताव होना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—माननीय स्वायत्त शासन मंत्री, तारीख बढ़ाने के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—श्रीमन्, मैं इससे पूर्व भी कहना चाहता था। यह मंशा तो है नहीं कि माननीय सदस्यों को उस चुनाव की कोई सुविधा न हो। यह देखते हुये कि सदन बढ़ने वाला है २० तारीख जो नामजदगी की रखी गयी थी वह २५ कर दी गयी है और २५ तारीख जो चुनाव की रखी गयी थी वह ३० तारीख कर दी गयी है। किन्तु माननीय सदस्य यदि चाहते हैं कि उस चुनाव को दो, चार रोज के लिये और बढ़ा दिया जाय तो इसमें मुझे कोई एतराज नहीं हो सकता है, यद्यपि चुनाव बढ़ाने में परेशानी जरूर होती है। माननीय नेता विरोधी दल ने कुछ इस बात का संकेत किया है कि दो, चार रोज के लिये उस चीज को और बढ़ा दिया जाय तो वह बात हो सकती है क्योंकि माननीय सदस्यों की सुविधा ज्यादा जरूरी चीज है और फिर ये जो विधेयक हैं इनको पारित करना भी आवश्यक है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, बावजूद स्पष्टीकरण के भी मैं इसका घोर विरोध करना चाहता हूं। इसलिए कि एक बार नहीं कई बार इस सदन में यह प्रश्न उठाया जा चुका है कि सदन में जो काम हम करते हैं, अगर उसके अन्दर निश्चितता नहीं होती है तो हमें काम करने में बड़ी असुविधा होती है। कल यह निश्चय

हुआ था कि आज हम लोग अन्तरिम जिला परिषद् और क्षेत्र समिति विधेयक पर विचार करें इसलिये रात को १२ बजे तक बैठ कर हमने उस पर विचार किया। इसके अन्दर सैकड़ों अमेंडमेंट्स कौंसिल से आ गये हैं। लेकिन आज अचानक मालम हुआ कि गोवध विधेयक पर विचार होगा। उस पर हम बिलकुल तैयार हो कर नहीं आये हैं। उसके बाद मलिन बस्ती विधेयक पर विचार होगा। अब जो कार्य-क्रम आ रहा है उसके मुताबिक फिर हम सहकारिता वाले विधेयक पर विचार करना शुरू करेंगे। अगर इस प्रकार की अराजकता और अव्यवस्था कार्य-क्रम में होगी तो निश्चितरूप से कोई भी माननीय सदस्य अपने काम के प्रति न्याय नहीं कर सकता। और इसके सम्बन्ध में अनेक बार आप से भी दरख्वास्त की गई है कि सरकार से आप कहेंगे और जो सरकार की घोर अनिश्चितता है उसकी उचित व्यवस्था करने की कृपा करें। जब सदन बुलाया गया था तो उस समय भी दो-तीन बार निर्णय को बदला गया और जबकि सदन का अंत हो रहा है तब भी २४ घंटे पहले भी कोई निश्चित बात नहीं ह कि सदन का अंत होने वाला है। श्रीमन्, इस प्रकार की परम्परा का रहना उचित नहीं है और इसका अन्त अवश्य होना चाहिये अन्यथा सदन के माननीय सदस्य सदन के कार्य के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं और विधेयकों पर सही माने में विचार नहीं कर सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि जो चुनाव की व्यवस्था की बात मंत्री जी ने कही है उसका मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने इसका समय बढ़ा दिया है। लेकिन हम आप से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जब हम सदन का कार्य करने के लिये आते हैं तो हमें कार्य-क्रम के बारे में पहले से निश्चित सूचना मिलनी चाहिये जिससे हम सदन के कार्य के साथ न्याय कर सकें। आज दस बजे हमसे कहा जाता है कि गो वध निवारण विधेयक पर बहस कीजिये जब कि हम लोग क्षेत्र समिति विधेयक पर विचार करने के लिये आये हैं। इस पर हम कतई न्याय नहीं कर पायेंगे। आयन्दा के लिये आप व्यवस्था करें कि इस तरह की चीज न हो।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मुझे विशेषतौर से यह कहना है कि जब मैं सदन में आता हूं तो कार्य-क्रम का एक-एक अक्षर पढ़ लेता हूं। आप की आज्ञा से संशोधन देने के लिये जो शाम के ६ बजे तक का समय दिया गया था उस के अन्दर हम लोगों ने अपने संशोधन दे दिये और आज के कार्य की हम लोग तैयारी कर के आये हैं। लेकिन यहां आने पर मालूम हुआ कि हमारी सारी तैयारी बेकार हो गई और हमें दिक्कत यह मालूम हो रही है कि मलिन बस्ती का जो विधेयक आज लिया जा रहा है उसके लिये हम कोई तैयारी कर के नहीं आये। आप देखें कि यह प्रोग्राम तीन बार बदला जा चुका है। ३० तारीख के बाद यह तय था कि मलिन बस्ती विधेयक दूसरे नम्बर पर आयेगा और कल यह बताया गया कि सहकारिता विधेयक आयेगा। अब फिर मलिन बस्ती विधेयक आ रहा है। कल शाम को सब पार्टी विप्स की बैठक हुई थी, उसमें शान्ति प्रपन्न शर्मा जो भी आये थे और यह समझौता हुआ था कि अंतरिम जिला परिषद् विधेयक पहले लिया जायगा और तीन दिन तक लिया जायगा, शनिवार तक चलेगा। सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर में बैठक हुई थी और यह सब बातें तय हो जाने के बाद कार्य-मंत्रणा समिति में इसके विपरीत फैसला किया गया। जब एक दफा वचन दे दिया गया था तो फिर ऐसा क्यों हुआ?

श्री अध्यक्ष---अब मैं इसके ऊपर राय ले लेता हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---श्रीमन्, राय लेने से पहले हम लोग मंत्री जी से ही निवेदन करना चाहते हैं क्योंकि उनका बहुमत है।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं। मैं आपको थोड़ी सी सूचना देना चाहता हूं। जिस समय आपने बार-बार पूछा कि क्या प्रोग्राम होगा और कब तक सदन बैठेगा तो उन्होंने १२ तारीख तक बैठने के लिये कहा था। इस पर कुछ लोगों ने कहा कि आगे बैठेंगे या नहीं, तो मैंने कहा कि अन्तिम फैसला सदन का होगा। सदन का जो प्रस्ताव होगा वही माना जायगा, मंत्री जी कुछ

[श्री अध्यक्ष]

भी कहें। मान लीजिये मन्त्री जी किसी काम के लिये कहते हैं कि हम दो रोज में इसको समाप्त करना चाहते हैं लेकिन सदन कहता है कि हम चार रोज तक बैठेंगे तो यह सदन को अधिकार है। इसलिये कार्य-मंत्रणा समिति में जब प्रश्न आया तो यह १२ तारीख तक की सोच कर आये थे और कल भी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि सहकारिता और गो वध निवारण विधेयक नहीं आयेंगे। लेकिन बाद में यह हुआ कि हाई कोर्ट की रूलिंग हो गई है इसलिये कुछ लोग गो वध निवारण विधेयक लाना चाहते हैं, कुछ लोग सहकारिता के विधेयक के लिए चाहते थे। तो जब मंत्रणा समिति के सामने समय निर्धारण के लिये विषय आते हैं और उसने अपना एक सुझाव दे दिया, तो उसमें जो कुछ अड़चन है उसे आप सब ने बता दिया। विरोधी दल के नेता ने एक विशेष अड़चन बतायी, उसका हल उन्होंने बता दिया। तो यह सब अड़चनें हल हो जाने के बाद मैं समझता हूं कि उसमें कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। यह गो वध निवारण वाला भी एक छोटा सा विधेयक है और मलिन बस्ती वाला भी संयुक्त प्रवर समिति के लिए है। तो इनको आज ले लें और सहकारिता विधेयक भी संयुक्त प्रवर समिति के लिये है, उसको इसके बाद ले लें और क्षेत्र समिति वाले को सब से पीछे कर दिया आखिर में। तो इस तरह से यह हो सकता है। लेकिन मैं जानता हूं कि एक बार एक निश्चय हो जाने के बाद उसको बदलने से कठिनाई होती है और इसलिये मैं सरकार से कई बार पहले भी कह चुका हूं और अब भी कहता हूं कि जैसे लोक-सभा में एक निश्चित तारीख के लिये कार्यक्रम बन जाता है, उसी तरह पहले से यहां भी उसके ऊपर विचार कर लेना चाहिए और उसी वक्त विचार करते समय विरोधी दल के नेताओं से भी सलाह कर लेनी चाहिए। ऐसा अगर आइन्दा के लिए कर लें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा उचित होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, यह सलाह आपने कई दफा दी, लेकिन वह आप की सलाह को मानते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय उपनेता सदन मेरी सलाह मानेंगे और वह अपना सिर बार-बार नीचे कर रहे हैं, इसके माने हैं कि वह उसे मान्यता दे रहे हैं।

अब मैं इस पर राय लिए लेता हूं।

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति ने चार विधेयकों के सम्बन्ध में जो समय का निर्धारण किया है और जिस विषय में प्रस्ताव उपस्थित किया गया है उसको पुनर्विचार के लिये कार्य-मंत्रणा समिति के पास भेजा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन निम्नलिखित विषयों पर कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है—

(१) उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर, विचार व उसका पारण।	१० मई, १९६१ को २ १/२ घंटे।
(२) उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती (सुधार तथा निपातन) विधेयक, १९६० को संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने से सम्बन्धित विधान परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव से सहमति का प्रस्ताव।	१० मई, १९६१ को १ १/२ घंटे।
(३) उत्तर प्रदेश सहकारिता समिति विधेयक, १९६०, को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का सहकारिता मंत्री का प्रस्ताव।	११, १२ तथा १६ मई, १९६१।

(४) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार। — १७, १८ तथा १९ मई, १९६१।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गौरीशंकर राय द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—विशेषाधिकार के सम्बन्ध में माननीय गौरीशंकर राय ने इसको उपस्थिति करने की नियम ६४ के अनुसार अनुमति चाही है कि इनको इस प्रश्न को उपस्थित करने की अनुमति दी जाय। मैं अनुमति देने के पहले उनसे कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। अन्य माननीय सदस्य भी कहना चाहेंगे तो कह सकेंगे। वह प्रश्न यह है कि उन्होंने एक अखबार मेरे सामने उपस्थित किया और उस अखबार के साथ उन्होंने कुछ और कागजात भी उपस्थित किये हैं जो पब्लिश हुये। तो उनको यह भी बतलाना चाहिये कि अखबार के साथ उन्होंने जो और नाम बापू आदि का दिया है वह किसके ऊपर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाना चाहते हैं और साथ ही यह भी बता दें कि किस तरह से विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठता है। बाद में अनुमति के प्रश्न के ऊपर मैं सदन को सूचना दे दूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, इसको पढ़ दिया जाय कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न किस प्रकार का है।

श्री अध्यक्ष—वह सब बतला देंगे।

*श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—श्रीमन्, मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम ६५ के अधीन उरई जिला जालौन से प्रकाशित होने वाले हिन्दी साप्ताहिक समाचार "बुन्देला" के संपादक श्री शिवानन्द मिश्र, संस्थापक श्री विष्णुदत्त शर्मा तथा १९ केसरबाग, लखनऊ के बापू उपनाम के व्यक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित आधार पर सदन एवं सदस्य के विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमान का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

१—इसलिये कि उक्त बुन्देला साप्ताहिक ने २० अप्रैल, १९६१ के अंक में प्रथम पृष्ठ पर निम्नलिखित शीर्षक से अप्रत्यक्ष रूप से जालौन से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एम० एल० ए० (श्री गोविन्द नारायण तिवारी) पर आक्षेप लगाया, जिसका विधान सभा की उस दिन की कार्यवाही को देखते हुए तथा पुलिस बजट पर माननीय पुलिस मंत्री चौधरी चरणसिंह के भाषण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। यह जानते हुये भी, उन्होंने इस शीर्षक तथा विशेषण से माननीय तिवारी पर आक्षेप किया। मैं उक्त सारे उद्धरण को उद्धृत कर रहा हूं:

जिला जालौन की इज्जत को धक्का,
चौधरी चरण सिंह को ललकार,
जालौन में प्र० सो० पा० के नेता के
घर पर एक सौ दस का मुल्जिम।

"कहा जाता है उस दिन जालौन की इज्जत को काफी धक्का लगा जब कि, पुलिस मन्त्री चौधरी चरण सिंह ने पुलिस बजट की बहस का उत्तर देते हुये जालौन के एक एम० एल० ए० की ओर इशारा करते हुये कहा कि इस भवन के एक ऐसे सदस्य भी हैं जिन्होंने एक मुल्जिम को जो कि पहले का सजायाफ्ता व्यक्ति है और जिसे ११० में सजा हुई थी, जमानत पर छुड़ा कर अपने बंगले पर रख लिया। आज तक, कहा जाता है कि सभा भवन में किसी भारतीय सदस्य के

---

†९ मई, १९६१ की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गौरीशंकर राय]

विरुद्ध किसी जिम्मेदार मन्त्री द्वारा इतना जबरदस्त आरोप नहीं लगाया गया था। लोगों में खुस फुस थी कि जब माननीय विधान सभा के मेम्बर ही जुर्म करने वालों की रक्षा करेंगे और अपने घरों में सजायाफ्ता कातिल और डकैतों को पनाह देगें तो इस प्रदेश की जनता का क्या हाल होगा ? बेचारी पुलिस को फिर क्या दोष लगाया जाय।"

उपर्युक्त उद्धरण से किसी भी जालौन जिला के नागरिक तथा अन्य लोगों पर भी यह स्पष्ट प्रभाव पड़ता है कि इसमें इशारा श्री गोविन्दनारायण जी तिवारी पर है क्योंकि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जिला जालौन से एक मात्र विधायक श्री गोविन्दनारायण जी तिवारी ही हैं। सदन की कार्यवाही में इस प्रकार एक ओर तो चौधरी चरण सिंह जी का अवमान हुआ है क्योंकि उनके मुंह पर वह बात रख दी गई है जो उन्होंने कभी नहीं कही और उनके सदन के भाषण को जानबूझ कर तोड़ा मरोड़ा गया है। दूसरे सदन की कार्यवाहियों को आधार बनाकर सदन के ही एक माननीय सदस्य का अवमान किया गया है तथा इस प्रकार का प्रभाव स्पष्टतः जनता पर डालने की चेष्टा की गई है कि विधान सभा भवन में पुलिस मंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कोई जबरदस्त आरोप माननीय गोविन्दनारायण जी तिवारी के विरुद्ध लगाया है। इसलिये कि इसे २० अप्रैल के बुन्देला समाचार पत्र में उपर्युक्त शीर्षक समाचार के साथ ही साथ जिसका उल्लेख पैरा एक में किया गया है के ठीक ऊपर कुछ कुन्डलियां छापी गई हैं जिसमें काउंसिल भवन में चौधरी चरण सिंह जी की घोषणा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एम० एल० ए० का उल्लेख आदि बातों का जिक्र किया गया है।

श्रीमन्, यदि आप कहें तो मैं उनको पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—लेकिन वह ऐसी चीज है कि जिनका अर्थ कोई समझ नहीं सकेगा। उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—फिर भी आप कहें तो पढ़ दूं क्योंकि उसमें सभी शब्दों का समावेश है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उन्हें पढ़ने को कोई जरूरत नहीं है। वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है और एक अलग चीज है।

श्री गौरीशंकर राय—तो ठीक है। इससे भी स्पष्ट है कि इस पत्र के सम्पादक श्री शिवानन्द मिश्र आदि अन्य ऊपर लिखित व्यक्तियों को विधान सभा के माध्यम से बदनाम करने का उद्देश्य था। इसलिए कि इस पत्र के १३ अप्रैल, के संपादकीय में भी पुनः इस आरोप का उल्लेख किया गया है। प्रतिलिपि संलग्न है। १३ तारीख का अंक पहले आप की सेवा में भेज दिया था। इसके पहले संपादकीय जो लिखा गया था उसमें नाम भी नहीं दिया गया था, लेकिन कहा है कि चौधरी चरणसिंह ने ऐसा कहा है।

"संलग्न पत्र की प्रतिलिपि तथा उससे संलग्न दूसरी नोटिस से मालूम होता है कि यह समाचार उक्त बुन्देला नामक पत्र में १९ कैसरबाग, लखनऊ से दिनांक १४ अप्रैल, १९६१ को कोई बापू उपनाम के व्यक्ति ने श्री विष्णुदत्त शर्मा तथा श्री बुंदिया को उक्त समाचार प्रकाशनार्थ भेजा, और इस हेतु उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पैड का भी उचित या अनुचित प्रयोग किया गया। इस बात की छानबीन भी होनी आवश्यक है कि यह बापू नाम का व्यक्ति कौन है। अस्तु प्रार्थना है कि इस विशेषाधिकार के अवमान और इस प्रकार सदन की कार्यवाहियों को तोड़ मरोड़ कर छापने तथा उसके अवमान आदि के इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया जाय।"

श्री अध्यक्ष—आप पहले यह बतलायें कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न कैसे बनता है।

श्री गौरीशंकर राय—मान्यवर, आपने एक चीज और जाननी चाही थी कि बापू नाम के आदमी पर आरोप क्या है। मैंने पता लगाया और उस व्यक्ति का नाम है चतुर्भुज शर्मा, जो पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और अब उसके उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पैड पर यह पत्र लिखा है खुद और यह विष्णुदत्त शर्मा श्री चतुर्भुज शर्मा के पुत्र हैं और इसलिये अन्त में लिखा है तुम्हारा बापू। और उन्होंने लिखा है कि इस समाचार को छाप देना। उन्होंने यह भी लिखा है कि समाचार के साथ कुछ व्यंग और हास्य भी भेज रहा हूं और यह पत्र भी श्री चतुर्भुज शर्मा ने अपने हैंडराइटिंग में लिखा है। जो यह व्यंग और हास्य है इसे पढ़ना इस सदन की मर्यादा के विपरीत है और शिष्टता के छोटे से छोटे नियमों के भी विपरीत है..

श्री अध्यक्ष—क्या वह पब्लिश हो गया है?

श्री गौरीशंकर राय—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—तो फिर उसे आप न पढ़ें।

श्री गौरीशंकर राय—वह मैं यहां नहीं पढ़ूंगा। उसे तो कुछ ही लोग पढ़ सकते हैं और वैसी बात कह सकते हैं। उन्होंने पत्र में अपने लड़के को लिखा है कि यह समाचार तो छाप ही देना और व्यंग और हास्य चाहे छापना या न छापना। यदि आप कहें तो मैं पत्र पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उसे आप न पढें। आप का मतलब यह है कि उन पर आपका चार्ज है।

श्री गौरीशंकर राय—जी हां। यह उन्हीं के हैंडराइटिंग में है। मैंने इसे कई लोगों को दिखाया और यह उन्हीं का पत्र है। और 'बुन्देला' के बारे में मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। आपके आशीर्वाद से ही वह निकाला गया है। पहले अंक में ही आपने अपनी सद्भावनाओं में कहा है कि वह कांग्रेस की विचारधारा का प्रसार करेगा और बुन्देलखंड की संस्कृति को जीवित रखेगा।

श्री अध्यक्ष—यह इर्रिलिवेंट चीज है।

प्रश्न तो इतना ही है कि इससे विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठता है या नहीं, इसी पर आप भाषण दें।

श्री गौरीशंकर राय—मैं उसी को मान्यवर, बता रहा हूं। मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के उद्धरण देकर इसको सिद्ध करूंगा कि इससे विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है। श्रीमन्, जो समाचार विधान सभा की कार्यवाही के बारे में अखबार में छपा है उसको मैंने पढ़ा और मैंने देखा, वह बात यहां पर नहीं कही गयी है और उस दिन माननीय तिवारी जी भी यहां पर मौजूद नहीं थे। चौधरी चरणसिंह जी ने इस तरह की कोई बात नहीं कही जो कि छपी है। उसको दूसरे तरीके से छापा गया है कि यह फाल्स, परवरटेड, बेसलेस और मिस रिप्रेजेन्टेशन आफ फैक्ट्स है और इसी कारण से यह विशेषाधिकार के अन्दर आता है। इसमें श्रीमन्, चौधरी चरणसिंह जी का प्रश्न है, उनके मुंह में ऐसी बात डाल दी गयी है जिसको उन्होंने कभी कहा नहीं है। फिर तिवारी जी उस दिन सदन में थे भी नहीं, अगर वे यहां पर होते तो उनकी तरफ इशारा हो सकता था। आप मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस (१६ एडीशन) के पृष्ठ ११७ को देखने की कृपा करें, उसमें लिखा है —

"CONSTRUCTIVE CONTEMPTS—Speeches or writings reflecting on either House—

[श्री गौरीशंकर राय]

In 1701 the House of Commons resolved that to print or publish any books or libels reflecting on the proceedings of the House is a high violation of the rights and privileges of the House (), and indignities offered to their House by words spoken or *writings published reflecting* on its character or proceedings have been constantly punished by both the Lords and the Commons upon the principle that such acts tend to obstruct the Houses in the performance of their functions by diminishing the respect due to them. Reflections upon Members, the particular individuals not being named or otherwise indicated, are equivalent to reflections on the House."

मान्यवर, इसी में पृष्ठ ११८ पर भी आप देखें, उसमें लिखा है—

"PUBLICATION OF FALSE OR PERVERTED REPORTS ON DEBATE ETC.

Analogous to the publication of libels upon either House is the publication of false or perverted, or of partial and injurious reports of debate or proceedings of either House or committees of either House or mis-representations of the speeches of particular Members."

तो इससे यह स्पष्ट है कि फाल्स, परवरटेड ऐन्ड बेसलेस मिस रिप्रेजेन्टेशन आफ फैट्स हुआ है। हिन्दी में इसे असत्य और विकृत प्रकार का रिप्रेजेन्टेशन कह सकते हैं।

अब मैं यह निवेदन करूंगा, मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है विशेषाधिकार का और इसके संबंध में जो एक मूलभूत बात अभी एक दो दिन के डिस्कशन में आई है उसके ऊपर भी मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा और उस पर भी आपकी व्यवस्था चाहूंगा. . . .

श्री अध्यक्ष—आप कोई दूसरी चीज इसके साथ नहीं ला सकते।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, वह इसी मामले में पैदा हुई है। कल मैं प्राइमाफेसी केस के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता था और उसको कहने की कोशिश कर रहा था किन्तु आपने उसको नहीं सुना। श्रीमन्, मैंने प्राइमाफेसी केस के बारे में चम्बर्स और वेब्सटर्स आदि की डिक्शनरियों को देखा और वेब्सटर्स की डिक्शनरी में जो इसकी परिभाषा दी हुई है वह है—

"At first view; on the first appearance."

यही मतलब करीब-करीब सभी डिक्शनरियों में लिखा है कि एपेरेन्टली जो बात समझ में आती है वही प्राइमाफेसी होता है। मान्यवर, आपने कृपा करके इसके सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री से जानकारी मांगी है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि विशेषाधिकार का जो हक है उनको क्षति होगी। अगर उन लोगों से इन्फार्मेशन मांगी जायगी जिन पर हमारा चार्ज है, जिन्होंने हमारे विशेषाधिकार की अवहेलना की है . . . .

श्री अध्यक्ष—आपने चार्ज किया है कि विशेषाधिकार की अवहेलना गृह मंत्री की भी हुई। गृह मंत्री ने विशेषाधिकार की अवहेलना की, यह आपने नहीं कहा है।

श्री गौरीशंकर राय—मान्यवर, आपके डिस्क्रीशन के सिलसिले में भी थोड़ा सा निवेदन कर दूं जैसा कि मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस में दिया हुआ है। आपका डिस्क्रीशन है प्राइमा-फेसी इस्टेबिलिश करने का, आपका डिस्क्रीशन मर्यादित होता है, परन्तु वह प्रच्छन्न, असीमित और निस्सीम नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं. . . .

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके पार्लियामेन्टरी पद्धति को कायम रखें। जिस समय प्राइमा-फेसी का डिस्कशन करें तो मुझे उपदेश न दें। आप अनियंत्रित नहीं हो सकते। आप अपनी बात को बतायें, इस प्रकार से हिन्ट न करें।

श्री गौरीशंकर राय—मान्यवर, मेज पार्लियामेंन्टरी प्रैक्टिस, सोलहवीं एडीशन के पृष्ठ ३८२ पर देखें :—

"*Speaker's discretion in permitting matter to be raised.*

It has often been laid down that the Speaker's function in ruling on a claim of breach of privilege is limited to deciding the formal question whether the case conforms with the conditions which alone entitle it to take precedence of the notices of motions and orders of the day standing in the order paper of public business; and does not extend to deciding the question of substance, whether a breach of privilege has in fact been committed."

मान्यवर, मैं इस सदन का यह अधिकार समझता हूं, वह अध्यक्ष या किसी भी व्यक्ति को अपना यह अधिकार न दे। सदन के अतिरिक्त किसी को भी यह फैसला करने का अधिकार नहीं है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज है या नहीं, फैक्ट्स का भी इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—आपको भी सुनने का अधिकार नहीं है मुझे ? आप जो फैक्ट्स कह रहे हैं वह सुन रहा हूं।

श्री गौरीशंकर राय—मान्यवर, चौधरी चरणसिंह की एक स्पीच अखबार में निकली। मेरा विचार है कि दो चीजों की आवश्यकता थी और है, और मान्यवर, मैं समझता हूं कि आपकी रूलिंग के बाद भी उन्हीं दो चीजों की आवश्यकता रहेगी। मान्यवर, उसमें वह भाषण छपा है चौधरी चरणसिंह का, उनके दिल में कुछ भी रहा हो। होम डिपार्टमेन्ट के कान्फीडेंशल कोड में क्या लिखा है, हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर इस तरह की बातें आयेंगी तो वह सदन की मर्यादा के विपरीत होगा। प्रश्न यह है कि उसमें जो कहा गया है वह मिसरिप्रेजेन्टेड, परवरटेड और फाल्स है या नहीं। मैं निवेदन करूंगा कि जो समाचार निकला है वह डिलेबरेटली एक माननीय सदस्य को बदनाम करने के लिये निकाला गया है। हमारी बदकिस्मती है कि रूलिंग के लिये इस सवाल को उठाये तीन दिन हो गये, इस बीच तिवारी जी का नाम आया लेकिन बुन्देला अखबार का नाम नहीं आया, और चतुर्भुज शर्मा जी का नाम तो मैंने आज ही बतलाया है, वह पहले कैसे आ सकता था। तो एक माननीय सदस्य की इस तरह की बदनामी हुई और उनकी हिफाजत के लिये आपके पास प्रश्न भेजा.....

श्री अध्यक्ष—एक चीज आप और बता दें कि ११० में किसी की जमानत देने में बेइज्जती कैसे होती है, वह तो उन्होंने एक कानूनी कार्यवाही की।

श्री गौरीशंकर राय—मान्यवर, ११० में किसी की बेइज्जती नहीं होती है। उधर के हिस्ट्री शीटर्स तक छूट जाते हैं, लेकिन इधर के शरीफ आदमियों पर भी जब ११० चलाई जाती है तो मजबूरन सफाई देनी पड़ती है....

श्री अध्यक्ष—टेक्निकल क्वैश्चन यह है कि ११० में तौहीन तो नहीं होती।

श्री गौरीशंकर राय—मान्यवर, जो हेडिंग है वह कन्टेम्चुअस है। इस हेडिंग से आप पर तो यह इम्प्रेशन पड़ेगा और आप बड़े जुडीशियस तरीके से निकाल लेंगे कि इसमें क्या बात है, ११० किसी भले आदमी पर भी पुलिस चला सकती है। लेकिन जनता का क्या इम्प्रेशन होगा ? गोविन्दनारायण तिवारी जी ने चौधरी चरणसिंह जी को खत लिखा और उसके बाद भी इस न्यूज का निराकरण नहीं हुआ। २८ तारीख से लेकर आज १० तारीख हो गई, लेकिन आज तक उस समाचार का कंट्राडिक्शन नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि सब प्रकार से इससे अवमान हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर कोई और जानकारी आप करना चाहेंगे तो मैं दे सकता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, माननीय गौरीशंकर राय जी ने जो प्रिविलेज का प्रश्न उठाया और उसके संबंध में जो उन्होंने भाषण दिया, मुझ पर, मान्यवर, उसका असर यह पड़ा कि जालौन में दो राजनीतिक पार्टियों का जो आपस का विरोध है उसको वह इस ब्रीच आफ प्रिविलेज की आड़ में इस हाउस के सामने पेश करना चाहते हैं।

मान्यवर, उन्होंने जो अंश बुन्देला अखबार से पढ़ा, मैं समझता हूं, जैसा कि उनका इंटरप्रिटेशन है अगर उसको सही भी मान लिया जाय कि इसमें एक व्यक्ति की शान के खिलाफ कोई बात कही गई है और वह महसूस करते हैं कि उससे बदनामी होती है, तो यह डिफेमेशन का केस हो सकता है जिसके लिये ला कोर्ट में रेमेडी मौजूद है, लेकिन वह कोई कंटेम्प्ट आफ दि हाउस की बात हो, यह मैं नहीं मानता।

मेरा कहना यह है कि उस अखबार में जो लिखा है तो वह आपके हाउस की प्रोसीडिंग्स को उन्होंने नहीं छापा है। कुछ चीजें जो हाउस के अन्दर हुईं उनको उन्होंने सुना, वह तो हाउस के अन्दर थे नहीं। इसके अलावा, श्रीमन्, इसकी एक पृष्ठभूमि है। बुन्देला अखबार के मुकाबले में वहां एक दूसरा अखबार चलता है जिसका नाम है 'हलचल' जिससे गोविन्दनारायण जी का घनिष्ट संबंध है। ये दो अखबार हैं और ये आपस में इस तरह की चीजें करते रहते हैं। अगर कहें तो हलचल का एक नहीं ५० पन्ने इस बात के सबूत में पेश किये जा सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस दल और उसके नेताओं को चाहे स्थानीय हों या प्रदेशीय हों, बदनाम करने की कोशिश की जाती है।

श्री अध्यक्ष—उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नवलकिशोर—तो बुन्देला की यह प्रतिक्रिया हो सकती है। यह एक कमेन्ट्री है एक व्यक्ति पर न कि सदन के कार्य पर टिप्पणी। श्रीमन्, आपने प्रश्न पूछा कि क्या ११० दफा के अन्दर किसी व्यक्ति की जमानत देना अपमान की बात है। यह अपमान की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि कोई भी वकील अगर किसी केस को करता है, चाहे वह हिस्ट्रीशीटर का हो या एक्स कन्विक्ट का हो तो वह कुछ गलत नहीं करता। एथिकल स्टैन्डर्ड से यदि गलत भी हो तो भी प्रोफेशनली वह गलत नहीं माना जाता। अब देखना यह है कि किसी व्यक्ति की जो कि दुबारा ११० में कन्विक्ट होने वाला था उसकी जमानत की या नहीं। और अगर वह उसे अपमान की बात समझते हैं तो मैं मे न पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस (१६ वां एडीशन) के पृष्ठ ५२ से दो लाइनें पढ़ना चाहता हूं।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो भाषण हो वह फाल्स पब्लिकेशन के सिलसिले में हो, हलचल आदि के बारे में न हो।

श्री अध्यक्ष—उनको पढ़ने की तो मैंने इजाजत नहीं दी। आपने भी कहा कि और भी अखबार ऐसे हैं जिन्हें मैं पढ़ना नहीं चाहता, तो उसी तरह से उन्होंने भी कहा।

श्री नवलकिशोर—श्रीमन्, इसमें लिखा है :—

"It becomes the duty of each me nber to refrain from any course of action prejudicial to the plivilege wh ch he enjoys."

मान्यवर, इसके माने यह हैं कि जो मेम्बर का प्रिवेलेज है हाउस के अन्दर उसके ऊपर भी इस बात का फर्ज है कि वह कोई काम ऐसा न करे जो कि उस प्रिविलेज के लिये प्रिजुडिशियल हो।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपस में बातें नहीं होनी चाहिएं।

श्री नवलकिशोर——मैं यह कह रहा था कि जो दफा ११० की बात है जिसके बारे में उन्होंने कहा कि बड़ा भारी अपमान हुआ, अव्वल तो मैं उसे अपमान नहीं मानता और अगर वह अपमान मानते हैं तो उसकी जिम्मेदारी मेरे उन्हीं माननीय व्यक्ति के ऊपर है जिन्होंने कि ११० धारा के अन्तर्गत जमानत की।

इसमें मान्यवर, बापू नामक व्यक्ति का जिक्र आया और उन्होंने यह फरमाया कि उनके पास इस बात का पक्का सबूत है कि वह पत्र श्री चतुर्भुज शर्मा ने लिखा है। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि वह पत्र उन्होंने लिखा या नहीं लिखा। उनकी बात को मानकर चलता हूं कि उन्होंने लिखा। फिर भी वह एक परसनल लेटर है जो कि प्राइवेट तरीके से अपने बेटे को लिखा, मैं नहीं समझता कि वह कभी भी ब्रीच आफ प्रिविलेज का सबजेक्ट बन सकता है। दूसरे मैं यह जानना चाहूंगा गौरीशंकर राय जी से कि वह पत्र उनके कब्जे में कैसे आया, किस ढंग से आया और क्या यह बात सही है कि वह पत्र वहां के "हलचल" अखबार में, जो कि स्थानीय पत्र है, उसमें छापा गया....

श्री अध्यक्ष——आपने क्या कहा ? वह पत्र छापा गया ?

श्री नवलकिशोर ——मेरी इन्फार्मेशन यह है कि वह पत्र "हलचल" अखबार में प्रकाशित किया गया है और यही नहीं, उस पत्र के चोरी होने के बारे में "बुन्देला" अखबार जिसका उन्होंने जिक्र किया है, उसके एडीटर मि० विश्वदत्त शर्मा हैं उन्होंने कोई रिपोर्ट पुलिस में भी लिखाई है।

श्री अध्यक्ष——इसका उससे कोई संबंध नहीं है। यह जरा इर्रेलेवेंट हो रहा है। यह प्रश्न उन्होंने उठाया भी नहीं।

श्री नवलकिशोर——खैर, मैं उसे छोड़ देता हूं। उन्होंने यह कहा था कि बापू नामक व्यक्ति ने एक पत्र अपने बेटे को लिखा था। तो इस प्रकार से गलत चीजों को और फैक्ट्स को डिस्टार्ट करके हमारे सामने पेश किया जा रहा है, मैं अधिक उन बातों में जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस सिलसिले में और कुछ चीजें भी जालौन में चल रही हैं जो कि उचित समय पर हाउस में आ जायंगी।

मेरे कहने का मतलब यह है कि यह हो सकता है उस पत्र में जो कुछ छपा हो, उससे गोविन्दनारायण जी की बदनामी की बात हुई। यदि वह ऐसा समझते हों, क्योंकि उनका नाम नहीं है, लेकिन वह कहते हैं कि संकेत उनकी तरफ है, तो हमारा जो ला कोर्ट है उसके अन्दर उनको डिफेमेशन में जाना चाहिए, फाइट-अप करना चाहिए और मैं समझता हूं कि यह सदन इसके लिए फोरम नहीं है कि यहां पर इस तरह से चीजों को डिस्टार्ट करके पेश किया जाय। मेरी राय में इरादतन सदन की कार्यवाही को गलत छापने की चेष्टा नहीं की गई है, बल्कि व्यक्तिगत झगड़ों के बिना पर यह खबर छापी गई है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)——अध्यक्ष महोदय, मेरी राय में एक छोटा सा सवाल है, केवल एक ही, और वह यह है कि इस आदरणीय सदन की कार्यवाही ठीक तौर पर प्रकाशित की गयी या नहीं, जिसको अंग्रेजी में "मिसरिप्रेजेंटेशन" कहते हैं वह हुआ इस सदन की कार्यवाही का अथवा नहीं हुआ है। अभियोग लगाया गया है कि माननीय गृह मंत्री ने इस प्रकार का भाषण इस आदरणीय सदन में नहीं दिया, जैसा उस समाचार-पत्र में छपा है। यदि यह बात सही है, क्योंकि मुझे स्वयं माननीय गृह मंत्री का भाषण न सुनने का अवसर प्राप्त हुआ न प्रोसीडिंग्स देखने का, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि यह मिसरिप्रेजेंटेशन है।

[श्री त्रिलोकी सिंह]

इसी के साथ दूसरी बात जो पैदा होती है, मान्यवर, वह यह है कि साधारणतया यदि सदन की कार्यवाही कहीं ठीक से न प्रकाशित हो तो इसमें संदेह नहीं कि वह नियमों का उल्लंघन है। सदन खुद मालिक है अपनी कार्यवाही का, वह रोक सकता है कोई उसे प्रकाशित न करे। खुद उसका एक अथोराइज्ड वर्जन निकलता है, एक प्रेस्तिका निकलती है हर रोज की कार्यवाही की।

मान्यवर की रूलिंग है कि अगर कोई मिस-रिप्रेजेन्टेशन होता है तो लेटर टू दि ऐडीटर में लिख कर ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर वह जानबूझ कर हुआ है और वह अखबार उसी पर कायम है तो ऐसी संसदीय प्रथा है कि वह सदन का अवमान होता है और उसके लिये यह सदन जो मुनासिब समझे उसके खिलाफ कार्यवाही करे। मैं इस बारे में मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के १६ वें एडीशन के पेज ११८ से पढ़ देना चाहता हूं--

"But as the Commons have repeatedly made orders forbidding the publication of debates or other proceedings of their House or any committee thereof (f) which, though not renewed in any subsequent session, are considered to be still in force, it has been ruled that an alleged mis-representation is not in itself a proper matter for the consideration of the House, the right course being to call attention to the report as an infringement of the orders of the House, and then to complain of the mis-representation as an aggravation of the offence."

मैं समझता हूं कि बलिया जिले के जिन माननीय सदस्य ने यह शिकायत उपस्थित की है वह, जैसा कि मैंने कहा कि यदि माननीय गृह मंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा है तो निश्चित ही वह मिस-रिप्रेजेटेशन है इस आदरणीय सदन की कार्यवाही का। जैसा कि बरेली जिले के माननीय सदस्य ने कहा इस सिलसिले में उरई में काफी चर्चा है, एक अखबार से दूसरे अखबार में काफी सवाल जबाव इस संबंध में हुए हैं। इस बात को जानते हुए अगर गलत बात प्रकाशित हो गयी है तो उस अखबार के संपादक और प्रकाशक का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह यह बात जानें कि सही बात क्या है और अगर गलत है तो उसका खंडन करें। मैं आपका ध्यान मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के पेज ५५-५६ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत यह कहा गया है--

"When a wilful misrepresentation of the debate arises or if it may be necessary to enforce the restriction, the House censures or otherwise punishes the offender, whether he be a Member of the House or a stranger admitted to its debates."

मान्यवर, आप देखेंगे कि यदि यह बात सत्य है कि इसमें मिस-रिप्रेजेटेशन हुआ है तब प्रत्यक्ष रूप से यह संदेह हो जाता है कि इस आदरणीय सदन के नियमों की अवहेलना हुई है और नियमों की अवहेलना इस सिलसिले में होना साधारणतः इस आदरणीय सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं साधारणतः इस बहस में हिस्सा न लेता, लेकिन माननीय नवलकिशोर जी के भाषण को सुन कर मुझे बोलने के लिये मजबूर होना पड़ा। उन्होंने प्रारम्भ ही इस तरह से किया कि जो पार्टी विरोध में है उसके द्वारा राजनीतिक विरोध को प्रकट करने के लिये इसका उपयोग किया जा रहा है। मैं देखता हूं कि यह आरोप उतना गौरीशंकर राय जी पर नहीं लगता जितना माननीय नवलकिशोर जी पर लगता है। चूंकि मैं न प्रजासमाजवादी पार्टी का हूं और न कांग्रेस पार्टी का हूं इसलिये इस मामले का मेरी पार्टी से कोई संबंध नहीं है और मैं निष्पक्ष रूप से अपने विचार प्रकट कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--आप अपनी सम्मति हाउस के सामने रखें। कायदे की बात कहें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--कायदे की बात ही कहूंगा। उन्होंने विरोध करने में जो कारण दिये हैं उनकी चर्चा ही मैं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---आप यह न कहें कि आप किस पार्टी से संबंध रखते हैं। आप पक्षपात से कोई बात कहेंगे, ऐसी स्वयं शंका न मानें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--अगर विशेषाधिकार की अवहेलना की गयी है तो चाहे जिस पार्टी के सदस्य ने की हो उस पार्टी के सदस्यों को उस विशेषाधिकार की निन्दा करनी चाहिये थी, लेकिन माननीय नवलकिशोर जी ने पार्टीगत कारणों से उसका समर्थन करने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि पर्सनल लेटर जो है उसका इस तरह से उपयोग क्यों किया गया। उसके बारे में आप यह मानेंगे कि वह पर्सनल लेटर छपने के लिये दिया गया था और जिस समय वह प्रकाशन के लिये दिया गया तो वह पर्सनल नेचर का नहीं रहा, वह एक सार्वजनिक नेचर का हो गया। पर्सनल लेटर में मैं अपने पुत्र को यह लिखूं कि फलां का वध करने के लिये तुम रास्ते में पहुंच जाना वहां हम मिलेंगे, तो हम उस कैटेगरी में रख कर अपने को बचा नहीं सकते। इसलिये उनकी जो दलील थी वह ठीक नहीं थी। श्रीमन्, आपने ही माननीय गौरीशंकर राय जी से पूछा कि आप बताये कि अवमान कैसे हुआ। वैसे अवमान होता हो या न होता हो, लेकिन छापने वाले ने उसको इस नीयत से दिया है, सवाल मिसरिप्रेजेंटेशन का है, अगर चौधरी चरण सिंह जी ने यह कहा होता कि ऐसे आदमी को अपने घर में रखा तो आप के कहने के अनुसार अवमान न होता, लेकिन जो शीर्षक इस समाचार का दिया गया है कि "जालौन जिले की इज्जत को भारी धक्का" तो प्रश्न यह है कि धक्का कहां से लगा? अगर धक्का न लगता तो सम्पादक मोटा शीर्षक देकर धक्के की बात क्यों कहता। आगे उसके ब्योरे में कहा गया है कि जालौन जिले में वहां की इज्जत को कैसे धक्का लगा है.....

श्री अध्यक्ष---मैंने इसलिये पूछा कि अखबारों की जो राय है उसको आप पसन्द करते हैं, मैं उसको पसन्द नहीं करता, लेकिन अखबार ने इस इरादे से इस रूप में दिया था और अखबार कहता है कि उसकी सूचना के अनुसार बहुत से लोग वहां के उस की राय से सहमत हैं। वह कह रहे हैं कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जिले को धक्का लगा है। वह मानते हैं कि वह इसी इम्प्रेशन पर यह करा रहे हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--यह मामला जब विशेषाधिकार समिति में जायगा तो इस पर विचार हो सकेगा कि वह इसमें अवमान में आता है या नहीं। माननीय नवल किशोर जी ने जो परसनल खत ले जाने की या दूसरी बात बताई कि इस तरह के मामले तय हो जाते तो ज्यादा अच्छा होता, ठीक है, लेकिन अब अगर वह मामला यहां आ गया है तो अच्छा हो कि वह विशेषाधिकार समिति को दे दिया जाय और वह इस पर विचार कर के देखे तो अच्छा होगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में दो एक बातें माननीय गौरीशंकर राय जी से जानना चाहता हूं। मैं केवल यह जानना चाहूंगा कि यह पत्र कब लिखा गया, वह किससे सम्बन्धित है?

श्री अध्यक्ष---आप यह प्रश्न नहीं कर सकते, आप को कुछ कहना हो तो कहें।

श्री नेकराम शर्मा---मैं केवल दो तीन बातें ही उनसे जानना चाहता था।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, मैं प्रश्न पूछने की इस समय इजाजत नहीं दूंगा

*श्री चन्दजीत यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता विरोधी दल की इस बात से सहमत हूं कि इसमें मुख्य रूप से एक प्रश्न है कि अगर उस दिन सदन में जो कार्यवाही हुई उस को किसी अखबार ने किसी सदन के माननीय सदस्य को गलत आरोप लगाकर अपमानित करने के लिये छापा है तो विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है। एक दो कोटेशन मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के दिये गये, यह कोटेशन का प्रश्न नहीं है, अगर वह किसी सदन के सदस्य को अपमानित करने के लिये छापा गया है तो अवश्य ही विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। आप मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के पेज ४२ पर देखें कि हमारे प्रिविलेजेज क्या हैं और किसी भी सदस्य के अबाधित रूप से काम करने में किस तरह से कानूनी अड़चनें लगती हैं और ब्रोच आफ प्रिविलेज होता है। इस संबंध में कहा गया है कि---

"They are enjoyed by individual Members, because the House cannot perform its functions without unimpeded use of the services of its Members, and by each House for the protection of its Members and the vindication of its own authority and dignity.

When any of these rights and immunities, both of the members individually, and of the Assembly in its collective capacity, which are known by the general name of privileges, are disregarded or attacked by any individual or authority, the offence is called a breach of privilege."

तो मेरा कहना यह है कि इस पत्र में इस समाचार को प्रकाशित करके न केवल माननीय गोविन्दनारायण तिवारी पर कोई आक्षेप लगाया है, उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का प्रयास किया है, बल्कि प्रश्न यह है कि हम जो भी यहां कहते हैं उस कथन को गलत ढंग से मिसरिप्रेजेंट किया जाता है। बाहर तो असर यह होगा। कुछ भी अबाधित रूप से इस सदन में नहीं कहा जा सकता। माननीय गृह मंत्री ने जो कुछ भी कहा, प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने इस बात को कहा इशारा करके, यह बात नहीं है

तो एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अगर गृह मंत्री जी ने इस बात को उस ढंग से नहीं कहा है और उनको बाहर इस तरह से मिसरिप्रेजेंट किया जाता है तो कोई भी सदस्य या गृह मंत्री, जिसकी बात को मिसरिप्रेजेंट किया जाता है, उसका आगे साहस नहीं होगा कि वह कुछ भी अबाधित रूप से सदन में कुछ कह सके। तो यह सबसे मुख्य प्रश्न बनता है। हमारे अबाधित रूप से कहने पर यह हमला करता है।

दूसरी बात उसी समाचार को देखें तो उसका विश्लेषण करते हुये, आगे बढ़ाते हुये यहां तक कहा है कि अब पुलिस बेचारी क्या कर सकती है। असेम्बली के माननीय सदस्य अगर इस प्रकार के जुर्म करने वालों को शरण देते हैं। तो यह लांछन अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है अगर सदन के सदस्य इस प्रकार की गम्भीर बात करते हैं और गृह मंत्री के कथन से उसको ले करके लिखा जाय कि पुलिस या प्रशासन कुछ नहीं कर सका है तो इससे न केवल माननीय गोविन्द नारायण तिवारी और गृह मंत्री पर बल्कि पूरे सदन पर यह आक्षेप आता है कि सदन इस बात के लिये जिम्मेदार है। यह मैं समझता हूं अत्यन्त गम्भीर चीज है।

अभी कुछ दिन पहले लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने .....

श्री अध्यक्ष---आप उसके विस्तार में न जायं।

श्री चन्द्रजीत यादव---मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। उदाहरण दे रहा हूं। उन्होंने हमारे सदन की प्रोसीडिंग के बारे में कुछ दो, एक शब्द कहे कि "दे वेयर एवसट्रीमली शाक्ड" मेम्बर्स वेयर इल इनफार्म्ड" इसको लेकर आपने रूलिंग दी थी कि यह प्राइमाफेसी केस बनता है और कमेटी को सुपुर्द किया कि वह जांच पड़ताल करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरी प्रार्थना है कि चूंकि माननीय गृह मंत्री इस समय बीमार हैं, उनका बयान लेना आवश्यक है क्योंकि इशारा करने की बात छापी गई है। तो उस दिन की प्रोसीडिंग की भी जांच पड़ताल करना आवश्यक है तथा अखबार के लोगों ने जिस प्रकार से छापा है, उसकी जांच की जाय कि कैसे छापा। यह सब जांच करना नितांत आवश्यक है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह केस बनता है प्राइमाफ़ेसी या नहीं, मेरी तो राय है कि बनता है, इसकी जांच करने के लिये आप इसको प्रिविलेज कमेटी को सुपुर्द करें। अभी हाल में पार्लियामेंट में एक माननीय सदस्य के कथन को लेकर कुछ बात छपी। उसके लिये लोक सभा के अध्यक्ष ने एक कमेटी का निर्माण किया और कहा कि वह इसकी जांच करे। क्योंकि फिर तो हम सदन में अबाधित रूप से नहीं कह सकते अगर हमारी बातों को बाहर मिसरिप्रेजेंट किया जाय। इसलिये आप इसको प्राइमा फेसी केस मानें तो प्रिविलेज कमेटी को सुपुर्द कर दें। और अगर नहीं मानें तो कमेटी को जो अधिकार है जांच करने का कि प्राइमा फेसी केस बनता है कि नहीं, यह तय वहां हो जाय तब इसका निराकरण किया जाय।

श्री अध्यक्ष—(श्री रामस्वरूप वर्मा के खड़े होने पर) अब मैं काफी सुन चुका हूं क्योंकि इस तरह से तो सभी पार्टियों के एक, सदस्य बोलेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—कुछ दो, एक बातें इस प्रश्न में ऐसी रह गई हैं जो मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—तो आप ५ मिनट में कह दीजिये।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय रामस्वरूप वर्मा जी को आप इजाजत दे रहे हैं स्पेशली तो हमको भी इजाजत दी जाय कुछ कहने की।

***श्री रामस्वरूप वर्मा**—इस प्रश्न में, श्रीमन्, दो बातें हैं। एक तो यह समाचार पत्र में जो प्रकाशित हुआ है कि कोई माननीय सदस्य ने ११० धारा के मुलजिम की जमानत करायी जिससे पुलिस के लिये परेशानी की बात हो गई। तो एक तो सदन में ऐसा कहा गया कि नहीं पहली बात तो यह है जहां तक मुझे ज्ञान है मैं भी उस दिन सदन में उपस्थित था, इस प्रकार की कोई बात कही नहीं गयी थी। यह मेज पार्लयामेंटरी प्रैक्टिस का १५ वां एडीशन है। इसके पेज १२७ पर लिखा है

"Wilful misrepresentation of the proceedings of Members is an offence of the same character as a libel."

यानी अगर कोई आपत्तिजनक प्रकाशन होता है किसी को बदनाम करने के लिये तो वह आफेंस हो जाता है। अब गृह मंत्री जी के लिये यह कहा गया कि उन्होंने यह कहा। तो जो घटना सदन में नहीं घटी उसके संबंध में कहना यह निश्चित रूप से प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—यह कोई नया प्वाइंट नहीं है। यह कहा जा चुका है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—माननीय नवलकिशोर जी ने भी कहा और आपने भी कहा कि एक सदस्य का जमानत करना कोई जुर्म नहीं है कामन ला में। लेकिन जिस प्रकार उसका प्रकाशन हुआ उससे यह बदनामी की बात हो जाती है जिसके संबंध में पेज १२२ पर लिखा है

"Written imputations, as affecting a member of Parliament, may amount to breach of privilege, without, perhaps being libels at common law."

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

यानी कामन ला में चाहे दोषपूर्ण न भी हो, लेकिन रिटेन इम्प्यूटेशंस अगर मेम्बर को एफेक्ट करते हैं तो वह ब्रीच आफ प्रिविलेज हो जाता है। अखबार में जो छपा वह यह है कि जो आदमी बदमाश हैं उनको पनाह देने वाले जब एम०एल०ए० होंगे तो कैसे काम चलेगा। ११० को जमानत करना कामन ला में कोई दोष नहीं है, लेकिन जो इम्प्यूटेशन उसमें है कि सदन के माननीय सदस्य मर्यादा भंग करते हैं इससे निश्चित रूप से माननीय सदन की प्रतिष्ठा पर धक्का लगेगा। इसलिये प्राग्दर्शन में प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता हो जाती है क्योंकि जानबझ कर सदन की कार्यवाही को गलत छाप कर उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगाने का प्रयत्न किया गया है।

तीसरे, जो सदन की कार्यवाही होती है वह एविडेंस ऐक्ट के अनुसार कन्क्लूसिव एविडेंस होता है और जब उस संबंध में कोई चीज अखबार में निकलती है तो देश का कोई आदमी उस पर शुबहा नहीं कर सकता। तो यह निश्चित रूप से उसकी प्रतिष्ठा पर धक्का लगता है क्योंकि इसमें किसी की साजिश की गुंजायश नहीं है। अगर यह घटना सदन के अन्दर की न हो कर उसके बाहर की होती तो जैसा कि माननीय नवलकिशोर जी ने कहा मैं उनसे सहमत हूं कि तब यह निश्चित रूप से एक सूट आफ डिफेमेशन होता और अदालत में जाता। लेकिन चूंकि यह सदन की कार्यवाही का हवाला देकर लिखा गया है इसलिये यह निश्चित रूप से प्राग्दर्शन में अवहेलना का प्रश्न बनता है।

*श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। केवल देखना यह है कि यह मैलाफाइडी है या नहीं। मैं माननीय नवलकिशोर जी का अनुगृहीत हूं कि उन्होंने फैक्ट्स सदन में ला दिये कि दो अखबार हैं, 'बुन्देला' और 'हलचल' जिसमें से एक पी० एस० पी० का समर्थन करता है और दूसरा कांग्रेस का और एक दूसरे को बदनाम करने की उनकी पुरानी कोशिश है। उन्होंने कहा कि 'हलचल' में इससे भयंकर बातें छपी हैं पहले। चाहे शब्द उनके ये न हों, लेकिन अर्थ यही था। ऐसे वातावरण में हमें यह देखना है कि यह मैलाफाइडी है या बोनाफाइडी। उस अखबार ने इस तरह से इस अखबार को दे रक्खा है, "जालौन में प्रसोपा के घर में ११० का मुलजिम"। यानी इस तरह से लिखा है कि पढ़ते ही आदमी की नजर उस पर पड़ जाय कि प्रसोपा मुलजिम को घर में रखती है। मैं उस दिन मौजूद था। गृह मंत्री जी ने यह बताया था कि फलां पार्टी में इतने हिस्ट्रीशीटर्स हैं, फलां में इतने हैं और फलां में इतने हैं। कुछ इस तरह का स्टेटमेंट माननीय चरणसिंह जी का था जो छपा भी है।

श्रीमन्, यह चरणसिंह जी का स्टेटमेंट था और वही छपा था। उन्होंने यह कहा था कि सभी पार्टियों में हैं और कोई अछूती नहीं है। इसके बाद शायद यह अखबारों में निकलता है और जनता के दिमाग में वातावरण था कि पोलिटिकल पार्टी वाले बदमाशों को अपने साथ रखते हैं और उनसे पार्टी का काम करवाते हैं। इस बात से लाभ उठाकर विद्वान लेखक ने अपनी लेखनी से यह साहित्य लिखा कि ११० में जिस मुलजिम का चालान हुआ था उसको छुड़ाया गया। श्रीमन्, यह बिलकुल ठीक है कि उसको जमानत पर छुड़ाना कोई जुर्म नहीं है और न कोई गुनाह ही है, लेकिन जो सारा वातावरण बना है यह उसका सरचार्ज है कि जमानत पर छुड़ाकर उस मुलजिम को अपने बंगले पर रख है।

श्री अध्यक्ष---मैंने प्रश्न इसलिये पूछा था कि अगर कोई एम० एल० ए० समझता है कि वह किसी की जमानत दे दे तो वह कृत्य क्या आप बुरा समझेंगे ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---वह तो श्रीमन् ठीक है और कितने ही भले आदमी लोगों की जमानत देते हैं। लेकिन यह कि मुलजिम को छुड़ाकर अपने बंगले में रख लिया, यह एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़ी भयंकर बात है कि जनता के प्रतिनिधि इस तरह से बदमाशों को छुड़ाकर पनाह दें और छिपाकर अपने बंगले में रखें। श्रीमन्, इस अखबार में लिखा है कि "लोगों में खुस फुस थी कि जब माननीय विधान सभा के मेम्बर ही जुर्म करने वालों की रक्षा करेंगे और अपने घरों में सजायाफ्ता कातिल और डकैतों को पनाह देंगे तो इस प्रदेश की जनता का क्या हाल होगा बेचारी पुलिस को फिर क्या दोष लगाया जाय।" इसका अर्थ स्पष्ट हो गया कि कातिल और डकैतों की रक्षा करने का कार्य खास तौर से जालौन के माननीय सदस्य का रहा। जो कुछ उन्होंने किया वह एम०एल०ए० की हैसियत में आता है कि उसका नाजायज फायदा उठाकर वह मुलजिम की रक्षा करते हैं। यह बात उन्होंने जनता को स्पष्ट बता दी कि माननीय चरण-सिंह जी के कथन से यह निकलता है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि बिलकुल उल्टा कर दिया। किसी बात का कोई मोटिव होता है। वह तो माननीय नवलकिशोर जी ने बता दिया कि बदनाम करने का मोटिव है। अब इस तरह से मोटिव हो गया, ऐक्शन हो गया और एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तीसरी बात से पत्र का ज्यादा संबंध नहीं है। सिर्फ यह कि हम मालूम कर सकते हैं कि समाचार किस ने दिया है। अगर माननीय चतुर्भुज शर्मा जी समाचार देने वाले हैं तो वह अबेटमेंट में आ जाते हैं। किसी अखबार में अगर कोई समाचार प्रकाशित होता है तो उसकी जिम्मेदारी लेखक, मुद्रक और प्रकाशक तीनों पर आती है। अब लेखक का नाम भी मालूम हो गया है तो यह प्राइमाफेसी केस बनता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको किसी कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि वह प्रिविलेज के सवाल को देखे।

(श्री गौरीशंकर राय जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--आप बार-बार उत्तर नहीं देंगे।

श्री गौरीशंकर राय--मान्यवर, अन्य लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं इसलिये मैं भी सारी बातों को बयान करूंगा।

श्री अध्यक्ष--मैंने मना किया था कि आप इसका जिक्र न करें।

श्री गौरीशंकर राय--आपने पूरा सुनकर मना किया था।

श्री अध्यक्ष--पूरा तो आपने भी कह दिया। मैं क्या करूं।

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तमाम अपने मित्रों की बहस सुनी और नेता सदन की भी बहस सुनी, (व्यवधान) धोखे में ऐसी बात हो जाय तो कोई बात नहीं है। मेरा मतलब नेता विरोधी दल से था। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने भाई त्रिलोकीसिंह जी की भी बात सुनी और कुछ मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की दफायें और उसके हिस्से उद्धृत किये गये। मेरी समझ में तो केवल बात इसमें इतनी आती है कि आया यहां की प्रोसीडिंग्स का परवर्टेड मिसरिप्रिजेंटेशन हुआ या नहीं। कुल इतनी ही बात है; बहस चाहे जितनी की जाय और चाहे जितना इसे बढ़ाया जाय, चाहे जितने आदमियों को इसको लपेट में लाने की कोशिश की जाय, लेकिन केवल इतनी ही बात है और वह जो मेम्बरों बातें बताई गई हैं उनमें भी परसिस्टेंट परवर्सन होना चाहिये। अगर माननीय अध्यक्ष इस बात से मुतमईन हैं कि वह परसिस्टेंट परवर्सन है, परसिस्टेंटली मिसरिप्रेजेंटेशन किया है तब तो प्राइमाफेसी केस हो सकता है एडीटर के खिलाफ, वरना नहीं हो सकता है और मैं समझता हूं, जहां तक कि मेरी जानकारी है उस अखबार का कोई रेप्रेजेन्टेटिव भी यहां नहीं रहता है, कुछ सुनी सुनायी बातें उन्होंने लिख दी, जरा सी बेअक्ली से काम किया, लिहाजा मेरा यह सुझाव है कि अगर माननीय अध्यक्ष उस एडीटर को लिखें और वह तब भी परसिस्ट करे अपनी बात को, तब उसके खिलाफ यह सवाल उठाया जा सकता है और अगर वह उसे सुधार देता है, तो परसिस्टेंट परवर्शन में वह बात नहीं आती है। इतनी ही बात मुझे अर्ज करनी थी।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि मैंने तो सबकी बात सुन ली। अब मैं कल इसके ऊपर फैसला दूंगा सबका भाषण पढ़कर और जिन जिन ने कोट किया है, उनके कोटेशंस को देखकर क्योंकि वक्त भी बहुत हो गया है और थोड़ा सा लम्बा मुझे भी फैसला देना पड़ेगा सब कोट करते हुये, इसलिये कल मैं इस विषय में फैसला दूंगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत मिल-मालिकों की ओर से गन्ना पेरने में ढिलाई के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष---अब नियम ५२ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषयों के ऊपर ध्यान आकृष्ट करने के लिये जो विषय रखे जाते हैं उनमें एक श्री गेंदासिंह जी का मैंने स्वीकार किया है। वह इस प्रकार है---

"प्रदेश की अधिकांश चीनी मिलें गन्ने की पेराई में ढिलाई कर रही हैं ताकि गन्ना उत्पादकों में घबराहट उत्पन्न हो, और किसी भी मूल्य पर मिल मालिकों को गन्ना देने के लिये विवश होने को तत्पर रहें। सुरक्षित तथा अभ्यर्पित दोनों क्षेत्रों के गन्ना उत्पादकों का गन्ना बिकवाने की तथा तत्काल उचित कीमत दिलवाने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इस कार्य में सरकार बुरी तरह असफल हो रही है और गन्ना खड़ा रह जाने का भय लगता है। प्रदेश के कतिपय गन्ना क्षेत्र, जैसे देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, लखीमपुर, बरेली, पीलीभीत, नैनीताल ये विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

दूसरी ओर कुछ मिलें बन्द हो रही हैं जिससे लाखों गन्ना उत्पादकों में बेचैनी तथा घबराहट उत्पन्न हो गयी है। प्रत्येक मिल के लिये सरकार निश्चित रूप से यह घोषित नहीं कर पा रही है कि वह मिलें कब तक चलेंगी और उस क्षेत्र का गन्ना पेरने से शेष नहीं रहेगा। सरकार की इस अनिश्चित नीति के कारण किसानों की दयनीय अवस्था का अनुचित लाभ मिल-मालिकान गन्ने की खरीदारी, तौल तथा कीमत न देने में व्यापक रूप से उठा रहे हैं। प्रदेश के गन्ना उत्पादकों में यह भय व्याप्त है कि उनका गन्ना पेरने से बाकी रह जायेगा और कीमत भी मिल मालिकान देने में नियम एवं कानून का उल्लंघन कर रहे हैं।

अतः इस लोक महत्त्व के निश्चित आवश्यक एवं अविलम्बनीय प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के लिये प्रक्रिया नियमावली के नियम ५२ के अनुसार आज सदन में आपकी अनुज्ञा चाहता हूं।"

माननीय मुख्य मंत्री जी कब इसके ऊपर वक्तव्य देंगे?

सूचना उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)---मैं आपसे यह दरख्वास्त करूंगा कि आप मुझे वक्त दें, परसों मैं इसका जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष---ठीक है। परसों आप वक्तव्य देंगे।

एक सदस्य---परसों तो श्रीमन्, बन्द है।

श्री अध्यक्ष---नहीं, परसों बन्द नहीं है।

श्री रूमीसिंह (जिला शाहजहांपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष---अभी और भी नियम ५२ के प्रश्न हैं।

जलालपुर (थाना टंडियावां) में डकैती पड़ने तथा पुलिस द्वारा डाकुओं की सहायता पहुंचाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य—(क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष——अब जलालपुर जिला हरदोई के प्रधान श्री दुर्गाप्रसाद के घर में डकैती पड़ने के संबंध में सर्वश्री गोविन्दसिंह बिष्ट और टम्बरेश्वर प्रसाद ने ध्यान आकृष्ट करने के लिये जो प्रस्ताव दिया था उस पर गृह मंत्री जी वक्तव्य देंगे।

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)——श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से दिनांक ५ मई, १९६१ को नियम ५२ के अन्तर्गत श्री गोविन्दसिंह बिष्ट तथा अन्य दो सदस्यों द्वारा लोक महत्त्व के प्रश्नों के ऊपर दिये गये वक्तव्य के संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

सदन में ५ मई, १९६१ को माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह बिष्ट तथा अन्य दो सदस्यों द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत उठाये गये जिला हरदोई के ग्राम जलालपुर में २०, २१ अप्रैल, १९६१ की रात में हुई डकैती पर वक्तव्य दिया गया था तथा कुछ अनुपूरक प्रश्न भी पूछे गये थे। अनुपूरक प्रश्नों के दौरान में माननीय सदस्य श्री बुलाकीराम वर्मा ने अपने पत्र का संकेत किया था जो उन्होंने गृह मंत्री जी को भेजा था। इस पत्र में माननीय वर्मा जी ने जलालपुर गांव में वहां के प्रधान श्री दुर्गाप्रसाद के घर पर पड़ी डकैती के संबंध में गांव में उपस्थित पुलिस गार्ड की अकर्मण्यता का आरोप लगाया है। उन्होंने पत्र में विशेषकर यह लिखा है कि गार्ड के दो सिपाही डाकुओं के साथ श्री दुर्गाप्रसाद के मकान पर गये और एक सिपाही मकान की छत पर राइफल लेकर खड़ा हो गया। उन्होंने यह भी कहा है कि गार्ड के दो सिपाही जो मकान के पूर्व में राइफल लेकर खड़े थे बजाय मकान की तरफ फायर करने के पूर्व, उत्तर और दक्षिण की तरफ फायर करते रहे। उन्होंने यह भी बताया कि अगले दिन सुबह मकान की छत पर राइफल की मैग्जीन, २ बगैर दगे और सात आठ दगे कारतूस मिले। इसके अतिरिक्त दुर्गाप्रसाद के मकान के पीछे एक लाठी और एक झोला जिसमें सिपाही की तहमत और एक टार्च थी, भी मिले। माननीय वर्मा जी का यह पत्र प्राप्त हो गया है। इसमें उठाये गये प्रश्नों की जांच हो रही है और यदि आवश्यक होगा तो इसकी जांच सी० आई० डी० से भी कराई जायेगी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)——क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अभी तक की जांच से क्या कोई प्राइमाफेसी केस बन गया है?

श्री धर्मसिंह——जी, इतना जरूर पता चला है कि जो वहां पर गार्ड मौजूद थे उनकी थोड़ी बहुत लापरवाही थी। उन्होंने ठीक देखभाल नहीं की। वहां पर जो डकैत गये उनको रोकने की कोशिश तो की, लेकिन ठीक प्रकार से अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुये कार्य नहीं किया।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)——क्या यह सही है कि जहां पर डकैती पड़ी उस मकान की छत पर कुछ खाली कारतूस भी मिले।

श्री धर्मसिंह——जी हां, कुछ कारतूस मिले हैं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)——क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो चार आर्म गार्ड के सिपाही इससे संबंधित हैं वे मुअत्तल कर दिये गये हैं या नहीं और उनके हथियार रखा लिये गये हैं या नहीं?

श्री धर्मसिंह——वह मुअत्तल कर दिये गये हैं और मुअत्तल करते समय जो भी कायदे कानून बरते जाते हैं, उनका पूरे तरीके से पालन किया गया है।

---

†५ मई, १९६१ की कार्यवाही से।

श्री गोविन्दसिंह दिष्ट--क्या माननीय मंत्री जी को यह पता चला है कि वहां पर जो स्थानीय पुलिस के बड़े कर्मचारी हैं उन्होंने अब इस सवाल को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है और उन्होंने माननीय सदस्य श्री बुलाकीराम जी के कहने से कुछ भी करने से इन्कार कर दिया है ?

श्री अध्यक्ष--मैं इस सवाल की इजाजत नही दूंगा। यह राय का सवाल है।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वह जो खाली कारतूस उस मकान की छत पर मिले हैं वह पुलिस के ही कारतूस थे ?

श्री धर्मसिंह--फिलहाल वे जमा है। उनके बारे में निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता। अभी उसमें जांच हो रही है।

श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वक्त जांच कौन कर रहा है ?

श्री धर्मसिंह--फिलहाल जिलाधीश तथा सुपरिन्टेडेन्ट आफ पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है।

श्री बुलाकीराम--क्या माननीय मंत्री महोदय इस मामले की जांच सी० आई० डी० के द्वारा करायेंगे बजाय एस० पी० या और किसी अधिकारी के ?

श्री धर्मसिंह--फिलहाल ऐसा विचार नहीं है। जो माननीय सदस्य ने पत्र लिखा है उसकी सूचना प्राप्त होने के बाद इस पर पूरे तौर से विचार किया जायगा। अगर यह मामला बहुत गम्भीर हुआ तो इसको सी० आई० डी० को सौंप दिया जायगा जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अब इसके ऊपर और अधिक प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है।

मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी आदि जिलों में गल्ले के भाव में गिरावट के कारण किसानों में बेचैनी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--अब श्री टीकाराम पुजारी द्वारा दी गई ४ मई, १९६१ की सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य होगा।

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)--अध्यक्ष महोदय, श्री टीकाराम पुजारी ने नियम ५२ के अन्तर्गत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि किसानों को दिसम्बर तथा जनवरी माह में उपयोग के लिये और बोवाई के समय बीज के लिये गल्ला काफी महंगें दामों पर खरीदना पड़ा है और इस के लिये किसानों को दो आना प्रति रुपया ब्याज भी देना पड़ेगा, परन्तु उन्हीं अनाजों के दाम इस समय अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मैनपुरी और एटा जिलों में बहुत ही गिर गये हैं, जिससे किसानों में काफी चिन्ता उत्पन्न हो गई है।

(इस समय १ बजकर ४७ मिनट पर अध्यक्षता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुई।)

यह प्राकृतिक नियम है कि जब बाजार में अनाज पर्याप्त मात्रा में होता है तो भाव नीचे की ओर होते हैं, परन्तु उन्हीं अनाजों की जब बाजार में आमद कम हो जाती है तो भाव ऊंचे उठ जाते हैं। किसान जिस समय रबी की फसल की बुआई करता है वह बाजार में कमी का समय होता है, क्योंकि बाजार में इन गल्लों की आमद बिलकुल कम हो जाती है और इसलिये मूल्य ऊंचे रहते हैं, परन्तु आज कल नई फसल पर्याप्त मात्रा में बाजारों में आ रही है, इसलिये मूल्यों का रुख नीचे स्तर की ओर है। यह समस्या कोई इसी साल नहीं है। वर्ष प्रति वर्ष यह बराबर

और अनुभव किया जाता है। अतः इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दिसम्बर तथा जनवरी के मुकाबिले इस समय रबी के अनाजों के मूल्य गिरे हुये हैं जैसा कि निम्नलिखित उत्तर प्रदेशीय मासिक औसत मूल्यों से विदित होगा—

खाद्यान्न	नवम्बर १९५८	मई १९५९	फर्क
गेहूं	२२.५९	१६.५३	–६.०६
चना	१८.५७	१३.४०	–५.१७
जौ	१७.७४	११.९९	–५.७५
मटर	१७.४४	१३.१७	–४.२७

इसी प्रकार इस साल भी रबी के गल्लों के भावों में नवम्बर तथा दिसम्बर के मुकाबिले में कमी हुई है। जो निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के मासिक औसत आंकड़ों में विदित होगा :—

खाद्यान्न	नवम्बर १९६०	अप्रैल १९६१	फर्क
गेहूं	१६.५६	१५.२७	–१.२९
चना	१५.९३	१३.३८	–२.५५
जौ	१२.७९	१०.४५	–२.३४
मटर	१३.४४	११.२२	–२.२२

जहां तक श्री पुजारी द्वारा कथित ५ जिलों का संबंध है उनमें इस सयय निम्नलिखित भाव हैं :—

जिलों का नाम	मई १९६१ का प्रथम सप्ताह गेहूं	चना	जौ	मटर
मथुरा ..	१५.५०	१२.२५	१०.७५	११.००
आगरा ..	१४.५०	१२.७५	१०.५०	१०.००
अलीगढ़ ..	१४.५०	१३.००	११.५०	१०.२५
एटा ..	१४.५०	१२.५०	११.००	९.७५
मैनपुरी ..	१४.००	१२.००	१०.५०	१०.००

ऊपर लिखे भाव इतने नीचे नहीं आये हैं कि राज्य सरकार को इन्हें रोकने के लिये कोई कदम उठाना आवश्यक हो क्योंकि १९५४ तथा १९५५ में गल्ले के भाव गिरने से रोकने के लिये राज्य सरकार ने भारत सरकार के आदेश पर निम्नलिखित भावों पर खुले बाजार में खरीद जारी की थी :—

ज्वार या मक्का ५.५० रुपये प्रति मन, बाजरा ६.०० रुपये प्रति मन, गेहूं १०.०० रुपये प्रति मन, चना ६.०० रुपये प्रति मन।

[श्री धर्मसिंह]

जहां तक गल्ला बीज तथा उपभोग के लिये खरीदने का प्रश्न है वहां तक राज्य सरकार ने और सालों की भांति पिछले साल भी उपभोग के लिये सस्ता गल्ला सरकारी दूकानों के द्वारा तथा बीज का अनाज सहकारी तथा कृषि बीज गोदामों के द्वारा आवश्यकतानुसार वितरण करने का प्रबन्ध किया था।

मैं इस संबंध में यह भी बता देना आवश्यक समझता हूं कि यह जो भाव इस समय गिर रहें हैं यह एक टेम्पोरेरी फेज है और जब यह पीरियड समाप्त हो जायेगा तो दाम बढ़ जायेंगे, फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को भी लिख दिया है और आगे जो भी आवश्यक कार्यवाही समझी जायेगी वह की जायेगी।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या सरकार इस बात को देखते हुये कि जब बाजार में गल्ला आता है और किसान की फसल तैयार होती है तब उसके दाम गिर जाते हैं, किसान की जरूरत की जो और चीजें हैं उनके दामों में उसी हिसाब से समानता लाने की कोशिश करेगी ?

श्री धर्मसिंह—वह तो मार्केट की सप्लाई और डिमान्ड पर निर्भर रहता है, हम उसको कैसे कर सकते हैं ?

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार ने इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले इस प्रश्न पर भी विचार किया कि सन् १९५२-५३ के मुकाबले जो भाव इस वक्त गल्ले का है वह बहुत कम है और उसकी तुलना में जो इन्डस्ट्रियल माल है उसकी कीमत कितनी चढ़ी है तथा भावों की तुलना अगले अनाज के भावों से नहीं हो सकती ? क्या सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा कि किसान उन चीजों को पहले खरीदता है और अनाज पैदा करता है ?

श्री धर्मसिंह—श्रीमन्, १९५२-५३ के आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन सन् १९५४-५५ में जब भाव गिरे तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह निश्चय किया कि वह गल्ले को खरीदे और उसने खरीदा। गल्ले के दाम जब गिरते हैं तो उसका कारण होता है। जहां तक और बातों का संबंध है, उनमें यह कैसे लागू हो सकता है।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—इस बात को देखते हुये कि किसान के माल के भाव गिर रहे हैं और जो पूंजीपति लोग हैं वे कीमत को गिराने में योग दे रहे हैं, सरकार उनके माल को उचित कीमत पर खरीदने का कष्ट करेगी ?

श्री धर्मसिंह—मैंने निवेदन किया कि इस वक्त जो दाम गिर रहें हैं वह एक टेम्पोरेरी फेज हैं, क्योंकि इस समय माल मन्डियों में आ रहा है। सरकार उसके बारे में पूरी तरह से सतर्क है और भारत सरकार को भी उसके बारे में लिखा गया है। अगर इसी तरह आगे भी भाव कम होते रहे तो सरकार उसके बारे में कोई उचित कार्यवाही करेगी।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—इस बात को देखते हुये कि केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री पाटिल ने इस बात का एलान किया है कि देश में इस साल फसल अच्छी हुई है और प्रदेशीय सरकार ने भी समय समय पर इस बात का विश्वास प्रकट किया है कि दूसरे सालों से इस साल फसल अच्छी है तथा जो ट्रेन्डेन्सी इस साल मन्डियों में दिखाई पड़ रही है जिससे कि आने वाले महीनों में और मूल्य गिरने की संभावना है, अर्थात् चीजों के दाम और गिरेंगे, सरकार इनके दामों पर कोई कन्ट्रोल करने के लिये या उनकी कीमत में कोई बैलेन्स रखने के लिये प्रयत्न कर रही है अथवा करना चाहती है ?

श्री धर्मसिंह—भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय किये हैं और जहां तक उन सारी बातों का संबंध है उनके अनुसार कार्य होगा और अगर कोई हिदायतें गल्ले के संबंध में उनकी आती हैं कि ऐसा किया जाय तो उस पर विचार किया जायेगा, वैसे जैसा कि मैंने निवेदन किया

यह तो टेम्पोरेरी फेज है और अगर आगे चल कर भी कीमत गिरती गयी तो सरकार उस पर कोई कार्यवाही जरूर करेगी।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--क्या मंत्री महोदय को पता है कि योजना आयोग के एक सदस्य ने गत वर्ष इसी विधान भवन में सदस्यों के सामने भाषण देते हुये कहा था कि अधिक उत्पादन की दृष्टि से किसानों को संरक्षण देना आवश्यक है, इसलिये आगामी दस वर्ष में यदि गेहूं का भाव १४-१५ रुपये मन से कम होगा तो सरकार स्वयं खरीदेगी ताकि किसानों को संरक्षण मिल सके और अधिक अन्न उपजाने का उनको प्रोत्साहन मिल सके ? यदि हां, तो क्या आज के गिरते हुये भावों को देखते हुये सरकार स्वयं अनाज खरीदने के लिये योजना आयोग से आदेश लेने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह--सन् १९५४-५५ में ऐसा किया गया था, लेकिन अभी वह स्टेज नहीं आई है। यदि वह स्टेज आयेगी तो सरकार विचार करने के बाद उस पर कार्यवाही करेगी।

श्री गेंदासिंह--मंत्रीजी ने कहा कि अगर भाव बराबर गिरते रहे तो यत्न किया जायगा उसको रोकने के लिये। तो क्या इसका अर्थ यह है कि जब किसानों से गल्ला निकल कर बीच वालों के पास चला जायगा उस वक्त सरकार विचार करेगी कि भाव को ठीक करने के लिये क्या किया जाय, या इसका क्या अर्थ है, यह मंत्री जी स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह--मैंने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जहां तक गल्ले के दामों की बात है अगर हम पिछले आंकड़ों को देखें तो हर साल इस समय गल्ले के भावों में कमी हो ती है। यह एक टेम्पोरेरी फेज है जिसके कारण भाव गिर रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह से भाव गिरते रहे तो सरकार पूरी तरह से विचार करके कुछ न कुछ कार्यवाही करेगी।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि गल्ले के भाव गिर रहे हैं और आगे भी गिरने की सम्भावना है। दूसरी ओर किसानों से तकावी जो कोआपरेटिव सोसायटीज के जरिये से दी गई और बीज जो कोआपरेटिव स्टोर्स के जरिये से दिया गया, वह वसूल किया जा रहा है, अतएव मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब तक टेम्पोरेरी फेज से भाव गुजर रहे हैं तब तक के लिये क्या वे कोआपरेटिव स्टोर के बीज का बकाया और तकावी का बकाया की वसूली को रोकने की कृपा करेंगे या किसानों को ब्याज में कोई छूट देने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह--यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा मैंने वह बात नहीं कही कि इसी तरह से आगे भी भाव गिरते रहेंगे, बल्कि मैंने यह कहा कि इस समय मैंने यह कहा कि इस समय एक टेम्पोरेरी फेज है क्योंकि अभी फसल पैदा हुई है और किसान को मजबूरी में गल्ला लाना पड़ता है और किसान जो गल्ला लाता है उसे वापस नहीं ले जाता बल्कि बेचकर ही जाता है। ऐसी हालत में आगे क्या स्थिति होगी उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री अब्दुलरऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि जब किसान के घर गल्ला रहता है और भाव बढ़ता है तो लेवी लगाकर उसके भाव को जबरदस्ती कम करके सरकार खरीदना शुरू कर देती है और कम दाम पर बेचने के लिये उनको मजबूर कर देती है तो अब जब भाव गिर रहे हैं और मंत्री जी इस बात की आशा करते हैं कि ऐसे ही गिरते जायेंगे तो किस स्तर तक भाव गिरने के बाद सरकार खरीदना शुरू करेगी ?

श्री धर्मसिंह--जहां तक लेवी की बात है, वह गेहूं पर या कोर्स ग्रेन्स पर नहीं है केवल चावल पर लेवी है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार ने भावों को रोकने के लिये जो तजबीज अपने पास रखी है उसमें क्या यह भी तजबीज है कि अगर और भाव गिरते गये तो निकट भविष्य में लेवी सिस्टम लगाया जायगा और बफर स्टाक भी बढ़ाया जा सकता है ?

श्री धर्मसिंह---भविष्य की बात के लिये अभी निर्णय नहीं किया जा सकता ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--- किस स्तर पर गल्ला खरीदा जायगा इसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया ।

श्री गेंदासिंह--- मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार की समझ में यह कब तक आ जायगा कि अनाज की कीमत को इस जगह पर रोकना चाहिये, इससे नीचे न गिरने पाये ?

श्री धर्मसिंह---सन् १९५४-५५ में जो नीति अपनाई गई थी वह स्टेज अभी नहीं आई है ।

श्री अधिष्ठाता---अब काफी प्रश्न हो चुके हैं । अब आगे का कार्यक्रम होगा ।

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषय के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)---अधिष्ठाता महोदय, मुझे कुछ निवेदन करना है । नियम ५२ के सिलसिले में मैंने १०-१५ दिन पहले सूचना दी थी कि शाहजहांपुर जिले में चोरियों और डकैतियों की बाढ़ आ गई है । दिन दहाड़े १२ बजे लूट और डकैतियां हो रहीं हैं । बन्दूक छिन गई, बड़ी भयावह स्थिति है । तो कम से कम मुझे इस बात की सूचना दी जाय कि नियम ५२ का सवाल जो मैंने आज भी दिया और १०-१२ रोज से दे रहा हूं वह मंजूर होगा या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता---यह आप माननीय अध्यक्ष के आफिस में जाकर पूछ लें ।

उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६१ †

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)---माननीया, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६१ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

माननीया यह विधेयक सरकार को मजबूरी में लाना पड़ रहा है और उसमें जो हमारा पुराना ऐक्ट है उसकी धारा ३ में कुछ संशोधन करना पड़ रहा है । अभी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है उस फैसले के अनुसार सरकार को लाजिमी तौर पर इस बात की आवश्यकता महसूस हुई है कि इसमें अमेंडमेंट किया जाय । यह अधिनियम १९५५ में बना था और उस वक्त जो अधिनियम बना था उसके अनुसार....

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---सदन में कोरम नहीं है । अब २ से अधिक बज चुके हैं, कोरम की आवश्यकता है ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री ब्रजनारायण तिवारी---माननीया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मंत्री जी ने इस विधेयक को पेश करते हुये कहा कि किसी कोर्ट के फैसले से मजबूर होकर सरकार को यह करना पड़ रहा है, तो वह फैसला क्या है यह हम लोगों को मालूम हो जाना चाहिये ताकि हम लोग भी उस पर सोच-विचार करके अपने विचार प्रकट कर सकें ।

---

† ५ मई १९६१ की कार्यवाही में छपा है ।

श्री अधिष्ठाता--माननीय मंत्री जी अपने भाषण में उसे स्पष्ट कर देंगे ।

श्री धर्मसिंह--अधिष्ठात्री महोदया, जहां तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संबंध है, मेरे पास जो प्रतिलिपि थी, वह माननीय सदस्यों को देखने के लिये मैंने आपको समर्पित कर दी है . . .

श्री अधिष्ठाता--वह अवस्थी जी के पास है, माननीय सदस्य देख लें ।

श्री धर्मसिंह--तो जो १९५५ में अधिनियम बना था उसके द्वारा गाय और गाय के वंश का, जिसमें बैल, सांड़ बछिया तथा बछड़ा भी शामिल है, वध पूर्णतः निषेध कर दिया गया था । कुछ लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद १९५८ में सरकार ने उस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजा । उसमें कुछ तब्दीलियां कीं, जो धारा ३ है, कि कोई ऐसी गाय, बछड़ा या जानवर जिसकी उम्र २० साल तक है, सर्विसेबिल इत्यादि है उसका वध नहीं किया जा सकता । दूसरी बात धारा ३ में लिखी गई कि एक अथारिटी का सार्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि कौन-सा जानवर वध करने लायक है या नहीं और उसके बाद प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को राईटिंग में देना पड़ेगा । यदि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी मना करती है तो तो मना है ही और अगर सार्टिफिकेट दे देती है तो २० दिन तक वध नहीं हो सकेगा और उस टाइम के अन्दर अपील करने का अधिकार होगा । इन तमाम बातों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और खास तौर से तीन बातों को लेकर चैलेंज किया गया ।

एक पार्टी मुहम्मद खां ऐण्ड जान, उनका नाम है, और बुचर्स ने, ३ बातों को लेकर चैलेंज किया । पहली बात यह थी कि कोई बुल या बुलक जिसकी उम्र २० साल है वह वास्तव में उस उम्र तक नहीं पहुंचता और उसके पहले ही उसकी यूटिलिटी समाप्त हो जाती है, लिहाजा इसमें कांस्टीट्यूशन के फंडामेन्टल राइट्स का उल्लंघन किया गया है । दूसरे जो शब्द "एंड" उसम लगा दिया गया है धारा ३ में, जिसमें सरकार यह संशोधन करने के लिये जा रही है उसका मतलब यह है कि जो परमानेंटली अन्सर्विसेबिल हैं और एग्रीकल्चर परपजेज के लिये होते हैं वह २० साल तक पहुंचेंगे ही नहीं अगर इसके पहले ही यह तय हो जाता है कि खेती इत्यादि के लिये उनकी उपयोगिता नहीं है तो इसमें पब्लिक इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है और यह संविधान के विरुद्ध है । तीसरी आपत्ति यह थी कि अगर किसी भी काम्पीटेंट अथारिटी के द्वारा यह मना कर दिया जाता है कि यह सर्विसेबल नहीं है या इसकी २० साल की उम्र नहीं है तो उसका वध इत्यादि नहीं हो सकता, लिहाजा २० दिन की मियाद देने के बाद भी आदमी को यह राइट है, खासतौर से जो हमारा पुराना विधेयक था उसमें यह लिखा था कि इजाजत मिलने के बाद २० दिन तक वध नहीं हो सकता, तो अगर इजाजत काम्पीटेंट अथारिटी ने भी दे तो बुचर्स जानवरों को नहीं काट सकेंगे । इन बातों को लेकर जब चैलेंज किया गया तो २३ नवम्बर, १९६० को सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया--

"From the practical point of view these restrictions really put total ban on the slaughter of bull and bullocks."

यानी प्रैक्टिकली जो स्लाटर करने के लिये बुल और बुलक्स हैं उन पर टोटली बैन कर दिया गया है ।

"Even after they ceased to be useful and we must held . . . . . that section 3 of the Uttar Pradesh Act in so far as it imposes unreasonable restrictions on the right of the petitioners."

अनरीजिनेबिल रेस्ट्रिक्शन है जो पिटीशनर्स पर लगा दिया गया है । इस प्रकार से जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन हो रहा है । साथ ही साथ एज के बारे में उन्होंने यह साफ तौर से कहा है--

"We are clearly of the view that the almost unanimous opinion of experts is that after the age, 15, bulls, bullocks and buffaloes are no longer useful for breeding; draught and other purposes."

[श्री धर्मसिंह]

यानी हमारी यह राय है कि १५ साल की उम्र तक ही बैल और बछिया आदि लाभदायक होते हैं ।

यानी १५ साल के बाद उनकी यूटीलिटी समाप्त हो जाती है, ऐसा उनका कहना है । जबकि हमने पहले रखा था २० साल ।

माननीया, इन तीन बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है । पहला यह कि २० साल के बजाय १५ साल कर दिया जाय, दूसरा यह कि ऐण्ड के स्थान पर "आर" कर दिया जाय, तीसरा यह कि हर एक व्यक्ति को अपील करने का राइट होगा । इसके लिये इस विधेयक के द्वारा संशोधन पेश किये गये है । मैं समझता हूं कि यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है । यह प्रदेश के हित में ही है । सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हमको इसे लाना पड़ा । इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इसको सदन पारित करने का कष्ट करे ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६१ को एक प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय जो विधेयक की परिधि भी विस्तृत कर सके और अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत कर देवें ।

माननीया जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है और जिसके बारे में यह कहा गया है कि इसको लाने का कारण यह है कि उच्चतम न्यायालय ने उसको अवैध घोषित कर दिया है । उसके सुधार-स्वरूप यह संशोधन विधेयक लाया गया है ।

अभी हमारे उप मंत्री जी ने यह कहा कि मूल कानून सन् ५५ में पास किया गया था जिसका संशोधन सन् ५८ में हुआ और उसी संशोधन को अवैध घोषित करने का प्रयत्न किया जा रहा है और इसीलिये आज उस पर दूसरा सुधार पेश किया जा रहा है अभी इसमें भी संदेह है कि यह सरकार कानूनी बारीकी से उसको बचा भी पायेगी या नहीं और सरकार निश्चित रूप से यह नहीं जान पायी है कि कानूनी बारीकी से वह कैसे बचे ।

चाहे कोई भी सरकार हो, यह समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से ऐसी उम्र निर्धारित की जा सकती है जो इस बात का प्रमाण हो कि कोई पशु इस उम्र के बाद उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा । इस बाबत आप हाईकोर्ट के फैसले पर ही गौर करें यद्यपि उसमें कई जज रहे और उन्होंने अपने फैसले दिये, उनकी तादाद ५ के करीब है । उस फैसले को माननीय मंत्री जी ने पढ़ा । मैं आपकी आज्ञा से उन के जजमेंट के आखिरी भाग को पढ़ना चाहता हूं । जज ने निर्णय पर पहुंच कर कहा है वह मैं सुनाये देता हूं, वह यह भी कहते हैं कि:

"It is open to the Legislature to enact an illary provisions to give effect to the main object of the Act, namely, the prevention of slaughter of animals like bulls, bullocks or buffaloes which are still useful for the purposes for which they are generally used.

It is pointed out that Acts innocent in themselves may be prohibited and the restrictions in that regard would be reasonable if the same were necesary to secure efficient enforcement of valid provisions. For example, it is open to Legislature, if it feels it necessary, in order to reduce the possibilities of evasion to a minimum to enact provisions which would give effect to the main object of the Legislation."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसका मतलब यह है कि हाईकोर्ट के जजों ने कहा है कि विधायकों को अधिकार है कि वह ऐसे कानून बनाये जिनकी मंशा यह हो कि उन गाय, बैल, सांड़ और भैंसों का वध नितांत बन्द कर दिया जाय जो कि उन कामों के लिये आवश्यक हों जो उनसे लिये जाते हैं ।

श्री धर्मसिंह—मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि यह फैसला हाईकोर्ट का नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट का है । यह हाईकोर्ट के फैसले से सम्बन्धित नहीं है बल्कि सुप्रीम-कोर्ट के फैसले से सम्बन्धित है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मुझे आश्चर्य है कि आप ने सुना नहीं । मैंने उच्चतम न्यायालय का फैसला कहा था । आप ने जो मेरे पास भेजा मैं वही सुना रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही सुना रहा हूं । मैं वह कारण बता रहा हूं कि क्यों अवैध किया है । वह कहते हैं कि ऐसा कानून स्वयं एक प्रकार से निरर्थक या बेमानी हो सकता है । जिनमें यह बंदिश की गई है कि इस प्रकार के काम सम्भव न हो सकें लेकिन उन के साथ-साथ लागू करने की विशेष सुविधा होनी चाहिये । उदाहरण के तौर पर विधायकों को यह अधिकार है कि अगर वह समझते हैं कि वह ऐसी सम्भावनाओं को कम से कम कर दें, जिनमें उसका उल्लेख किया जा सके, ऐसा कानून बना सके जो बिल को पूरी तरह से अमल में लाने के लिये सामर्थ्यवान हो सके । एक प्रकार से जजों ने इशारा किया है कि विधायकों को अधिकार होगा कि जब वह उन आवश्यक पशुओं के बध का निषेध कर रहे हों तो वह उस सम्बन्ध में नियम भी ऐसे बनायें कि जो कारगर हों । मैंने इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को काफी गौर से पढ़ा और इसको पढ़ने के बाद मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि एक तरफ तो माननीय जजेज ने इस बात को स्वीकार किया है कि ऐसे पशुओं का बध निषिद्ध कर दिया जाय, सचमुच निषिद्ध करना आवश्यक होगा उनके लिये कि जो आवश्यक कार्यों के लिये जरूरी हैं । कृषि कार्यों के लिये या अन्य आवश्यक कार्यों के लिये । अब प्रश्न यह है कि यह आवश्यक कहलाने वाले जो पशु हैं उनको किस समय में अनावश्यक समझा जायगा । अगर इस सम्बन्ध में हम न्यायाधीश के निर्णय पर जावें तो वे क्षम्य हैं इस बात के बताने के लिये कि इस हालत के पशु निरर्थक से हो जाते हैं या अनावश्यक हो जाते हैं । तो हमें न्यायाधीशों के निर्णयों पर ज्यादा बोझा डालना होगा । यह एक ऐसी महीन बात है, या ऐसी गुत्थी है, जिसे सुलझाने के लिये या तो हमें वैज्ञानिकों के विचारों को देखना होगा या बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों के विचारों को जानना होगा । मैं इस जजमेंट से ही कुछ हिस्सों को लेकर, जहां इस बात का जिक्र है, यह बताने की कोशिश करूंगा कि किस अवस्था में पशु वध-योग्य हो सकते हैं ।

श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—क्या आपने यह व्यवस्था दे रखी है कि बिना कोरम भी माननीय सदस्य बोलते रहें ?

(घंटी बजाई गई और गण पूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—माननीया, इसमें हमें लाइव-स्टाक सेंसस, पशुओं की सन् १९५६ की गणना का हवाला मिला है । तीन वर्ष से ऊपर वाले पशुओं की संख्या बताई गई है जो कि ब्रीडिंग के यानी बच्चे देने के काबिल नहीं हैं । सन् १९५६ में १,८६,२०१ थी और वह सन् १९५१ में १,६२,७४६ थीं सन् १९५६ में संख्या बढ़ी है । आप देखें कि इस देश में चरागाह कम होते जा रहे हैं, हम चारे की तंगी से तबाह हैं और पशुधन बरबाद होता जा रहा है । यह कृष्ण का देश है जहां दूध की नदियां बहा करती थीं, आज भी हम जन्माष्टमी के बाद दधिकान्डव मनाते हैं, गलियों में दहीं फैलाई जाती है और बच्चे लूट-लूट कर खाते हैं । आज हम पानी मिला दूध उछालते हैं और उत्सव मनाते हैं । यह देश दूध-दही का देश है । इसमें गायों के रक्षक रूप बनकर बड़े-बड़े अवतार हुये हैं । "गो ब्राह्मण रक्षक" ऐसा कहकर ईश्वर का नाम लिया गया ।

मैं धार्मिकता की बात नहीं कहूंगा लेकिन यह अवश्य कहना चाहूंगा कि इस देश में गाय आदि काल से आज तक भी पूज्यनीय रही है । इस बात से कोई इंकार नहीं करेगा कि हम गाय का पालन उतनी अच्छी तरह से नहीं कर सके हैं जैसा कि पाश्चात्य देश करते हैं । यही वजह है

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

कि पाश्चात्य देश के पशुओं की दूध देने की शक्ति हमारे पशुओं से अधिक है। जहां ६५ फीसदी लोगों का पेशा कृषि हो, जैसा कि हमारे देश में है, उसमें हम जहां पशुपालन में पिछड़े हुये हैं वैसे ही अन्न पैदा करने में भी गिरे हुये हैं। पशुधन हो किसान का मुख्य धन है जिसके बल पर वह खेती करता है। खेती बिगड़ने का कारण ही यह है कि पशुधन बिगड़ा हुआ है। आज हमारे नौनिहाल बच्चों की माताओं के लिये, प्रसूताओं के लिये दूध की कमी है और बहुत सी हमारी माताओं और बहनों की इसी कारण मृत्युएं तक हो जाती हैं कि उन्हें दूध नहीं मिल पाता। आज भी हम कृष्ण जी को माखन-चोर कहने में अपने को गौवान्वित समझते हैं। वह इसीलिये है कि हमारे देश में दूध-दही और माखन का बाहुल्य रहा। हमारी सरकार की ओर से भी गोपाष्टमी को मनाने के लिये आदेश निकलते हैं, मंत्री और उपमंत्री जगह-जगह भेजे जाते हैं और उनका कार्य होता है कि उन उत्सवों को जगह जगह-मनावें, जिनमें सैकड़ों और लाखों रुपया भी व्यय किया जाता है। इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि गो-बध रोकने के लिये सरकार सिद्धांततः बैठी है। तो जब हम गो-बध का संवर्द्धन करना चाहते हैं तो क्या बात है, क्या आवश्यकता है कि हम इस बात की बारीकी में जावें कि किस अवस्था की गो-सन्तानों को बध करना ठीक होगा? किन्हीं लोगों की तरफ से एतराज किया गया। यह सारी कार्यवाही किन्हीं सज्जनों की मुक़दमेबाज़ी के कारण है।

हमारे एक भाई मुहम्मद हनीफ वर्सेज़ स्टेट के नाम से बिहार में एक मुक़दमा चला। उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा मौलिक अधिकार है कि हम पशुओं का वध करके, उनके मांस को बेचकर, अपना कार्य कर सकते हैं। अपने अधिकार की सुरक्षा के लिये हाईकोर्ट से उन्होंने सुरक्षा मांगी। हाई कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास किया और आज भी हमें उन्हें सुरक्षा देने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम इस देश के नागरिक सभी हैं और आर्थिक अवस्था में सबकी दिलचस्पी है। हमें देश की आर्थिक अवस्था के इस पहलू को भी देखना पड़ेगा जिसके कारण हमारा यह कृषि-प्रधान देश आज पिछड़ा हुआ है।

आज हमारा देश क्यों पिछड़ा है, क्यों निर्धन है, क्यों बार-बार उन्नतिशील साधनों के अपनाये जाने पर क्यों नहीं बढ़ रही है जिससे लोगों की भूख को मिटा सकें? इस बात को हम नहीं भुला सकते हैं। इसलिये हमें देखना पड़ेगा आखिर पशुधन को बढ़ाने के लिये क्या उपाय करें। अगर यह कहा जाता है कि निकम्मे पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है अतः उनको कसाई-खाने में भेज कर बध कराया जाय, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस तरह से पशुधन की वृद्धि करेंगे? मनुष्य का अगर उदाहरण लिया जाय, अगर इस बात को मनुष्य वर्ग पर लागू करें, क्योंकि आज हम अपने नौजवानों में पौष्टिक पदार्थों की कमी पा रहे हैं, लोगों में पुष्टता पिछले २५ सालों से कम है, नौजवान चश्मा लगाते हैं.....

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—अधिष्ठाता महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं कह रहा था कि आज जो नौजवानों में शारीरिक कमजोरी है, कमर झुकाकर चलते हैं, शारीरिक परिश्रम से जी चुराते हैं, कुर्सी पर बैठ कर ही अपनी आजीविका कमाना चाहते हैं, इन सब से जाहिर है कि उनमें पुष्टता की कमी हो रही है। तो क्या यह उचित होगा कि जो इस तरह के मनुष्य हैं, जिनमें पुष्टता न हो, उनको कसाईखाने भेज कर, फांसी पर लटका दिया जाय

एक तरफ तो सरकार कहती है कि आबादी बढ़ रही है। लेकिन कुछ का यह भी कहना है कि गरीबी में वृद्धि भी ज्यादा होती है, आदमी जितना निर्धन होता है उतने ही उसके ज्यादा बच्चे होते हैं। तो अगर पुष्टता कम हो रही है उनको भी इसी तरह से निकम्मे करार दे कर बध करा दें? आज यह सारा कानून ही इस आधार पर है कि १५ साल के बाद पशुओं को अधिक

निकम्मे होते देखा गया है अतः उन्हें बध योग्य समझा जाय। मैं जानना चाहूंगा देश की आर्थिक स्थिति सम्हालने के लिये क्या यही एक रास्ता है? हरगिज नहीं। मैं माननीय न्यायाधीशों के जजमेंट को काटना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने अपना जजमेंट अपने ढंग से ठीक ही दिया है, लेकिन कितना भी ऊंचे से ऊंचा न्यायाधीश क्यों न हो उसे देश की आर्थिक स्थिति और आवश्यकताओं का उतना ध्यान नहीं हो सकता जो देश की उन्नति के लिये, समृद्धिशालिता के लिये, हम और आपको होता है, जो हमारा कर्त्तव्य भी है कि हम देश की आर्थिक स्थिति को कैसे हल करें। उन्होंने स्वयं इस बात को माना है कि विधायकों का हक है कि वह चाहें तो इस प्रकार से सोचें:—

"For example it is open to Legislature, if it feels it necessary, in order to reudce the possibilities of evasion to a minimum to enact provisions which would give effect to the main object of the Legislation."

ये उनके अन्तरिम शब्द हैं—यह हमारा अधिकार है कि अगर हम देखें कि कानून का उल्लंघन हो रहा है तो किसी प्रकार कानून बना कर उस उल्लंघन को रोकें। मैं आपके सामने उस उच्चतम न्यायालय के सामने जो विपक्ष की तरफ से बात कही गयी थी उसका उद्धरण पेश करना चाहता हूं। एफिडेविट के अन्दर कहा गया है कि—

"As a matter of fact, the age up to which the animals can live and are serviceable depend upon the care and attention they receive and the quality of the grass on which they are grazed.

Accordingly to a high authority the average age of an oxunder favourable conditions would be between 15—20 years. Even under conditions prevailing in Uttar Pradesh, bulls can live upto 20 ye ars or more as would appear from an analysis of a survey report of the Animal Husbandry Department."

इसका अर्थ यह है कि किस समय तक कौन सा पशु जीवित रह सकता है यह इस बात पर निर्भर है कि उसकी कितनी परवरिश की गयी, कितना ध्यान उस पर दिया गया, कैसी पौष्टिक घास इत्यादि उसको दी गयी। इसी के साथ-साथ वे यह भी कहते हैं कि उच्च अधिकारिक प्रमाणों के आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि औसत आयु बैल की १५—२० साल की होती है और ऐसी हालतों में जो उत्तर प्रदेश में हैं एक बैल २० साल तक या उससे ज्यादा भी रह सकता है जैसा कि एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट की सर्वे रिपोर्ट से साबित है। यह हमारे सरकारी पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट के सामने बात कही गयी। अब उनकी बात न सुनी जाय और न्यायाधीश के सामने मौलिक अधिकार की बात लायी जाय कि बध करने वाले को भी बध का अधिकार दिया जाय तो माननीया अगर मैं यह कह सकूं कि आज हमारे सामने रोज सामाजिक कानून बन रहे हैं, कल ही हमारी केन्द्रीय संसद ने एक कानून पारित किया कि दहेज प्रथा में बंदिश लगायी जाय। आज तक ऐसा नहीं हुआ, इतिहास में यह पहला कदम उठा है।

इसी तरह जब विवाह की उम्र मुकर्रर की गयी थी शारदा ऐक्ट के द्वारा तो उस समय भी यह बात कही गयी थी कि यह एक नया कदम उठाया जा रहा है। हमारे कानून के सब से बड़े विशेषज्ञ श्री सेन ने कहा कि अगर हम समाज पर आश्रित रह कर सामाजिक सुधार की बात सोचेंगे तो वह कभी नहीं हो पायेगा जब तक हम कानूनी बाध्यता नहीं लायेंगे। गौवंश की हम किस तरह रक्षा करें यह सामाजिक प्रश्न नहीं है बल्कि यह एक आर्थिक प्रश्न है और यह प्रश्न देश की उस कृषि से सम्बन्धित है जिसको हम सम्भालना चाहते हैं। आज किसान क्यों टूट-फूट रहा है? क्योंकि आज औसत किसान के पास सपुष्ट बैलों की जोड़ी नहीं है। हम से कहा जाता है कि हम ट्रैक्टरों के द्वारा खेती करेंगे। वही कृषि मंत्री चौधरी चरण सिंह जी हमसे कानपुर ऐग्रीकल्चरल कालेज में कहते हैं कि अगर ट्रैक्टरों से खेती देश में हुई तो अगले ५० साल में देश वीरान हो जायगा। वह जानकर है, कृषि मंत्री हैं, वह अधिकारपूर्वक कहते हैं कि यह देश ट्रैक्टरों से अन्न पैदा नहीं कर सकता गोवंश से अन्न पैदा कर सकता है। संस्कृति को कोई नहीं तोड़ सकता। प्रधान मंत्री ने भी यही कहा कि हम अपनी संस्कृति को नहीं भुला सकते। इसलिये अगर हिन्दुस्तान में हम गौवंश को त्यागेंगे तो अपने जीवन को त्यागेंगे।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

इस समूचे और पुष्ट बैल को पाने के लिये कौन से साधन हैं उनको माननीय मंत्री जी बतायें। १५ साल तक अन्न पैदा करने के बाद अगर बैल के हाथ पैर ढीले पड़ जायं तो आप उसको बध के लिये भेज दें तो क्या यह आपकी मनुष्यता होगी, क्या यह आपकी सौजन्यता होगी, मस्तक की कोई उपज होगी? आज हमारे देश में यह प्रथा है कि जब बैल पुराना हो जाता है और मर जाता है तो ढक कर उसको गंगाजी में प्रवाह के लिये ले जाते हैं। जिस पशु से हमने अपने जीवन का निर्वाह किया, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, उसके वृद्ध होने पर वध के लिये भेजना कहां तक उचित होगा? बहुत से माननीय सदस्य उदाहरण दे देंगे कि यह गरीब देश है इससे सैकड़ों पशु बिक्री के लिये जाते हैं। यह एक मजबूरी है और मजबूरी के ऊपर बहस करना मानो कोढ़ में खाज पैदा करना है। निर्धन लोग क्या-क्या कुकर्म नहीं करते हैं। मेरा कहना यह है कि आप आज उस की बात बढ़ाना छोड़िये और गौ-वंश की उन्नति के लिये साधन जुटाइये, उनके लिये चरागाह का प्रबंध कीजिये और उनकी मजबूती पर जोर दिया जाय तो फिर देखिये कि १५ साल के बाद कैसे गौवंश काम के योग्य नहीं रहता है, जरूर रहेगा।

माननीया, कल की बात है। मैं अपने क्षेत्र से आ रहा था। एक किसान का बैल जा रहा था उसका सींग हिल रहा था। किसान ने कहा जरा बचकर निकल जाइये। फिर भी मैं बैल के सींग को देखते हुये निकल गया। किसान ने बड़े गौरव से कहा कि यह मेरा बैल २० साल का है और नये बैलों से ज्यादा खेती का काम करता है। मैंने आंख उठा कर देखा। वह बड़े गौरव के साथ उसका पालन कर रहा है। आज अगर हम इन न्यायाधीशों की बात मान कर चलने लग जांय तब तो काम हो गया। इनका कहना है कि आज देश की हालत बिगड़ी हुई है और किसान इनकी परवरिश नहीं कर सकता है। लिहाजा कमजोर पशुओं को बध कर देने के अलावा और रास्ता नहीं है। मैं इसको अमानुषिकपन तथा दिवालियापन समझता हूं। एक तरफ तो गौसदन बनाये गये हैं और कहा जाता है कि हम गौवंश की परवरिश करेंगे और दूसरी तरफ यह कहा जाता है, अगर गौवंश बढ़ जाय तो बहुत अच्छा हो। हमारे कृषि मंत्री नहीं है। अगर होते तो मैं उनसे पूछता कि गौ वंश की कितनी वृद्धि उन्होंने की है। गौ सदनों का वृद्धि नहीं हुई है और आज उंगलियों पर गिने जाने वाले गौसदन हैं। अगर हम इनकी वृद्धि नहीं करेंगे तो सचमुच में हम इनकी परवरिश नहीं कर पायेंगे। अगर हम गौ सदनों को बढ़ा देंगे तो हमारे निर्बल पशु सबल हो जायंगे।

माननीया, मेरे सामने २४-३० पेज का जजमेंट है और मैंने बड़े गौर से इसको पढ़ा है। न्यायाधीशों का तरीका है कि वह बाल की खाल निकालते हैं और केवल शब्दों को और नुक्ते के लगाने को देखते हैं लेकिन हमारे निर्धन देश में जो गरीबों का दर्द है उसको नहीं पहचान पाते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भारतवर्ष ऐसे देश में क्या हम कानूनों में तब्दीली करनी है और वह किस आधार पर करनी है। मेरे सामने जो संशोधन हैं वह केवल तीन है। एक तो यह है कि सांड़ और बैल की आयु में २० से कमी करके १५ किया जाय और दूसरा यह है कि यह शब्द निकाल दिये जांय—"अथवा प्रमाणपत्र जारी होने के दिनांक से बीस दिन के अन्दर"। इसको निकाल देने से यह होगा कि २० दिन के अन्दर जो उस निर्णय के विरुद्ध अपील करने की सम्भावना है वह भी हट जायगी और तीसरा जो संशोधन है वह यह है कि "सक्षम प्राधिकारी की इस धारा के अधीन आज्ञा से असन्तुष्ट कोई व्यक्ति, आज्ञा के दिनांक से २० दिन के भीतर, राज्य सरकार के पास उसके विरुद्ध अपील कर सकता है तथा राज्य सरकार उस पर ऐसी आज्ञा दे सकती है, जो वह उचित समझे, इन शब्दों को हटा दिया जाय।

(इस समय २ बजकर ४५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री राम नारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ढाई घंटे का समय इस विधेयक पर है और माननीय अवस्थी जी करीब-करीब डेढ़ घंटे या कब तक बोलेंगे, यह निर्धारित हो जाय तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष (श्री मोतीलाल अवस्थी से)---पांच मिनट में आप खत्म कर दें, फिर और लोगों को भी मौका दिया जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि आज ढाई घंटे की अवधि इस विधेयक के लिये और डेढ़ घंटे की अवधि दूसरे वाले विधेयक के लिये है। इस तरह से चार घंटे विवाद होने की बात है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रारम्भ से ही कुछ विशेषाधिकार के प्रश्न आदि इस तरह के उठे कि यह विवाद दो बजे शुरू हुआ और इस तरह से मैं देखता हूं कि तीन ही घंटे आज समय है। तो चार घंटे का प्रोग्राम पूरा ही कैसे होगा? जहां तक होगा मैं संक्षेप में ही अपनी बातों को रखना चाहूंगा लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूं कि गोवध ऐसे प्रश्न पर ढाई घंटे का समय रखना गौ के प्रति अन्याय सा करना है। यह बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी जैसा चाहे कर ले, दस अदर्स मिलकर जैसा चाहे कर लें और बहुमत जो चाहें कर लें, क्योंकि विषय को कार्य-मंत्रणा समिति में पुनर्विचार के लिये भेजने का प्रस्ताव भी हुआ था लेकिन बहुमत ने उसे स्वीकार नहीं किया।

मैं यह कह रहा था कि यह जो तीन संशोधन लाये गये इन तीनों संशोधनों के साथ इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद परिणाम यह होगा कि ऐसे पशुओं के बध पर कोई रोक न हो सकेगी जिन्होंने जीवन भर युवावस्था में और प्रौढ़ावस्था में सेवा की हो किसान की और देश की। इसके बाद उन्हें वध के लिये भेज दिया जाय और उनका वध हो जाय, यह बड़े ही दुख की बात है। दूसरे शब्दों में हम यह कहें कि देश में अपने इस गोवंश या पशुधन की दिन पर दिन कमी होते जाने का जो हमारे सामने भय है उसका निवारण नहीं हो सकता बल्कि हमें दिखाई यह पड़ता है कि देश में अन्न की कमी से जो आज हमें कुछ ऐसे भी खाद्यों की या मांसों की जरूरत पड़ रही है जो उसकी पूर्ति करें। आवश्यकता इस बात की थी कि हम पशुधन को बढ़ायें, अपने उन कर्यों को पूरा करें लेकिन मांसाहारियों के लिये अगर यह कहा जाय कि उनके लिये भी खुराक चाहिये तो बहुत से साधन श्रीमन्, उसके हो सकते हैं। फिशरीज की उन्नति कर सकते हैं और फिशरीज से उस अंश को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जो वर्जित पशु हैं उनके अतिरिक्त जो दूसरे पशु हैं--गाय बैल सांड़, बछिया, बछवा यही थोड़े से इसमें हैं, भैंस इसमें नहीं है--तो मांसाहारियों के लिये या जिनके यह भक्ष्य हों, उनके लिये सरकार अगर चाहे तो दूसरे साधनों के द्वारा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। इसमें जो कुछ वस्तु हमारे सामने है वह केवल इस खयाल से है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कृषि की उन्नति में कोई वस्तु बाधक पैदा न हो। और मैं उसी आधार पर यहां खड़ा हूं और यह जोर देना चाहता हूं कि इस संशोधन के द्वारा हमारी कृषि के कार्य में बाधा पड़ेगी। हमारे कृषि के कार्य में, जिसमें हम आज तक बैलों की कमी देख रहे हैं, जिस कमी के कारण किसानों में गोवंश की उत्पत्ति घटती जाती है, इससे बाधा ही उपस्थित होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी समय यदि आप किसी देहात के हिस्से में निकल जायं और खासकर इस पूर्वी और मध्य के हिस्से में-मैं पच्छिमी जिलों की बात तो नहीं कह सकता और न जानता हूं--लेकिन पूर्वी जिलों में कानपुर, फतेहपुर, उन्नाव और इलाहाबाद के जिलों में जहां कहीं आपको जोतती हुई गोइयां मिलेंगी उनमें ५० फीसदी भैंस जुती हुई मिलेंगी। आज हमारे देश में पुष्ट बैल की बहुत कमी है। मैं आंकड़ों की बात छोड़कर कामन सेन्स की बात कहता हूं कि इससे बढ़कर और कोई बात गोवंश की उत्पत्ति में बाधक नहीं होगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि बजाय इसके कि हम इस तरह से विधेयक पास करें हम बैलों को निकम्मा होने से बचायें। हम किसानों को उत्साह दें कि वह अपने बैलों को बूढ़ा होने से बचायें। उनको ज्यादा चारा मिले और चरागाह मिले। यदि उनको ज्यादा

[श्री मोतीलाल अबस्थी]

चीजें और पर्याप्त चारा खाने को मिलेगा तो गोवंश पुष्ट होगा। मुझे यह सही बात नहीं मालूम होती है कि हम इस तरह से धूमें और बैलों को निकम्मा समझकर वध के लिये भेज दें। यदि हम किसानों को प्रोत्साहन नहीं देंगे, जिससे वह गोवंश को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित हो सकें, तो इस विधेयक में कोई महत्व की बात मुझे नहीं मालूम होती। इसी दृष्टि से यह विधेयक मुझे अनुपयोगी और असामयिक मालूम होता है।

हमारे सामने यह बात कही गई कि एक बन्धेज इस बात का था कि सक्षम प्राधिकारी उपधारा (३) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करना अथवा प्रमाण पत्र जारी करना अस्वीकृत करने से पूर्व अपनी आज्ञा को लेखबद्ध करेगा। सक्षम प्राधिकारी की इस धारा के अधीन आज्ञा से असन्तुष्ट व्यक्ति कोई, आज्ञा के दिनांक से २० दिन के भीतर, राज्य सरकार के पास उसके विरुद्ध अपील कर सकता है तथा राज्य सरकार उस पर ऐसी आज्ञा दे सकती है, जो उचित समझे। इसमें एक प्रमाण-पत्र देने की बात थी। उस प्रमाण-पत्र को देने के लिये कुछ बन्दिश रखी गई थी। आज उस बन्दिश को हटाया जा रहा है, और यह कहा जाता है कि इस प्रमाण पत्र में जो २० दिन की बात है वह हटा दी जाय। इसके लिये यह भी कहा जाता है कि यह सुधार है। अपील करने वाली बात हटा दी जाय, यह लिखकर आप एक ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं जिसमें किसी भी पशु को अयोग्य साबित करने का उपाय वह इस्तेमाल करेगा जो अनुचित कहा जा सकता है। मैंने इस विषय को प्रवर समिति में ले जाने की बात इसीलिये रखी है कि वहां पर इस पर अच्छी तरह से विचार हो जाय। २॥ घंटे में इस बिल को पास करके कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा। जब हम जनता के सामने जायेंगे तो हमसे वहां पर सवाल किया जायगा और किसान पूछेंगे कि कृषि कार्य के बढ़ाने के लिये हमने यहां पर उनकी कितनी सहायता की? ऐसी हालत में हमको बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से उनकी सहायता की जा रही है।

आज बाजार में जाकर देखें सैकड़ों गायें बाजार में बिकने के लिये जाती हैं और न उनके होनहार बछड़े बिकने के लिये जाते हैं। अगर उनसे पूछा जाय कि कहां जा रहे हैं तो पता लगता है कि वह सब कलकत्ता हांके जा रहे हैं। वे उन प्रदेशों में भेज दिये जाते हैं जहां पर उनका वध होना है। आज हमारे यहां छोटे-छोटे बछड़ों का वध हो रहा है और सरकार की आज्ञा का उल्लंघन करके वध हो रहा है अगर यह रास्ता कानून के द्वारा खोल दिया गया कि हम पशुओं का वध कर सकें तो यह कृषि के लिये एक दुखदायी अवस्था होगी। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अब सब लोगों को दस मिनट और खास तौर पर कुछ के लिये १५ मिनट का समय रहेगा।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि मुझे कुछ ज्यादा समय दिया जाय।

For me it is matter of grief whereas it is a matter of policy for others.

श्री उपाध्यक्ष—तो आपको १५ मिनट मिल जायेंगे।

श्री रघुराजसिंह चौधरी (जिला बुलन्दशहर)—माननीय, मैं अवस्थी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इसकी वजह यह है कि मैं भी यह समझता हूं कि यह मसला कम अहमियत का नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात है, दूसरी तरफ इसका ताल्लक हमारी खेती से है। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि, हमारा मुल्क खेतिहर है और यहां के ७५ या ८० फीसदी लोगों का गुजारा खेती से होता है। हमारे बैल, गाय, बछड़े, बछियां या साड़ खेती में खास तौर पर वाबस्ता हैं और हमारे बैल ढाई या तीन साल की उम्र से ले कर १५, २० साल की उम्र तक खेती में काम

देता है। उस से खेती के सभी काम—जुताई, पानी देना, फसल काटकर बाजार ले जाना, ढुलाई आदि के सब ही काम लिये जाते हैं। किसान के लिये बैल कितना जरूरी है यह हम सब को आंखों देखी चीज है और इसमें ज्यादा दलील की जरूरत नहीं है। आजकल जितने नये किस्म के खाद अमोनियम सल्फेट आदि मिलते हैं उन के मुकाबले में मवेशी का खाद ज्यादा बेहतर होता है और वह पैदावार को ज्यादा बढ़ाता है और जमीन को फायदा पहुंचाता है? एक मर्तबा मवेशी का खाद दे कर कई साल तक उम्दा फसल पैदा की जा सकती है लेकिन नये खादों का इस्तेमाल करने से यह तजुर्बा किया गया है कि जमीन कमजोर हो जाती है। हमारे मुल्क को आज उम्दा किस्म के खाद की जरूरत है।

दूसरे खेती के लिहाज से भी बैल बहुत जरूरी हैं। तीसरे हमारी सेहत पर भी उनका बहुत असर पड़ता है क्योंकि देहात के लोग ज्यादातार गोश्तखोर नहीं होते हैं और वे दूध, घी आदि पर ही निर्भर रहते हैं। अगर इस तरह से मवेशियों को जिबाह किया जायगा तो मैं समझता हूं कि इस वक्त तक जितनी कमी हो चुकी है उससे भी कहीं ज्यादा कमी दूध घी की हो जायगी और जो आज अच्छा घी या दूध दवा के तरीके से मिल जाया करता है वह भी न मिल सकगा। अदालतों के फैसले की बुनियाद पर सरकार जो इस तरह का अमेन्डमेन्ट लाई है उसको लाकर मैं समझता हूं कि उसने अपने फरायज को पूरा नहीं किया है। इसकी वजह यह है कि उनके लिये कोई चरागाहों और गोशालाओं का इंतजाम तक नहीं किया गया है। किसान आज बड़ी मुश्किल से हैंड टु माऊथ, अपना गुजर करता है और वह अपने जानवरों से लगातार करीब १५–२० साल तक काम लेता है। अगर हम एक कुत्ता पालते हैं या बिल्ली पालते हैं तो वह महज एक शौक की वजह से ही पालते हैं, न कि इस खयाल से कि उससे कुछ काम लेंगे। वह अगर बीमार पड़ जाता है तो उसकी दवा दारू भी करते हैं। हम अपने बच्चों की तरह से ही उसको रखते हैं। फिर उन जानवरों के लिये जो हमारी सेहत के लिये हमको दूध-घी आदि और खेती से रोटी कपड़ा देते हैं हमको खास प्रबन्ध करना चाहिये। आज सरकार की उस ओर कोताहअन्देशी देख कर दुख होता है। आज सरकार अपने फर्ज को देखती तक नहीं, उसको पूरा नहीं करती है।

मान्यवर, मैं देहात का रहने वाला हूं और अच्छी तरह से जानता हूं कि किसान के लिये बैल और गायें, बछड़े और बछियें आदि बहुत ही जरूरी हैं। तो ऐसी सूरत में जब कि हमारे सामने यह अहम सवाल हो और सरकार यह महसूस करती हो कि अदालत का फैसला उसके खिलाफ हुआ हो, यह जरूरी हो जाता है कि इस बिल को एक सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ताकि इस पर अच्छी तरह से गौर हो सके और इस अहम मसले का कोई सही हल निकल सके। आज बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो खेती नहीं करते हैं और मवेशियों को पाल कर ही अपना पेट पालते हैं। इसलिये इस मसले पर संजीदगी के साथ विचार करना चाहिये। इन लफ्जों के साथ मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर ताईद करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री सुल्तान आलम खां से) समय बहुत कम है, आप दस मिनट में ही अपनी बात कह लीजिये।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर बोलने का मेरा विचार नहीं था लेकिन कानपुर के माननीय सदस्य की तकरीर सुनकर मेरा दिल चाहा कि मैं भी इसके सिलसिले में अपने कुछ विचार सदन के सामने रखूं। मैं सब से पहले यह बात बतला देना चाहता हूं कि मैं उन लोगों में से हूं जिनका हमेशा यह खयाल रहा है कि मुल्क की कैटिल वेल्थ को बढ़ाने के लिये हम जितनी भी पाबन्दी उनके स्लाटर पर लगा सकें वह जरूर करें और उनके जरिये से अपने खेतिहर मुल्क को तरक्की देने में मदद हासिल कर सकें और लोगों की सेहत को बेहतर बनाने में सहूलियत हासिल कर सकें। मैं समझता हूं कि जहांतक समझदार लोगों का ताल्लक है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया :

[श्री सुल्तान आलम खां]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय माननीय सदस्य अपनी तकरीर करके अपनी तजवीज पेश कर रहे थे कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी के सामने जाय और वह एक हफ्ते के अन्दर इसपर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट इस सदन को दे तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि अभी दो तीन घंटे पहले इस सदन में जो मुबाहसा हो रहा था कि यह सदन १२ को जरूर खत्म हो जाय, १९ तक न चलाया जाय, वह बात बिल्कुल आर्टिफिशल थी.....

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सुल्तान आलम खां—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि जो संशोधन हमारे दोस्त अवस्थी जी ने रखा है उसको अगर मंजूर कर लिया जाय तो उसका नतीजा यह होगा कि यह हाउस १९ तक ही नहीं बल्कि उसके बाद भी चलेगा और फिर भी उसके बाद अंदेशा है कि इसका अंजाम वही होगा जो इस वक्त होने वाला है। मैं नहीं जानता कि अगर यह बिल सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय तो सेलेक्ट कमेटी वहां पर किस बात पर गौर करेगी और हमें क्या राय देगी और क्या फैसला करेगी।

हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उसने एक फैसला दिया। हम उस फैसले को चाहे कितना ही नापसन्द करते हों, चाहे कितना ही हमें उससे दुख हुआ हो लेकिन वह फैसला मानना है। कांस्टीट्यूशनल पोजीशन यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला होता है, और उसको मानना हम में से हर शख्स का फर्ज होता है। तो जब वह फैसला हमारे सामने है और उसकी बुनियाद पर यह बिल बनाया गया है जिसमें जानवरों के स्लाटर के सिलसिले में उम्र में कुछ हेर-फेर कर दिया गया है। उस फैसले को मानने के बाद हमारे पास यही चारा है कि जो हमारा ऐक्ट है उसमें कुछ तरमीम करलें ताकि इस ऐक्ट में कुछ रिलैग्जेशन हो जाय। तो इस सम्बन्ध में हमको क्या करना है जिसके मातहत हमारे सामने जो अहतराम की स्पिरिट है वह कायम रहे और उसमें कोई रद्दोबदल न आ सके। मैं तो ऐसा समझता हूं कि यह बात किसी सेलेक्ट कमेटी में जाने से दूर नहीं हो सकती। यह चीज तो सिर्फ एक ही सूरत से दूर हो सकती है कि हम बहुत बड़े पैमाने पर इस चीज का इन्तजाम करें और इसको एक कम्पेन की तरह से चालू करें कि हमारे यहां काफी तादाद में गोसदन हों और गौरक्षा के बहुत से मुकामात हों, लोग उसमें दिलचस्पी लें और यह कोशिश की जाय कि जिन गाय-बैल आदि की उम्र १५ साल की हो, जो इस कानून की बंदिश से आजाद हो गए हों, जो अनसर्विसेबिल हों उनको जगह दें ताकि वह स्लाटर से बच सकें।

एक चीज और हो सकती है कि इस कानून के मातहत हमको इन जानवरों को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा और हम समझते हैं कि इस उम्र के जानवरों को भी सुरक्षा देने की जरूरत है, तो हम उसके लिये अलग से विचार कर सकते हैं कि जो हमारे गोसदन हों उनमें इनको रखा जाय और उनके लिये बाईलाज, रेग्युलेशंस वगैरह बनाये जायं जिससे कि उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके। व्हेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। (where there is a will there is a way) अगर हम इस बात पर गौर करें तो बहुत से मौके पैदा हो सकते हैं और उनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं, न तो लेजिस्लेटिव राय हो सकती है और न कांस्टीट्यूशनल राय हो सकती है कि यह बिल जिस सूरत में पेश हुआ है उसी सूरत में उसे मंजूर करना है और खासतौर से इसलिये भी कि असेम्बली का जो मौजूदा सैशन है वह शायद अब काफी देर के लिये उठेगा और यह बिल काउन्सिल से पास हो कर भी आ गई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी काफी वक्त गुजर गया है इसलिये इस फैसले को एम्बाडी करने के लिये हमें जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए।

मैं माननीय अवस्थी जी से दरख्वास्त करूंगा, उनकी दिलचस्पी को मैं इस मामले में समझता हूं और अवस्थी जी को ही नहीं बल्कि सदन के हर सदस्य को इस मामले में दिलचस्पी है और सब महसूस करते हैं कि हमें इस कानून में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो हमारी दिक्कतें हैं उनको देखते हुए हमें इस बिल को पास करना है और अगर हम इस फैसले पर पहुंचते हैं कि इसको पास करना है तो मैं समझता हूं कि जो संशोधन अवस्थी जी की तरफ से पेश हुआ है वह बिलकुल रिडेन्डेन्ट हो जाता है। माननीय अवस्थी जी ने इस बिल पर बड़ी लम्बी तकरीर की है, इतनी लम्बी तकरीर की है कि अगर वह मौका देते तो शायद उनके ४–६ साथी और भी बोल सकते थे लेकिन वह ४–६ साथी महरूम रहे अपने खयालात के इजहार करने से, उन सब की तरफ से अवस्थी जी ने इजहारे ख्याल कर दिया और बड़े अच्छे शब्दों में किया। मैं समझता हूं इससे ज्यादा अब सेलेक्ट कमेटी में पेश करने के लिये शायद उनके पास भी कोई चीज नहीं रही होगी इसलिये मैं अदब के साथ उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने अमेंडमेंट को वापस ले लें और इस बिल को पास हो जाने दें।

*श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो प्वाइंट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारा जो कानून था उसको अवैध करार दिया। एक तो यह कि गाय या बैल की आयु सीमा क्या होनी चाहिए और दूसरे यह कि अगर वह स्थायी रूप से प्रजनन या भार वहन या षि कार्यों के हेतु अयोग्य हो गया हो तो क्या यह बंदिश उचित होगी। उन्होंने अलग अलग अथार्टीज पर रिलाई किया और यह कहा कि १५ साल के बाद यह काफी शक्तिशाली नहीं रह जाते हैं या काम के योग्य नहीं रह जाते हैं और दूसरी एडीशनल डिस्क्वालीफिकेशन यह थी कि प्रजनन और भारवहन के अयोग्य हों। तो यह होल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने।

जहां तक १५ साल का सवाल है, मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि १५ साल के बैल अगर खत्म हो गये तो कांग्रेस को बड़ा खतरा है। सन् ४७ में कांग्रेस सरकार आई। ५ वर्ष के बैल सन् ५२ में हुये और सन् ६२ में १५ वर्ष के होंगे। जब बैल ही नहीं रहेंगे, उनका चुनाव चिन्ह ही नहीं रहेगा तो यह पार्टी कैसे रहेगी। इसलिये यह तो उनको खुद कोशिश करनी चाहिए कि १५ वर्ष के बाद भी बैल जिन्दा रहें। सवाल यह है कि यह हो कैसे? यह हो सकता है संविधान में परिवर्तन करने से। जब-जब सरकार को जरूरत पड़ी उन्होंने परिवर्तन किये। उन्होंने संविधान की धारा एफ और जी० में किये। सरकार ने जमींदारी अबालीशन बिल की अवैधता का जब सवाल उठा तो उसने उसमें परिवर्तन किया। वह यह था कि संविधान में किसी बात के रहते हुये भी कोई बिल इसलिये चैलेंज नहीं किया जायगा कि उसमें कंपेसेशन कम दिया गया है और सम्पत्ति का अपहरण किया गया है। वह क्यों किया? वह इसलिये किया कि सारे भारतवर्ष में डेढ़, दो करोड़ के करीब टेनेंट्स होंगे उनके हितों की रक्षा करनी थी। लेकिन यह जो राय है यह कम से कम भारत में अपने को हिन्दू कहलाने वाले ३९, ४० करोड़ लोगों की है जो गाय को "गो माता" कह कर पूजते हैं। यह उनके साथ एक विश्वास और क्रीड का सवाल है। तो इतने लोगों की मान्यताओं को रखने के लिए क्या वजह है कि यह सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों ही जब कांग्रेस की है तो क्यों नहीं प्रयत्न करतीं कि संविधान में संशोधन किया जाय, क्योंकि इससे ४० करोड़ व्यक्तियों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है।

धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। दुनियां में मेले लगते हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जाता है। अमेरिका और लीपजिग का होता है, वहां बड़ी मुश्किल से १ लाख की अटेंडेंस शायद ही होती हो, लेकिन कुम्भ का मेला होता है. सरकार कहती है कि मत जाओ, तरह-तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाती है, लेकिन ५० लाख की एक दिन की रेकार्ड गैदरिंग होती है। ये मान्यतायें हैं। क्यों नहीं समझ पाते इन भावनाओं को?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूटिलिटी नहीं रह जाती है। तो इस सम्बन्ध से में मुझे इतना ही कहना है कि यह सवाल हमेशा नहीं किया जाता। हर चीज की यूटिलिटी ही उसकी वर्ल्डली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

वेल्यु नहीं देखी जाती। किसी के मां बाप बुड्ढे हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते हैं, उस समय यह कैसना नहीं दिया जाता कि इनको शूट कर दो, इनकी यूटिलिटी नहीं रह गयी है। तो जिस गोवंश से हम दूध प्राप्त करते हैं, जिसके गोबर से खाद लेते हैं, जिसके बछड़ों से हल जुतवाते हैं, जिसका चुनाव बिन्दु लेकर चुनाव आप जीतते हैं, उस समय तो बड़े प्यारे हैं लेकिन बाद को कहते हैं कि बेकार हो गये, इनको काट डालो, यह कोई अर्थ नहीं रखता।

एक चीज और है। यह चीज गांधी जी ने एक बार कही थी, सन् २१ में २४ अप्रैल को, "जब तक गाय की हत्या होती है तब तक मेरी भी हत्या होती है" गांधी जी को आप कहते हैं कि हम मानते हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं मानते।

श्री धर्मसिंह---गाय की हत्या कहां हो रही है ?

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---गोवंश क्या है ? क्या मन्त्री जी यह नहीं जानते कि गाय से बछड़ा पैदा होता है, उसी के बैल और सांड होते हैं ? अगर वह नहीं जानते तो ठीक है। इसमें तो १५ वर्ष के बाद बैल को आप मारने जा रहे हैं, हत्या होगी क्यों नहीं ? श्री जवाहरलाल जी ने कहा था कि "कांग्रेस के विरुद्ध यह निराधार और झूठा प्रचार किया जा रहा है कि कांग्रेस कानून के द्वारा गो-हत्या को बन्द कर देगी। कांग्रेस जो मुसलमानों के स्थायी हित हैं उन पर कोई कुठार घात नहीं करने देगी।" यह बयान उनका अखबारों में छपा था। तो मेरा आरोप है कि यह सरकार गो-हत्या करती है, गौ का मांस बेचती है और गौ के मांस और रक्त से इसके हाथ कलुषित हो गये हैं। यह बड़े शर्म की बात है। पार्लियामेंट में अनिल कुमार चन्दा ने २४ अप्रैल को कहा था कि यह कोई छिपी हुई बात नहीं है, नयी बात नहीं है कि अशोका होटल में गो मांस बिकता है, जो कि सरकार का होटल है। और शुरू से केन्द्रीय सरकार का रहा है। यह तो उसके लिये एक नाटक है, केवल एक ढोंग करने के लिये गो-हत्या को रोका जा रहा है इसलिये कि लोग यह न कहें कि गो-हत्या को रोका नहीं जा रहा है। जनसंघ ने जब आन्दोलन किया तो कांग्रेस की सरकार ने नारियों पर पानी की मार की उससे सरकार के हाथ आज भी कलुषित हैं। अगर वाकई आप गो-हत्या को रोकना चाहते हैं तो आप केन्द्रीय सरकार से कहें कि इसके लिये वे संविधान में संशोधन करें।

जो कैसना सुप्रीम कोर्ट का हुआ है उसमें तीन प्रदेशों के बारे में रिट पिटीशन थीं--बिहार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के ऐक्ट में इस प्रकार है--

"S. 6. No person shall transport or offer for transport or cause to be transported any agricultural cattle from any place within the State to any place outside the State, for the purpose of its slaughter in contravention of the provisions of this Act or with the knowledge that it will be or is likely to be, so slaughtered."

S. 7. No person shall purchase sell or otherwise dispose of or offer to purchase, sell or otherwise dispose of or cause to be purchased, sold or otherwise disposed of cows, calves of cows or calves of she-buffaloes for slaughter or knowing or having reasons to believe that such cattle shall be slaughtered."

S. 8. Notwithstanding anything contained in any other law for the tima being inforce, no person shall have in his possession flesh of any agriculture cattle slaughtered in contravention of the provisions of this Act."

S. 12. In any trial for an offence punishable under section 11 for contravention of the provision of section 5, 6, 7 of this Act the burden of proving that the slaughter, transport, or sale of agricultural cattle was not in contravention of the provisions of this Act, shall be on the accused."

माननीय मंत्री जी से मैंने इस बारे में बातचीत की है और उनके कहने के अनुसार उनके अधिकारियों से भी बातचीत की। उनको भी ऐसा लगा कि यह बहुत अच्छी चीज है। किसी भी बूचर के पास अगर मांस पाया गया तो प्राइमाफेसी केस उनके खिलाफ बन जायगा, मध्य प्रदेश के बूचर्स ने इसके खिलाफ भी रिट पिटीशन किया था लेकिन उच्चतम न्यायलय ने उसको वैध करार दे दिया। तो उन्होंने इस ऐक्शन में यह कहा है कि अगर किसी आदमी के पास मांस है तो उसी आदमी को यह साबित करना पड़ेगा कि उसको यह मांस बेचने का अधिकार था, सर्टिफिकेट के आधार पर या और किसी आधार पर। उसे इस बात का प्रूफ देना होगा।

जहां तक क्रिमिनल ला का ताल्लुक है उसमें मोटे तौर पर मुल्जिम को इन्नोसेन्ट समझा जाता है। जो दोष लगाने वाला होता है उस पर बर्डिन आफ प्रूफ आता है कि वह यह साबित करे कि अमुक आदमी दोषी क्यों है। लेकिन मध्य प्रदेश के कानून के अनुसार अगर किसी के पास मांस पाया जाता है तो बर्डिन आफ प्रूफ उसी के ऊपर होगा। उसको साबित करना होगा कि यह मांस गाय का मांस नहीं है या उसको कत्ल करने का अधिकार था इस कानून के अन्दर। लेकिन श्रीमन्, इस प्रकार की व्यवस्था इस बिल में नहीं है। माननीय मंत्री जी ने बातों में तो मान लिया लेकिन उन्होंने कहा कि अब तक कहां गये थे। मैं उनसे कहूंगा कि इसमें इतनी जल्दी न करें। देर आयद दुरुस्त आयद। वक्त पर भी कोई अच्छी चीज मालूम हो जाय तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिये। इसको इस समय स्थगित कर दिया जाय। शाम को ड्राफ्ट करके इसको पेश कर दिया जायगा। जितने भी इसमें लेक्यूना हैं उनको हमें जहां तक हो सके निकाल देना चाहिये। एक प्रस्ताव इसके बारे में इस प्रकार का कर दिया जाय कि विचार और वोट इस पर कल हो जाय। सदन को अपने किसी प्रस्ताव में संशोधन करने का अधिकार है और उपाध्यक्ष महोदय, आप को भी इस प्रकार के आदेश देने का अधिकार है। अगर बाद में शाम को बैठकर उस में कोई सुधार कर सकें जिससे कि उसमें कोई कमी न रहे तो उससे मंत्री जी के जो अधिकारीगण हैं उनको तसदीक करने और मुकदमा चलाने में आसानी होगी।

आजकल जो इंस्पेक्टर हैं वह अगर कोई केस पकड़ते हैं तो उनको शहादत हासिल करने में बड़ी परेशानी होती है। वह कैसे साबित कर सकते हैं कि हमारे सामने जानवर मारा गया है और जो छूटे हैं उनमें वह नहीं आता। उसी को सब चीजें साबित करना होता है कि कौन गया लाया, किस ने ट्रान्सपोर्ट किया, किस ने मारा, कहां मांस आया कैसे हुआ, वह जानते हैं कि किसने देखा लेकिन गवाही नहीं मिलती। लेकिन जो अपराधी है वह सब जानते हैं कि किसने क्या किया और कैसे जानवर को मारा गया लेकिन कोई आई विटनेस नहीं मिलती। इसलिये अगर उन पर ही बरडेन आफ प्रूफ डाला जाय तो वह अनुचित न होगा और एक उचित बात होगी। अभी एटा की बात है कि वहां पर बड़ी तादाद में बैल और गाय काटे गये, वहां लोग रंगे हाथ पकड़े गये लेकिन वहां जो मौजूदा कलेक्टर थे उन्होंने उन्हीं लोगों को पकड़वाया जो इस अपराध की खबर दिये थे। इस तरह की घटनायें हमें कहीं न कहीं रोज दिखाई देती हैं। यह गोपाल की भूमि है, हमारे कृष्ण भगवान ने तो अपना सारा जीवन गौओं को चराने में, उनकी सेवा में और रक्षा में बिता दिया। राजा रघु ने भी अपना सारा जीवन नन्दिनी की सेवा में बिता दिया और उसके लिये अन्त में वह अपने प्राण तक देने के लिये तैयार हो गये। यह हमारी परम्परा है और इस तरह से हमारे पूर्वजों ने गो रक्षा की है।

जहां तक ट्रेड और बिजनेस की बात है, आज जमाना पलट रहा है, मुसलमानों के भी विचार बदलते हैं, शरीफ मुसलमानों ने तो गाय या भैंस का मांस कभी खाया ही नहीं, थोड़े से लोग हैं कि जो नासमझ हैं, उनको भी समझाया जा सकता है, इस चीज पर किसी को जिद्द नहीं हो सकती। वह भी समझते हैं कि हमें इसी देश में रहना है और अगर किसी काम से बहुमत को नाराजी होती है तो वह न करना चाहिये। हिन्दू, मुसलमान इस देश की २ आंखें हैं, किसी एक आंख में भी तकलीफ होना ठीक नहीं है। वह लोग भी समझदार हैं, नासमझ नहीं हैं। वह स्वयं ही समझ सकते हैं।

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

अन्त में एक बात यह और कहूंगा कि हमें इस बात को भी आफेंस बनाना चाहिए कि कोई आदमी कत्ल के लिये जानवर ले जा रहा है या इस काम के लिये किसी गाय, बैल या सांड का क्रय-विक्रय कर रहा है इस विचार से कि इसका कत्ल किया जायगा या मांस की बिक्री करता है या करने का इरादा करता है तो इस को माननीय मंत्री जी को अपराध घोषित करना चाहिये। इसके लिये मंत्री जी इस को अभी २ घंटे के लिये स्थगित कर दें ताकि जो कमी और लेकुना है वह ठीक हो जाय। अवस्थी जी की बात मन्त्री जी माने या न मानें, लेकिन इसको थोड़ा रोक कर शाम को बैठ कर ठीक कर लिया जाय तो ठीक होगा।

श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस' (जिला उन्नाव)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गोवध-निवारण संशोधन विधेयक सरकार की तरफ से पेश हुआ है। मैं भी इससे हमदर्दी रखता हूं और चाहता हूं कि गोवध न हो, लेकिन मन्त्री जी ने जिस तरह से कि जातियों में मतभेद है उसी तरह से मेरी समझ से सरकार ने इसमें मतभेद रखा है। वैसे यह बिल आया है लेकिन हमने उसको पढ़ा नहीं है, फिर भी मैंने उचित समझा कि मैं इस सम्बन्ध में अपने विचार सरकार के सामने रख दूं। गौ के अलावा और दूसरे जानवर भी हैं कि जिनकी हमें रक्षा करनी चाहिये। भैंस कितना ज्यादा दूध देती है, कितना घी होता है कितना ज्यादा गोबर होता है, उसके भैंसे में कितनी ज्यादा ताकत होती है और ज्यादा बोझा ढोता है, वह इसमें नहीं है। इसी तरह से बकरी जो थोड़ा चारा चरती है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो पहले बकरी का दूध ही पिलाया जाता है, गाय का बाद में। तो सरकार को आदमियों की तरह पशुओं में भी भेदभाव नहीं करना चाहिये। हरिजन कहे जाने वाले आदमी चाहे मारे जायं, काटे जायं सरकार के यहां कोई सुनवाई नहीं है। पहले जमाने में तो उनका वध बिना किसी कारण के, जब चाहो तब, किया जाता था, ब्राह्मणों को पूरे अधिकार थे। इसलिये मैं कहूंगा कि इन जानवरों का भी वध होना गलत है।

इस तरह से सरकार भेदभाव पेड़ों में भी करती है। जिस पेड़ में फल होता है उस को तो चाहे जितना काटो पर पीपल का पेड़ खड़ा रहे। क्या मजाक है। सरकार को सोचना चाहिये कि हत्या किस पर नहीं होती। सभी के मरने में हत्या होती है, चाहे गाय हो, भैंस हो, भैंसा हो, बकरी हो या बकरा हो। अगर सरकार जीव रक्षा करना चाहती है तो हम उसके समर्थक हैं। लेकिन ऐसा न हो कि एक को मारे और दूसरे को बचाये। अतः इस संशोधन विधेयक में इन जानवरों को भी शामिल किया जाय। मैंने संशोधन दिया है कि गाय के साथ भैंस भी रखी जाय और जितने हमारे काम आने वाले जानवर हैं, जो दूध देते हैं, उनका वध नहीं होना चाहिये।

इसके अलावा १५, २० साल वाली जो बात है उस संबंध में मुझे कहना है कि मैं खुद किसान हूं और बैल रखता हूं तथा जोतता हूं। २५, २५ साल तक मैंने बैलों को जोता है क्योंकि किसी गरीब के पास इतना पैसा तो होता नहीं कि १५ साल बाद दूसरा बैल ले ले। अगर कोई बूढ़ा आदमी हो जाता है और जब तक चलने फिरने लायक रहता है तब तक कुछ न कुछ काम जरूर करता है। यह भी नजरिया नहीं होना चाहिये कि ऐसे आदमियों या जानवरों को हलाल किया जाय। उनको अपनी मौत मरने दिया जाय। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि जो मैंने बात रखी है उस पर सरकार गम्भीरता से सोचे। खाली प्रोपेगेन्डा से काम नहीं चलेगा। होना चाहिये एक कायदे की चीज, और सब के लिये होना चाहिये। हमको सब के साथ हमदर्दी होनी चाहिये। जो जीव हममें है वही उनमें भी है इसीलिये मैं माननीय मोतीलाल जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक पर मैंने माननीय सदस्यों के विचार सुने। आम तौर से विरोधी पक्ष से यह बात कही जाती है कि इनकी तरफ से गोवध बंद करने की आवाज जब उठायी गयी उसके बाद यह सरकार

इस कानून को बनाने के लिये मजबूर हुई। अगर यह बात सत्य भी है जैसा कि माननीय गोविन्दसिंह जी कहते हैं तो इसका यही मतलब समझा जाता है कि सरकार ने उनकी बातों का आदर किया है और वह भी समझती है कि गो रक्षा के लिये उचित प्रबन्ध किया जाना चाहिये। परन्तु जहां तक समाज की बातें हैं हमें उसमें कुछ विरोधाभास प्रतीत होता है उसके विचारों में और उसके कामों में। मैं यह बताना चाहता हूं कि जितनी गायें पाली जाती हैं उनको मौत में जिन्दा रखने की कोशिश की जाती है। जो जानवर दूध नहीं देते हैं, सूख जाते हैं उनको मौत के घाट लापरवाही से छोड़ दिया जाता है। क्या मानवता का यह व्यवहार उचित है? क्या वे लोग जो अपने को हिन्दू कहते हैं और गाय को माता कहते हैं अपने पेट के खातिर पैसे से गायों को बेंच कर अपने खान्दान की परवरिश नहीं करते हैं। जब वे गायों को कसाई के हाथ कटने के लिये बेंचते हैं तो क्या वे गायों की रक्षा करते हैं? माननीय गोविन्दसिंह जी चाहे जितने ऊंचे तर्क देकर इस बात को साबित करने की कोशिश करें कि हम मुल्जिम नहीं हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जिसने हजारों, लाखों गायों को वध करने के लिये कसाई के हाथ बेचा है वह उतना ही मुल्जिम है जितना कि उनको काटने वाला कसाई मुल्जिम है क्योंकि गायें बेंची गईं काटने के लिये। इसलिये किसी खास को काटने का दोष देना ठीक नहीं है। लड़ाई के जमाने में सरकार के द्वारा ठेका हुआ और लोगों ने उसका ठेका लिया। क्या हिन्दू समाज ने उनको समाज से निकाल दिया या उनके खिलाफ हिन्दू समाज से आवाज उठायी गई? हर्गिज नहीं। सत्यता को छिपाया नहीं जा सकता।

अब प्रश्न यहां पर यह है कि गायों के बारे में हमें पूरे समाज और राष्ट्र को ध्यान में रख कर बात करनी चाहिये। यह ठीक है कि सरकार ने गायों के लिये गोशालायें खोलीं। लेकिन उनके लिये वहां चारे पानी का भी इन्तजाम हुआ या नहीं? मैं कहता हूं कि यह बात बिलकुल अधूरी है। हमारा काम अधूरा नहीं होना चाहिये। आप बेकार गायों को एक जगह इकट्ठा कर दें और उनके खाने पीने का इन्तजाम न हो तो यह भी एक जुर्म है, अनलाफुल कंफाइनमेंट है, अगर आदमियों का नहीं तो जानवरों का है। केवल सेंटीमेंट में अपनी बुद्धि को बहा ले जाना और यह कहना कि मेरी बुद्धि सब से ऊंची है, उचित नहीं है। आपने उसको यहां नहीं मरने दिया। आप अपनी नजरों के सामने उसकी तकलीफ को न देख सके, लेकिन आपने उस जानवर को मरवा दिया तो यह कहां तक ठीक है?

दूसरी बात यह है कि क्या कभी इस आदरणीय सदन में आवाज बुलन्द की गई है कि जिस तरह से आपके हृदय में जानवरों के लिये प्रेम है उसी तरह से उन बूढ़े इंसान के लिये भी प्रेम और दर्द है जो गलियों में सड़ते हैं। आज कितने ही बूढ़े मर्द और औरतों की टांगे कट गई हैं, सड़ गई हैं। आप अमीनाबाद में जाकर देखिये, रेलवे स्टेशन पर जाकर देखिये, किसी भी शहर में जाकर देखिये, वहां बहुत से आदमियों की यही हालत देखने को मिलेगी। यदि आप विश्वनाथ जी के मंदिर में जायेंगे तो सड़क के दोनों किनारों पर आपको बहुत से बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरतें बैठी मिलेंगी जिनमें अधिकतर बंगाली होते हैं, उनकी सूरत देखकर आपको पता चलेगा कि दुनिया का इंसान कितना सड़ गया है, गल गया है। क्या इन इंसानों के लिये हमारी सरकार की ओर से कभी कोई प्रबन्ध हुआ? नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि जहां बूढ़े जानवरों की व्यवस्था होती है वहां इंसानों की भी व्यवस्था होनी चाहिये।

अगर आपका बैल बूढ़ा हो गया है तो क्या उसको मार दिया जायगा? अगर आपका बाप बूढ़ा हो गया है तो क्या उसको मार दिया जाय? अगर बूढ़ा जानवर न मारा जाय तो बूढ़ा बाप भी न मारा जाय। हमारा आप का बाप न सही, लेकिन वह भी किसी न किसी इंसान का बाप होता है जो गलियों में मारा-मारा फिरता है। आप कहते हैं कि आपकी हमदर्दी है जानवरों के लिये। मैं उसको मानता हूं लेकिन उसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। उसकी व्यवस्था करना ठीक है लेकिन उसी हद तक जितना कानून आपको इजाजत देता हो। फंडामेंटल राइट्स आफ सिटीजनशिप के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट उसी हद तक कैद लगा सकती है

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

जिससे वह राइट्स खत्म न हों। अगर यह राइट्स खत्म हो जाते हैं तो वह प्रतिबन्ध लगाना कांस्टीट्यूशन के अनुसार अल्ट्रा वायरस होगा क्यों कि फंडामेंटल राइट्स डिफीट हो गये। इसीलिये सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आपके इस ऐक्ट को अल्ट्रा वायरस बताया है क्योंकि यह फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर देता है। इसलिये इन प्रतिबंधों को कम करने के लिये ही यह अमेंडमेंट लाया गया है जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स खत्म न हों।

मैं कहता हूं कि आपकी हमदर्दी जिसको आप चिल्लाकर कहते हैं और इतना दर्द दिल पर पेश करते हैं जानवरों के लिये, लेकिन इंसान के लिये नहीं, क्योंकि आज तक किसी सदस्य ने इसके लिये सदन में आवाज नहीं उठाई। हमें अपने कांस्टीट्यूशन के मुताबिक प्रतिबन्ध उसी हद तक लगाने होंगे जिससे फंडामेंटल राइट्स खत्म न हो जायं। मैं इसका समर्थन करता हूं। बहुत से भाइयों के प्रस्ताव इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने के आये हैं और भाई गोविन्दसिंह जी ने इसको पोस्टपोन करने के लिये कहा है। मैं समझता हूं कि वह कर सकते थे, लेकिन वह कौन से अमेंडमेंट हैं जिनको वह मूव करना चाहते हैं जो इन से मेल खाते हों जो यहां मौजूद हैं। अन्त में मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय ब्रजनारायण तिवारी, आपके लिये सात मिनट हैं।]

*श्री ब्रजनारायण तिवारी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक पर जो अवस्थी जी ने प्रवर समित में भेजने का संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं और उसका कारण यह है कि उस संशोधन विधेयक में बैलों और सांड़ों की उम्र कम कर दी गई है। पहले २० साल थी उसकी जगह अब १५ साल कर दी गयी है। इसके अलावा दूसरा इसमें संशोधन अंग्रेजी के शब्द ऐंड की जगह आर रख दिया गया है। इन दोनों को हमें समझना है। यदि हम अंग्रेजी के 'ऐंड' शब्द की जगह जिसे हिन्दी में 'और' कहते हैं, उसकी जगह 'या' या 'अथवा' रख दें तो इस पंद्रह वर्ष की अवस्था रखने का कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। अगर हम पंद्रह वर्ष की अवस्था रखते हैं और उसके साथ 'या' भी रखते हैं, या अंग्रेजी का 'आर' शब्द रख देते हैं तो फिर उस पंद्रह वर्ष का क्या प्रभाव रह जाता है क्योंकि इसके बाद तो पांच साल का बैल भी सर्टिफिकेट के आधार पर, रिश्वत के आधार पर वध किया जा सकता है, जो चरित्र है इस सरकार का और इस सरकार के कर्मचारियों का, उसको देखते हुये कोई भी व्यवसायी अपने पक्ष में फैसला करा सकता है। पांच वर्ष का, दस वर्ष का या पंद्रह वर्ष का बैल या सांड़ भी सर्टिफिकेट के आधार पर यह डिक्लेयर किया जा सकता है कि वह कार्य करने के योग्य नहीं है या प्रजनन के कार्य योग्य नहीं है। वध करने के योग्य है।

अगला जो संशोधन किया जा रहा है वह यह है कि सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद अगर कोई आदमी उससे नाराज हो तो वह प्रदेशीय सरकार के यहां अपील दाखिल कर सकता है, उसके लिये २० दिन की अवधि थी। उपाध्यक्ष महोदय, वह भी अधिकार छीना जा रहा है। वह एकाधिकार, पूर्ण-सत्ता-सम्पन्न अधिकारी होगा जो बैलों और सांड़ों के वध के लिये प्रमाणपत्र जारी करेगा। उसकी न कोई अपील हो सकेगी न कोई चाराजोई कहीं हो सकेगी। इन दोनों चीजों के सम्मिश्रण का अर्थ यह हो जाता है, मैं ऐसा समझता हूं कि इस मूल विधेयक का नाम है गोवध निवारण विधेयक उसमें से निवारण शब्द निकाल दिया जाय तो यह इसके असली रूप का परिचायक होगा 'गोवध विधेयक' क्योंकि इस विधेयक में केवल यह व्यवस्था की गई है कि गायों और सांड़ों का किस प्रकार वध किया जाय। इसके अलावा और कोई व्यवस्था उसमें नहीं है।

भारतीय भावनाओं के आधार पर, भारतीय परम्पराओं के आधार पर, कांग्रेस की घोषित नीतियों के आधार पर सन् १९५५ में यह विधेयक आया कि गोवध इस प्रदेश में न हो और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेशीय सरकार ने उसके लिये यह ऐक्ट पास किया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि बकरा है, भैंसा है, सुअर है, यह गोवंश के अलावा जितने पशु हैं उनके बध के लिये जब कोई रोक नहीं है और जो खाने वाले हैं या व्यापार करने वाले हैं वह उसका व्यापार कर सकते हैं, केवल गोवंश के लिये इस देश की परम्परा इस बात से सहमत नहीं है, तो फिर उसमें किसी को कोई आपत्ति कैसे हो सकती है। अब उस जज की आलोचना हम कैसे करें। उस जज की समझ में यह बात नहीं आयी कि बकरा बध करने के लिये, भैंस बध करने के लिये या जितने भी गोवंश के अलावा दूसरे पशु हैं उनके बध करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। केवल गोवंश का वध करने की इजाजत अगर न मिली तो उससे कौन-सा फंडामेंटल राइट छिन जाता है? यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। हालांकि जो लोग इससे अपना व्यापार चलाते हैं उन्होंने उस १९५५ के ऐक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति की, तो उस कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस सरकार को उसमें संशोधन करना पड़ा। उसी संशोधन में यह जरूरत इस सरकार ने समझी कि कुछ उम्र निश्चित की जानी चाहिये और उसमें यह भी है जैसा कि मंत्री जी ने कहा है पूर्व वक्ता के संबंध में, इसमें गायों का बध नहीं है, केवल बैलों और सांड़ों की बात है। तो इसी आधार पर मैं आपके जरिये से यह कहना चाहता हूं कि यह जज महोदय की समझ में क्यों नहीं आया कि उसी ऐक्ट में गाय के ऊपर बध नहीं है। उसके ऊपर प्रतिबन्ध है।

जहां तक गोवंश के स्त्रीवर्ग का संबंध है उसके ऊपर पूर्णरूप से निषेध है। जहां तक उसके मेल (male) वर्ग का संबंध है, पुरुष वर्ग का संबंध है, उसके ऊपर १५ साल का प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं। मैं समझ नहीं पाया कि एक ही वंश में स्त्री जाति को वध से आप बरी करना चाहते हैं और उस पर रोक है लेकिन उसके पुरुष वंश को उस निषेध से रोका जाता है, यह कहां तक उचित बात है? इस प्रकार के विचार से मैं सरकार की अक्लमन्दी के लिये धन्यवाद देता हूं। उनके ऐसे विचार नहीं होने चाहिये। इस प्रकार से यदि वध करने की बात सोची जायगी तो उससे देश का भला होने वाला नहीं है। उसके अनुसार क्या इस प्रकार से संशोधन नहीं किया जा सकता है कि जो लोग कारखानों में काम करते हैं, तो लोकहित के लिये उनको मुआवजा देकर उनके अधिकार को छीना जाय? वे लोग कोई दूसरा पेशा अख्तियार कर लें तो बेहतर होगा। कोई जरूरी नहीं है कि किसी पुरानी परम्परा के अनुसार कोई काम करे? सरकार जहां पर उचित समझती है उसके मुताबिक सरकार संशोधन ले आती है। यदि हम कोई जनहित की बात बतलावें तो उस जनहित में यह सरकार संशोधन करने के लिये तैयार नहीं है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कांग्रेस सरकार की यह पालिसी है कि गोवंश का बध हो और गोबध बन्द न हो क्योंकि उनके ख्याल से यह गलत बात नहीं होगी। इसी आधार पर यह संशोधन विधेयक आया है।

मैं इस संशोधन विधेयक की बुनियाद में जाना नहीं चाहता हूं लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सन् १९५८ में जब यह विधेयक विचाराधीन था तो उस समय "आर" तथा 'ऐंड' के बारे में पूछा गया था कि क्या राय है। सभी मेम्बरों ने, जितने उसमें मेम्बर थे, सबकी राय यह थी कि 'आर' नहीं होना चाहिये। ऐंड ही होना चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि १५, २० वर्ष तक बैल कृषि के लायक होता है। "धुवां धूरि दीप जरे जहवां, बैल पचीस बर्ष जिये तहवां"। मेरी समझ में नहीं आता कि यह सरकार किस आधार पर इस समस्या को हल करने की बात सोचती है और इसके सोचने का क्या अर्थ है कि १५ वर्ष के बाद कोई बैल काम करने के लायक नहीं होगा। यह बड़ी गलत बात है। इसी आधार पर यह सरकार सारे काम गलत करती जा रही है। मेरी यह निश्चित राय है कि बैल २० वर्ष से अधिक समय तक भी काम करने के लायक हो सकता है। इसमें ऐंड की जगह 'आर' रखा जा रहा है, यह बेमतलब का कानून होगा। इससे क्या फायदा है? इससे गोबध बन्द नहीं होगा बल्कि जोर के साथ बध होगा जो हमारी संस्कृति के लिये बहुत घातक होगा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का समय दिया। श्रीमन्, उधर से यह बराबर कहा जाता है कि गोवध निवारण के लिये जो भावना इधर के लोगों की है वही भावना उधर के लोगों की भी है। वे कहते हैं कि इस कानून को इसलिये बनाया जा रहा है कि जिससे उसको रोके मगर जो कानून आधे मन से बनाया जाता है उसका असर उतना नहीं पड़ता है। इसको सरकार ने बनाया मगर वह आधे मन से बनाया। इसका प्रमाण यह है कि इसी सरकार की सरकार दिल्ली में भी है। वहां का कंट्रोल पूरा इसी सरकार के हाथ में है। मेरा मतलब कांग्रेस पार्टी से है कि जिस सरकार ने अशोक होटल दिल्ली में बनाया है और आज भी वह उसी सरकार के द्वारा चलाया जाता है। उस होटल में गोमांस बिकने के लिये जब संसद में प्रश्न किया गया तो जवाब दिया गया सरकार की तरफ से कि हां, बिकता है और बिकता रहेगा, रोका नहीं जा सकता। कहा गया कि जो मांगता है उसे मिलता है, सब को नहीं मिलता। जब यह नीयत है, खुद अपने होटल में यह गोमांस बेच रहे हैं तो उनसे यह उम्मीद करना कि वे गोवध बन्द करेंगे यह अरण्यरोदन मात्र है।

श्रीमन्, यह विधेयक, बतलाया जा रहा है कि इसलिये लाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने खिलाफ फैसला दे दिया। श्रीमन्, जब जमींदारी एबालिशन हुआ तो भी खिलाफ फैसला हुआ था, लेकिन उसके लिये उन्होंने संविधान में संशोधन किया, जब लारी वालों का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो भी खिलाफ फैसला हुआ और उसके लिये संविधान में संशोधन किया गया। एक साहब उधर बैठे हाय-हाय कर रहे हैं। सही है उस प्रकार के संशोधनों पर सिवाय हाय-हाय के और कुछ नहीं कहा जा सकता। श्रीमन्, इसी तरह उन्होंने जो डबल मेम्बर कांस्टीट्युएंसी को बांटा सिंगिल मेम्बर कांस्टीट्युएंसी करने के लिये जो रिजर्वेशन किया वह भी असंवैधानिक था और उसे ठीक करने के लिये संविधान बदला गया। तो पिछले १० साल में संविधान में ११ पेबंद लग चुके हैं। क्या इसमें १२वां नहीं जोड़ा जा सकता। अगर दिल में यह बात होती कि वास्तव में भारतवर्ष में गोवध नहीं होना चाहिये तो यह एक दिन में हो जाता, लेकिन वहां तो बात दूसरी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप धार्मिक नीयत से इसे नहीं रोकना चाहते, कहते हैं कि धर्म निरपेक्ष राज्य है, आर्थिक आधार पर नहीं रोकना चाहते क्योंकि समाजवादी अर्थ व्यवस्था में जहां आदमी भी मशीन समझा जाता है वहां पशु के लिये तो स्थान ही क्या होगा, उसे तो आप मार ही डालेंगे, तो कम से कम राजनीतिक आधार पर ही उसको जान बख्श दीजिये। उसी के दम पर आप यहां पहुंचे हैं, उसी की दुम पकड़ कर आप कुतुब मीनार की आखिरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं और अब अगर उसे छोड़ कर चलेंगे तो इतना नीचे गिरेंगे कि आपका सम्हलना मुश्किल हो जायगा। उस बैल ने आपको इतना ऊंचे पहुंचाया है कि अब आपको आगे जाने की गुंजाइश नहीं है। संविधान अगर आड़े आता है तो उसे बदल दीजिये। इसमें हिचकने की कतई जरूरत नहीं है। जब आप लोगों की संपत्ति हड़पने के लिये, चीजें छीनने के लिये संविधान बदल सकते हैं, कानूनी डकैती डालने के लिये आप कानून बना सकते हैं तो यह आप धार्मिक और आर्थिक भावना के आधार पर भी बदलेंगे और इसलिये मैं समझता हूं कि वैसा करने में कोई बुराई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री धर्मसिंह से) आप २० मिनट में समाप्त कर दें।

श्री धर्मसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं अवस्थी जी ने जो इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव उपस्थित किया है उसका विरोध करता हूं। जब वह इस प्रस्ताव को पेश कर रहे थे तो मैं यह समझता था कि माननीय सदस्य कुछ ऐसी बात कहेंगे कि जिससे इसे प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ेगा। मैंने इसलिये ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनी और वह बात सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर उनकी बात मान भी ली जाय कि इसे प्रवर समिति में भेजना चाहिये तो वहां जाकर वह क्या करेंगे यह मैं समझ नहीं

पाया। किस प्रकार वह इसका स्कोप बढ़ायेंगे, क्या बहस करेंगे, जितनी बातें उन्होंने कहीं उनसे यह पता नहीं लग सका कि वे ठोस कदम क्या हैं जिन्हें वह लेना चाहते हैं इस संबंध में और जिनकी बिना पर इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय।

मान्यवर, गो-वध का जहां तक संबंध है, जो भी इधर बैठने वाले या उधर बैठने वाले सदस्य हैं क्या वे यह चाहते हैं कि गो-वध हो, कदापि नहीं। मान्यवर, कानून बना हुआ है कि गाय, बछड़ा या बछिया का वध बिलकुल बन्द हो। यहां पर सरकार को जो कानून लाना पड़ा वह केवल इस कारण लाना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट का कानून के संबंध में एक फैसला हो चुका है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। माननीय मोतीलाल जी का कहना है कि क्या न्यायाधीश लेजिस्लेचर से ऊपर हैं? यह तो श्रीमन्, इंटरप्रिटेशन की बात है। सरकार तो उनकी राय को पूरी तरह से कद्र करती है, हालांकि लेजिस्लेचर को पूरी तरह का अधिकार है कि उनकी बात को सोच समझ कर जिस तरह का कानून वह मुनासिब समझे लाये। हमारे यहां जहां तक जुडिशियरी की मर्यादा को कायम रखने का सवाल है, सरकार उनकी बात को मानती है और अगर उसको कायम रखना है तो उनकी बातों को मानना ही पड़ेगा। किस प्रकार से उसको माने और किस प्रकार से संशोधन करें यह एक अलग सवाल है। अतः जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है उसी के फलस्वरूप यह संशोधन लाना पड़ा है।

श्रीमन्, हमारे सामने इस समय सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हो गया है उसको किस तरह से हम कार्यान्वित करें और उसी के संबंध में यहां यह विधेयक लाया गया है जिस पर विचार हो रहा है। मान्यवर, इसमें दो राय नहीं कि हमारे यहां दूध-घी की आज कमी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कितने उधर के बैठने वाले ऐसे सदस्य हैं जो गाय को पालते हैं और उनकी रक्षा करते हैं? उधर के माननीय सदस्य आक्षेप तो करते हैं कि कांग्रेस ने उनकी रक्षा हेतु कुछ नहीं किया, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने उनके लिये क्या प्रबन्ध किया? जो गो-सदन खुले हुये हैं और जो गो-माता की रक्षा करना चाहते हैं, उसके लिये आप लोगों ने क्या कार्य किया है? केवल भावनाओं के सहारे यह कह देना कि यह सरकार कुछ नहीं कर रही है, इससे गोवंश का सत्यानाश हो जायेगा, कुछ इससे काम नहीं चलेगा। केवल भावुकता में ही आने से काम चलने वाला नहीं है, आपको उस पर विचार करना चाहिये। श्रीमन्, आज जो कुछ कहा गया वह केवल माननीय सदस्यों की भावुकता का ही प्रतीक है। मैं इस सदन के सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। सन् १९५६ में इस प्रांत में १३,३६० बैल थे और १८,८९३ भैंस और सांड थे। सन् १९५१ से लेकर ५६ तक ६७,३६१ गायें घट गईं, लेकिन दूसरी ओर भैंसों की संख्या ६६,८९८ यानी ३१ प्रतिशत बढ़ गई। तो मान्यवर, यह हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश और किसानों का दुर्भाग्य है कि वह उसका प्रबन्ध नहीं कर पाते। मैं यह मानता हूं कि गाय को मां बाप का स्थान देना बुद्धिमत्ता नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि मां बाप को नहीं निकाल सकते, लेकिन हमारा जो किसान है उसको घी और दूध की आवश्यकता है। उसे बहुत से जानवरों को पालना पड़ता है। लेकिन यह देखा जाता है कि किसी के यहां तीन गायें हो गईं जो चल नहीं सकतीं या इतने बैल हो गये जिनकी कोई यूटिलिटी नहीं है और मैं जानता हूं कि १०-५ रुपया प्राप्त होने के अलावा उनसे कोई फायदा नहीं होता।

सवाल यह है कि वह चारा कहां से लाये और कैसे उनका प्रबन्ध करे। सरकार की तरफ से यह प्रबन्ध है कि बछड़े वगैरह जो इधर-उधर घूमते हैं उनको पकड़वाया जाता है और गोसदनों में भेजा जाता है। हो सकता है कि आपके गांवों के नजदीक ज्यादा चरागाह न हों, लेकिन चरागाह और गोसदन हैं। पंचायतों को अधिकार दिया गया है चकबन्दी में कि वह अपने यहां चरागाह छोड़ें। आज कानून बना हुआ है कि जो चोरी या डकैती करेगा उसको सजा मिलेगी, लेकिन फिर भी लोग चोरी और डकैती करते हैं। तो इसके लिये समाज को बदलना होगा और आर्थिक पहलुओं को सोचते हुये ऐसा वातावरण पैदा करना होगा केवल

[श्री धर्मसिंह]

भावनाओं से काम नहीं चलने वाला है। मान्यवर, सारे दोषों को सरकार के सिर मढ़ देने से प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकेगी।

मैं शुरू में निवेदन कर रहा था कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि सन् १९५१ से लेकर ५६ तक ३१ फीसदी भैंसें बढ़ी, लेकिन गायें कम हो गईं। आगे चल कर भी गायें घट रही हैं और भैंसें बढ़ रही हैं। प्रदेश के जिन भागों में गेहूं का भूसा, ज्वार की करबी या हरा चारा अच्छा पैदा होता है वहां गाय की संख्या तेजी घट रही है और भैंस की संख्या बढ़ रही है। प्रति एक हजार की जनसंख्या पर जिन जिलों में अच्छा चारा होता है दुधारू पशुओं की संख्या इस प्रकार है: मेरठ २३.९, गाय, ६९.२ भैंस। मथुरा ३७.१ गाय, भैंस ८८.४। इटावा २९.२ गाय और ७२.८ भैंस और जहां भूसा तथा हरा चारा कम हो पाता है वहां संख्या इस प्रकार है: झांसी ९२.४ गाय, ४३.७ भैंस। मिर्जापुर ९९.४ गाय, २७.८ भैंस। बलिया ४३.७ गाय, १९.६ भैंस। रायबरेली ५०.२ गाय, ३९.१ भैंस।

पश्चिमी जिलों में जहां चारे का प्रबन्ध है, वहां के किसान गाय नहीं रख पाते। इसलिये केवल भावनाओं को रखना और इस प्रकार की बात कहना कि जब पांच साल के बाद सरकार आयेगी तो न बछड़े रहेंगे और न गाय रहेगी, मैं नहीं समझता उसका क्या अभिप्राय है।

एक बात यह कही गई कि लैकुना रह गया है इस कानून में। तो उस वक्त भी इसमें उम्र थी और उम्र के बाद में अगर उसकी यूटिलिटी नहीं है, जो कंपीटेंट अथार्टी है वह सार्टीफिकेट वगैरह देगी और अगर वह इस बात को महसूस करे कि इसकी टांग टूट गई और किसान को इस से कोई फायदा नहीं है और उसको कांटना पड़े तो जैसा कि उधर से माननीय सदस्य ने कहा था कि जो मांस पकड़ा जायगा—मान्यवर, कटेंगे तो जरूर उस कानून के द्वारा....

एक सदस्य—यह तो आप चाहते ही हैं।

श्री धर्मसिंह—यह हम लोग नहीं चाहते। लेकिन कैसे इस बात का सबूत हो सकता है कि जो गोश्त है, जो बीफ है, वह कायदे कानून के अन्दर कटे हुए जानवर का है या किस प्रकार का है? मैंने उनकी बात को बहुत समझने की कोशिश की और यह समझा हूं कि कोई लैकुना नहीं है और जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी वजह से यह लाया गया है। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसके बारे में भी विचार किया जा सकता है।

और बहुत सी बातें कही गईं, मैं समझता हूं कि इधर के बैठने वालों ने उन सभी बातों का उत्तर दे दिया है। इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस पर बहस समाप्त करने के बाद, भावनाओं में न पड़ते हुए इसे पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६१ को एक प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जावे जो विधेयक की परिधि भी विस्तृत कर सके और अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत कर देवें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६१ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १–३

उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६१

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण अधिनियम, १९५५ को कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने का — उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५६

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षक, नाम तथा प्रसार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५६ की धारा ३ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण अधिनियम, १९५५ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा ३ में—

(१) उपधारा (२) में शब्द "अथवा प्रमाण-पत्र जारी होने के दिनांक से बीस दिन के अन्दर" निकाल दिये जायं;

(२) उपधारा (३) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(क) सांड़ या बैल पन्द्रह वर्ष से अधिक आयु का है, अथवा"

तथा

(३) उपधारा (४) में शब्द "सक्षम प्राधिकारी की इस धारा के अधीन आज्ञा से असन्तुष्ट कोई व्यक्ति, आज्ञा के दिनांक से २० दिन के भीतर, राज्य सरकार के पास उसके विरुद्ध अपील कर सकता है तथा राज्य सरकार उस पर ऐसी आज्ञा दे सकती है, जो वह उचित समझे।"

निकाल दिये जायं;

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५६ की धारा १० का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) के खंड (कक) में शब्द "और अपीलों" निकाल दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ और खंड ३, प्रस्तावना और शीर्षक तथा खंड १ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री धर्म सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६१, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--मैं इसका विरोध करता हूं ।

*श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---माननीय मंत्री जी ने जो फरमाया तो मैं यह निवेदन कर दूं कि उनके ऐक्ट में भी प्रावीजन है कि बर्डेन आफ प्रूफ अक्यूज्ड पर है । लिहाजा आपने ऐक्ट के खिलाफ बात कह दी, मुझे भी उस समय मालूम नहीं था । उसमें यह है---

"In any trial for an offence punishable under sub-section (1) or sub-section (2) the burden of proving that the slaughtered cow belongs to the class specified in clause (*a*) of sub-section (1) of section 4, shall be on the accused."

यह आठवें सेक्शन में है । खैर, उनके लिए मजदूरी थी है । मझे तो यादव जी और धर्म सिंह जी पर तरस आता है रोजाना, क्योंकि उनके ऊपर काम भी ज्यादा लाद दिया गया है सभी प्रश्नों का उत्तर उन्हीं को देना होता है ।

इसके साथ-साथ यह भी जोड़ने की कृपा करें कि अगर किसी के पास मांस है तो उसको यह तसदीक करना पड़े कि जिस जानवर को छट दी गयी है यह उसका मांस नहीं है । क्योंकि अगर मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेते हैं तो उसमें साफ-साफ दिया है कि उस व्यक्ति की परसनल नालेज में वह चीज होती है कि वह कहां से उसे लाया, तो यह जो रेस्ट्रिक्शन लिया जायगा वह वैध होगा । इसलिए आपका तर्क तो लगड़ी दलील है ।

दूसरी बात यह है कि एक बड़ी भयंकर बात मंत्री जी कर रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनको करनी पड़ी, जिससे सारा ऐक्ट नल ऐण्ड वायड हो गया । ब्रजनारायण तिवारी जी लाये हैं कि १५ वर्ष से कम उम्र का बैल भी अयोग्य घोषित किये जाने पर मारा जायगा । अगर यह हो जाता है तो यह बिल कोई मानी नहीं रखता । बदकिस्मती यह है कि जो सक्षम प्राधिकारी (प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी) होगा उसके गलत या सही घोषणा करने पर वह मार दिया जायगा । पहले यह कायदा था कि अगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी यह कहती है कि यह बैल अयोग्य है, काम के लायक नहीं है, प्रजनन के लायक नहीं है, मारे जाने के लायक है, तो २० दिन तक वह नहीं मारा जा सकता था । अब वह कैद हटा दी गयी है । अब तो वह फौरन ही मार दिया जायगा । उसके लिए कोई चारा नहीं है । अगर वह १५ वर्ष से कम उम्र का है, मिल्श कैटिल है, प्रजनन के योग्य है और प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी घूस लेकर उसको कह देती है कि यह मारे जाने के योग्य है तो उसको मारने से कोई रोक नहीं सकता । इतना बड़ा लैकुना सरकार ने किस लिए रखा है ? मैं तो चार्ज करता हूं कि यह सरकार की दोधारी नीति है । हिन्दू वोटर के लिए सरकार की दलील यह है कि हमने गोवध निवारण बिल पास कर दिया और मुसलमान के लिए यह रखा है कि इस ऐक्ट में तो कुछ हो ही नहीं सकता, तुम्हारा व्यापार चलता रहेगा, १५ वर्ष से कम के जानवर भी मारते रहोगे । तो यह केवल वोट मांगने के लिए लाया गया है । नाम के लिए ऐक्ट भी हो जाय और इनआपरेटिव भी हो जाय । तो मेरा इस कांग्रेस सरकार पर यह चार्ज है । इससे गोवध बजाय रुकने के बढ़ेगा और सरकार उस पाप की भागी होगी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा इस पर बोलने का नहीं था, लेकिन सरकार का ध्यान आकर्षित हो जाय और वह सही स्थिति का ज्ञान कर ले, इसलिए आवश्यक हुआ कि मैं अपने विचार प्रकट करूं । जहां तक विधेयक में इस धारा के जोड़ने का सवाल है और १५ साल के पशु के बारे में दिया है, इसमें वैधानिक कठिनाई तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी व्यावहारिक कठिनाई यह रही है कि किस समय पशु बेकार हो जाता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ऐसे भी बैल, गाय और सांड़ बहुत बड़ी तादाद में मिलेंगे जो २० साल तक पूरी तरह से काम करते हैं और जिनके सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि ये बेकार हो गये हैं। तो जिसका १५ साल से ज्यादा का सर्टीफिकेट मिल जायगा वह कट जायगा। जब यह २० साल की उम्र का था तो हमारे पास निश्चित उदाहरण हैं कि व्यावहारिक रूप से इससे कोई रक्षा नहीं हो रही थी। किसी अधिनियम की प्रतिष्ठा पूरी तरह से रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। जब २० साल का था तब ही सरकार इस अधिनियम की प्रतिष्ठा के लिये सचेष्ट नहीं थी। कानपुर जिले में पुखरायां में तमाम खालें पकड़ी गईं। वहां के पशुओं के डाक्टर ने कहा कि ये ५ साल और १० साल के जानवरों की हैं। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उसने सब खालें छुड़वा दीं। वहां की जनता में उस डाक्टर के खिलाफ रोष रहा, लिखा-पढ़ी भी हुई, लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। अगर विरोधी पक्ष के लोग होते हैं तो कार्यवाही हो जाती है और अगर सत्तारूढ़ दल के लोग होते हैं या उनका दबाव पड़ जाता तो लोग छूट जाते हैं। ऐसी सूरत में अधिनियम का कोई महत्व नहीं रह जाता। अगर सरकार यह आश्वासन दे कि पशु जो काम करने के लायक हैं उनके बारे में डाक्टर भी गड़बड़ी न करें---धार्मिक भावनाओं में मैं नहीं जाऊंगा---लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से यह ठीक हो सकता है, परन्तु व्यावहारिकता को देखकर तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सरकार इस कानून की प्रतिष्ठा रखने में असमर्थ रही है। इसी कारण मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं कि यह पारित न किया जाय।

श्री धर्मसिंह---मान्यवर, जब इस विधेयक पर बहस हो रही थी तो सब बातों का उत्तर दे दिया गया था। एक माननीय सदस्य ने कहा कि माननीय मंत्री जी को या उप-मंत्री जी को यह बात मालूम नहीं थी। मान्यवर, यह बात मुझे मालूम थी। जिस बात का उन्होंने जिक्र किया है उसका हालांकि उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

(इस समय ४ बज कर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

जब कोई मामला पकड़ा जायगा तो यह कैसे साबित होगा कि गाय या बछड़ा १५ साल से नीचे का है या उसकी यूटोलिटी रही है या नहीं, यह बात समझाने की मैंने कोशिश की थी। उन्होंने उसके बारे में दूसरी ही बात कही कि अपील की अथारिटी को समाप्त किया जा रहा है। अभी तक यह होता था कि अगर प्रैस्क्राइब्ड अथारिटी आज्ञा नहीं देती है तो वह अपील करके ऐनीमल हसबैन्ड्री डिपार्टमेंट में जाय या अपने बछड़ों को यहां लावे। यह प्रैक्टिकल दिक्कत आती थी।

तीसरी बात वोटर्स की कही गई। जहां तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, कोई गाय का नाम लेकर या धार्मिक प्रवृत्तियों के सहारे वोट नहीं मांगता है। न हिन्दुओं को खुश करने का सवाल है और न मुसलमान को खुश करने का सवाल है। ये तो वही लोग हैं जो कि भावनाओं को उभाड़ कर इस प्रकार की बातें करते हैं। इसलिये मैंने निवेदन किया है कि इस विधेयक को यह सदन पारित करने की कृपा करे।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६१, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

स्थायी तथा अन्य समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष---मेरे पास श्री नवल किशोर जी ने यह लिख कर भेजा है कि समितियों के बारे में नाम वापस लेने का समय १५ मई तक कर दिया जाय, क्योंकि अब असेम्बली १९ तारीख तक बैठ रही है। मैं समझता हूं इसमें किसी को कोई आपत्ति न होगी। अगर वोटिंग हुई तो १९ तारीख को होगी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, उसको १८ कर दिया जाय १९ के बजाय ।

श्री अध्यक्ष--१५ तारीख नाम को वापसी की तारीख होगी शाम के ५ बजे तक और १८ तारीख को यदि आवश्यकता हुई तो वोटिंग होगी ।

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निपातन) विधेयक, १९६०

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)---अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव फरवरी में आया था और इसमें रिपोर्ट देने की अन्तिम तिथि मार्च लिखी हुई है । मैंने आपसे निवेदन किया था कि इस तिथि के बजाय १५ जुलाई कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष---आप उसको संशोधित रूप में उपस्थित कर दें ।

*श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के निम्नलिखित संशोधित संकल्प से सहमत है---

> "सन् १९६० ई० के उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निपातन) विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन १५ जुलाई, १९६१ तक प्रस्तुत करे ।"

श्रीमन्, यह विधेयक मलिन बस्तियों के संबंध में है । माननीय सदस्य इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि मलिन बस्तियों की कितनी जटिल समस्या है । जितनी ही आबादी बढ़ती चली जाती है उतनी ही समस्या मलिन बस्तियों की बढ़ती जाती है । कारण यह है कि आबादी घनी होती जाती है जिससे रहने की व्यवस्था हो नहीं पाती । इनमें जो गरीब और मजदूर वर्ग के लोग होते हैं उनको सस्ते मकानों की जरूरत होती है । इस बात की ओर विशेष कर ध्यान उस समय गया जब कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू कानपुर में आये और उन को इन स्लम एरियाज को देखने का मौका मिला । उन्होंने उस समय यह महसूस किया कि ये बस्तियां ऐसी हैं कि जिनमें मनुष्य तो क्या पशुओं का रहना भी कठिन है । उसी समय से इन मलिन बस्तियों के सुधार की ओर निर्माण की योजना चली ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भी इसमें कुछ काम हुआ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भी अपने सूबे में इस सम्बन्ध में काम हुआ और तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी काम होने वाला है । प्रारम्भ में कुल देश के ६ बड़े नगरों के लिये ही यह योजना बनाई गई थी । उन ६ बड़े नगरों में हमारे सूबे का कानपुर नगर भी शामिल था और कलकत्ता, बम्बई, मदरास, दिल्ली और अहमदाबाद भी उसमें थे । कानपुर में यह योजना लागू की गई, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि हमारे प्रदेश में नगरों की संख्या अधिक है । हमारे यहां ५ नगरमहापालिकाएं हैं । इस लिये केन्द्रीय सरकार से इस बात का अनुरोध किया गया कि यहां यह समस्या केवल कानपुर की ही नहीं है बल्कि वही हालत बहुत से नगरों में है और विशेषकर जो हमारे कवाल टाउन्स हैं जहां कि हमारी नगर महापालिकाएं कायम हैं वहां तो यह है ही । केन्द्रीय सरकार ने हमारे अनुरोध को स्वीकार भी किया और इस योजना का लाभ जो केवल कानपुर को ही प्राप्त होने वाला था वह अन्य ४ कवाल नगरों को भी अब प्राप्त होने लगा है ।

अब इस काम को करने में हमारे सामने कठिनाइयां आती हैं और इसी कारण से इस विधेयक को लाने की विशेष आवश्यकता पड़ी है । मुझे इस समय अधिक ब्यौरेवार कुछ कहने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्वतः प्रस्ताव यह है कि यह विधेयक प्रवर समिति के पास जाय और इसके विभिन्न खण्डों पर प्रवर समिति भलीभ ति विचारविनिमय करे। वह इसमें संशोधन कर सकती है। मोटे तौर पर जो योजना इसमें रखी गई है वह यह है कि यदि किसी क्षेत्र को ऐसा समझा जाय कि वह मलिन बस्ती है तो उसको मलिन बस्ती क्षेत्र घोषित किया जा सकता है और जिस क्षेत्र को स्लम एरिया घोषित कर दिया जाय उसमें यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि जो उसके मालिक हों उनको यह आदेश दिया जा सकता है कि वह उन मकानों को जो उस क्षेत्र में हैं एक नियत रूप में निर्मित करायें और इस तरह से बनायें कि जिससे वह मनुष्यों के रहने योग्य हो सकें और अगर वहां कोई ऐसे मकान हैं जो ठीक नहीं किये जा सकते हैं तो उनको गिराने का आदेश भी दिया जा सकता है। हमारा पहला कदम और प्राविधान यह है। जो मौजूदा बस्तियां हैं और उनमें यदि कोई मकान ऐसे हैं कि जिन की दशा को सुधारा जा सकता है तो उनकी दशा को सुधारा जाय जिस से वहां के रहने वालों के लिये स्वस्थ वातावरण पैदा हो सके।

परन्तु, केवल इतने से ही काम चलने वाला नहीं है। कुछ क्षेत्रों की दशा ऐसी है कि वहां जो मकान बने हैं उनका सुधार हो ही नहीं सकता, वह इतनी खराब दशा में हैं। अगर यह देखा जाय कि किसी क्षेत्र में अधिकांश ऐसे ही मकान हैं कि उनकी हालत को सुधारा ही नहीं जा सकता और उनमें से बहुत से ऐसे हैं कि जो रहने के लिये अयोग्य हैं तो उसको क्लीयरेंस क्षेत्र के नाम से घोषित किया जा सकता है। जो क्षेत्र स्लम एरिया और क्लीयरेंस एरिया घोषित हो जायगा उसमें आदेश दिये जा सकते हैं कि इन मकानों को गिराया जाय, इन मकानों को न गिराया जाय, इनको इस तरह से रखा जाय। यह अधिकार उसमें प्राप्त हो जाता है और अगर मान लिया जाय कि उन मकानों का मालिक उनको गिराता नहीं तो साथ ही में यह अधिकार प्राप्त कर लेना आवश्यक है कि उनको गिरा दिया जाय और नया निर्माण करा दिया जाय तथा जितनी कीमत निर्माण में लगे वह मकान मालिकों से वसूल कर ली जाय।

श्रीमन्, बहुत से अवसरों पर इस बात से भी काम चलने वाला नहीं है, केवल मालिकों के ऊपर ही पूरे तरीके से निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिये तीसरा कदम यह रखा गया है कि जब ऐसे स्लम एरिया की भूमि को अर्जित किया जाय, यों तो ऐक्वायर करने का अब भी प्राविधान है, नियम है, और जमीन ऐक्वायर की जाती है, किन्तु जो नगरों की जमीन है, जो स्लम एरिया है, उसके ऐक्वायर करने में बहुत जबरदस्त कठिनाई पैदा होती है। यह एक बड़ी अजीब बात मालूम होगी, मुझे कम से कम मालूम हुई, कि इन बड़े-बड़े शहरों में जो स्लम एरियाज हैं पर स्कवायर यार्ड जितना किराया मकान मालिकों को उनसे वसूल होता है वह सम्भवतः और किसी एरिया में नहीं होता। तो स्लम एरियाज में मकान मालिकों को बहुत जबरदस्त किराया वसूल होता है और चूंकि उनको इतना किराया मिलता है उनकी दिलचस्पी इस मलिन बस्ती को दूर करने में नहीं होती है। दूसरी ओर यदि इस मलिन बस्ती को लिया जाता है तो आज के लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत वह बहुधा अदालत की शरण लेता है जिसमें बहुत समय लग जाता है और नव निर्माण का कार्य है वह नियोजित रूप में नहीं चल पाता है, निर्धारित समय में नहीं चल पाता है। इसलिये विशेष रूप से इस विधेयक के द्वारा भूमि अर्जित करने का प्राविधान रखा गया है और यह भी रखा गया है इसमें कि कितना कम्पेन्सेशन दिया जाय। कमपेन्सेशन को भी इसमें निर्धारित कर दिया गया है। चूंकि दूसरे ऐक्वीजीशन ऐक्ट में कम्पेन्सेशन मार्केट रेट पर दिया जाता है जो बहुधा अदालत में चले जाते हैं और झगड़ा होता है, इसलिये कम्पेन्सेशन को इस विशेष प्रयोजन के लिये भूमि अर्जित करने के लिये इसमें नियत किया गया है। ये इसकी विशेष बातें हैं।

साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो मौजूदा गरीब लोग स्लम एरियाज में रहते हैं उन पर कोई अधिक कठिनाइयां न आ सकें। जिस तरह से रेंट कंट्रोल और स्विक्शन ऐक्ट बनाया गया है साधारण किरायेदारों के हक में उसी तरह इस विधेयक में भी यह

[श्री कैलाशप्रकाश]

प्राविधान किया गया है कि किसी स्लम एरिया के रहने वाले किरायेदार को मामूली तरीके से कोई निकाल न सके जब तक किसी कम्पीटेंट अधिकारी से उसके लिये आज्ञा न ले ली जाय।

साथ ही साथ यह भी व्यवस्था है कि अगर किसी स्लम एरिया में कोई ऐसी तिजारत चलती हो जो वहां के रहने वालों के लिये हानिकारक हो, अस्वास्थ्यकर हो तो ऐसी तिजारत को भी उस क्षेत्र में चलने से रोका जा सकता है। इस तरह के प्राविधान साधारणतया इसमें रखे गये हैं। यह इसका उद्देश्य है कि गरीब लोगों की किसी तरीके से दशा सुधरे। वह सरकार द्वारा निर्मित आवास से सुधरे या मकान मालिक द्वारा निर्मित कराने से सुधरे या वहां के स्वास्थ्य के कार्यों को ठीक तरीके से करने से सुधरे। ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है।

मुझे आशा है कि यहां के माननीय सदस्य इस चीज को चाहते हैं, यह उद्देश्य उनको वांछनीय है और शीघ्रातिशीघ्र इस चीज को चाहते हैं। मैंने निवेदन किया आपसे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस प्रदेश में भी काम हुआ है और बड़े-बड़े पांचों नगरों में हुआ है। कोई आंकड़े दे कर मैं सदन का बहुत समय नहीं लेना चाहता हूं। केवल इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस योजना में करीब-करीब १ करोड़ ९६ लाख रुपये का काम हुआ। इस योजना के अन्तर्गत इन गरीब आदमियों के रहने के लिये मकान भी बनाये जाते हैं। उनके बनाने में केन्द्रीय सरकार की तरफ से २५ फीसदी अनुदान दिया जाता है और ५० फी सदी का ऋण दिया जाता है। इस तरीके से यह ७५ फीसदी हो जाता है। २५ फी सदी प्रदेशीय सरकार अपनी तरफ से देती है जिसमें साढ़े १२ फी सदी का अनुदान होता है और साढ़े १२ फी सदी का ऋण होता है। इस तरीके से जो मकानों का अनुमान किया जा रहा है उसमें २५ और साढ़े १२, यानी साढ़े ३७ फी सदी अनुदान दिया जाता है और शेष ऋण होता है। कानपुर नगर के लिये केन्द्रीय सरकार की योजना में थोड़ा सा संशोधन है और वह यह कि २५ फीसदी अनुदान के बजाय वह साढ़े ३७ फी सदी अनुदान देते हैं और साढ़े ३७ फी सदी ऋण देते हैं २५ फीसदी प्रदेशीय सरकार का रहता है। मोटे तरीके से यह योजना है। माननीय सदन को इस बात की प्रसन्नता होगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो अब चालू हो गयी है उसके अन्तर्गत इस सिलसिले में करीब-करीब ३ करोड़ रुपये का काम करने का इरादा है। मैं समझता हूं कि माननीय सदन इसको अपनी पूरी सहमति दे कर शीघ्र ही पारित करेगा जिससे अवधि के अन्दर यह कार्य पूरा हो सके।

श्री अध्यक्ष—श्री माता प्रसाद जी का जो संशोधन है वह तो अब अनुपयुक्त हो गया क्योंकि १५ अप्रैल तो गुजर चुकी और उन्होंने जुताई कर दिया इसलिये वह खत्म हो गया। दूसरा संशोधन श्री मोतीलाल जी अवस्थी का है जो अवैध है, क्योंकि यह प्रस्ताव इस किस्म का है कि इस को सहमति आप दें या न दें इसको जनमत के लिये भेजा नहीं जा सकता।

माननीय मोतीलाल अवस्थी, आप दस मिनट ही बोलिये क्योंकि इसके लिये डेढ़ घंटे का ही समय है।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक आज हमारे सामने प्रस्तुत है इसके लिये मैं यही कह सकता हूं कि देर आयद दुरुस्त आयद। यह विधेयक बहुत दिनों से हमारे सामने प्रस्तावित रूप में रहा और आज कई महीने बाद इस शक्ल में हमारे सामने अवश्य आया है और इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करके इसको आगे चलाया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जा रहा है। मैं अपना थोड़ा सा मन्तव्य इस सम्बन्ध में रखना चाहता हूं क्योंकि इस विधेयक की मंशा कुछ ऐसे नगरों के सुधार के सम्बन्ध में है जिनमें घनी बस्ती या अन्य कारणों से मलीनता आ गयी है और जिनको नये ढंग से बसाने की इसके अन्दर मन्शा है।

हमारे मंत्रीजी ने कुछ विशेषतौर से कानपुर का भी इसमें नाम लिया है और उसके सम्बन्ध में जो सुधार करने की योजनायें सरकार ने बताई हैं उनमें जो अनुदान और ऋण दिया जाने वाला है उसमें कानपुर के लिये कुछ अधिक प्राविजन किया गया है। मैं इसका स्वागत करते हुये सरकार का विशेषतौर से इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि कुछ ये बड़े-बड़े नगर जिनको इस प्रकार सुधारने का सरकार प्रयास कर रही है इनमें सरकार को मुक्त हस्त होकर ऋण और अनुदान देना चाहिये। इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में ३ करोड़ रुपये का प्राविधान है, लेकिन यदि मुझे कहने दिया जाय तो मैं कहूंगा कि कानपुर अकेले के लिये यदि इतना रुपया दिया जाए तो वह अधिक नहीं होगा। कानपुर की नई मर्दुमशुमारी के हिसाब से ९ लाख आबादी हो गई है, बल्कि कुछ लोगों का खयाल है कि इससे अधिक है। कानपुर के वह हिस्से जो ८०९० साल से बसे हुये हैं उनमें इतना घनत्व है या इतनी मलिनता आ गई है कि वहां से किसी स्वस्थ व्यक्ति का गुजरना मुश्किल से हो सकता है। यह भी कहा गया कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने इसको देखा तभी से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे प्रधान मंत्री जी की निगाह सब जगह पहुंच जाती है। यह हमारे लिये बड़े सौभाग्य की बात है अन्यथा हमारी सरकार तो परवाह नहीं करती है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने चार साल पहले कानपुर की इस बस्ती को देखकर यह शब्द कहे थे कि 'इन स्लम एरियाज को आग लगा दो'। भले ही उन्होंने यह शब्द आवेश में कहे हों, लेकिन सचमुच में यथार्थता को देखकर ही यह शब्द कहे थे। आग लगा देने की बात कहने से उनकी मशा यह नहीं थी कि दियासलाई से आग लगा दी जाय, बल्कि यह थी कि जितनी जल्दी हो सके इसकी मलिनता दूर हो जाय। हमारी सरकार को चार साल हो गये, लेकिन वह अभी तक कानून निर्माण की ही बात पर सोच विचार कर रही है।

मैं यह प्रार्थना करूंगा कि केन्द्रीय सरकार बड़ी उदारता दिखा रही है। २५ प्रतिशत अनुदान, ५० फीसदी ऋण देने के लिये केन्द्रीय सरकार तैयार है तो ऐसी हालत में हमारी सरकार को अधिक से अधिक योग दान देना चाहिये। सरकार न केवल योगदान दे बल्कि जो सुधरी हुई बस्तियां हैं उनमें सरकार को सजग होकर काम करना होगा। अक्सर देखा यह गया है कि जो ऋण और अनुदान दिये जाते हैं उसमें सरकारी अधिकारियों का व्यवहार अच्छा नहीं होता और लोगों को इनके प्राप्त करने में पैसा भी व्यय करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि सरकार इधर ध्यान देगी।

श्रीमन्, मैं कानपुर की बात कह रहा था कि कुछ हिस्से नये ढंग से जमीन एक्वायर करके बनाये गये हैं और नये प्लान के अनुसार वहां मकान बनाये गये हैं, लेकिन वहां पर मकान मध्यम वर्ग को कम मिल रहे हैं। मजदूरों के लिये दो नये आवासगृह बनाये गये वे उनको प्राप्त नहीं हुये। सरकारी मुलाजिमों को जरूर तरजीह दी गई और उन्हें वे मकान मिल गये, लेकिन जो इस बस्ती में रह चुके थे और जिनको प्राथमिकता मिलनी चाहिये थी उनको नहीं मिली। इस विधेयक के अनुसार जो सुधरी हुई बस्तियां बनेगी उनमें ध्यान रहना चाहिये कि जो लोग पहले से रहते थे उनको प्राथमिकता दी जाय और उन्हें सारी सुविधायें दी जायं। आज यह बात कही जाती है जैसा कि इसके उद्देश्य और कारणों में बताया गया है कि लोग गांवों को छोड़कर शहरों में आकर बसने लग गये हैं। उसका नतीजा यह है कि तमाम बस्तियां घनी और गन्दी हो चुकी हैं। सरकार का ध्यान इस ओर भी जाना चाहिये कि क्या कारण है कि जनता ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ती जा रही है और बजाय इसके कि इन शहरी बस्तियों को सरकार विस्तृत बनाती चली जाय वह ऐसे भी प्रलोभन पैदा करे कि वह शहरी क्षेत्रों में इतना घनत्व लेकर न बसें और ग्रामीण क्षेत्रों में ही अपना घर बनाकर रहें।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

स्थिति आज यह है कि हम इन नगरों को सुधारने की कोशिश करते हैं और रुपया भी व्यय करते हैं, लेकिन इस पर भी निर्धन लोगों को इसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता है। वह अब भी उन्हीं हिस्सों में रह पाते हैं जहां कोई नहीं रहता। कानपुर की हालत यह है श्रीमन्, कि आज बहुत से ऐसे मुहल्ले हैं जिनकी तरफ या तो सरकार का ध्यान ही नहीं जाता या जाता भी है तो वह अपनी बेबसी बताते हैं। कुछ ऐसे मुहल्ले हैं कि जिनको न वह ध्वस्त कर सकती हैं और न उन्हें नये ढंग से बसा ही सकती है क्योंकि वह कहती है कि यह बड़ा खर्चीला काम है। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार खर्चे की आड़ न ले। या तो वह उनको बिल्कुल ध्वस्त करने की बात कहे या अगर किसी प्रकार से उन्हें कम्पेन्सेशन देने की बात हो तो वह कम्पेन्सेशन ऐसा न हो कि वह बिल्कुल निर्धन हो जायं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि किसी धनिक को और धनी बनाया जाय, बल्कि होना यह चाहिये कि उस स्लम एरिया के जो रहने वाले हैं वह सुविधा उनको मिले बजाय इसके कि इसका फायदा उसके मालिकों को पहुंचे।

दूसरी बात यह है कि जो तमाम प्राधिकारी मुकर्रर हों उनका भी लक्ष्य यह हो कि उन गरीबों के लिये वह ज्यादा ध्यान दें बजाय इसके कि कानून के हेरफेर में ही वह अपना ध्यान लगाये रक्खें। आजकल देखा यह गया है कि प्राधिकारी जो बनाये जाते हैं-सक्षम प्राधिकारी-वह अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, और दत्तचित्तता से काम नहीं करते हैं, बल्कि कानून की बारीकियों में जा जा कर काम करते हैं। उनमें मनुष्यता नहीं रह पाती या अपनी अनभिज्ञता के कारण बहुत से उचित काम वह नहीं कर पाते। इसलिये मेरा आप से आग्रह यह है कि इसमें जो भी अधिकार उन प्राधिकारियों को आप दीजिये वह ऐसे दीजिये कि जिससे वह उन गरीबों के सहायक बन कर रहें। इस विधेयक का हम समर्थन करते हैं और सरकार से यह आशा करते हैं कि सरकार इस कार्य को शीघ्रता से करेगी। इसमें जो प्रवर समिति मुकर्रर होगी, मैं समझता हूं कि वह समय के अन्दर अपना कार्य पूरा करेगी। अक्सर देखा यह गया है कि प्रवर समितियां अपना काम समय के अन्दर पूरा नहीं करतीं और वह अपने कार्यकाल को बढ़ाने के लिये प्रार्थना किया करती है। मैं समझता हूं कि इसमें ऐसी बात नहीं होगी। इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष---माननीय गोविन्दसिंह बिष्ट, आप पांच मिनट ही लीजियेगा।

*श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन् पांच मिनट काफी है, क्योंकि समर्थन जब करना होता है तो उसमें ज्यादा टाइम लेने की बात पैदा नहीं होती। मैंने माननीय अवस्थी जी के प्रवचन को बड़े ध्यान से सुना....

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि इनका क्या प्रवचन होगा, कोई पंडिताई कथा होगी या....

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---हम तो प्रवचन इस लिये कहते हैं कि वह हमको हमेशा शिक्षा देते रहते हैं "शिवके हां सिगरे जग को अरु ताकहूं तू आ देति है शिक्षा".....

श्री अध्यक्ष---बड़ी इज्जत के साथ कहा है उन्होंने।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं। हमारे आदरणीय सदन के सदस्य अगर बुरा न मानें तो मैं यह कह सकता हूं कि सबसे अधिक मेहनत हमारे माननीय सदस्य अवस्थी जी करते हैं, बड़ी मेहनत से वह तैयारी करके आते हैं, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम फालो नहीं कर पाते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, मैं इस बिल का खुले दिल से स्वागत करता हूं। जब सरकार कोई अच्छा काम करे तो उसमें भी नुक्ताचीनी करें, बुरा काम करे तो भी नुक्ताचीनी की जाय, तो श्रीमन्, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। हम जो अच्छे काम हैं उनका समर्थन करना चाहते हैं। इस आदरणीय सदन में जितने भी विरोधी पक्ष या सरकार के पक्ष के माननीय सदस्य हैं मैं नीयत पर किसी को शक नहीं करता, सबकी नीयत यह है कि देश का भला हो, देश तरक्की करे। अब अपना अपना ढंग है। हम कहते हैं कि ढंग आपका अच्छा नहीं है। नीयत आपकी खराब नहीं है, लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है। हमारा तरीका बरते तो अच्छा होगा।

इसमें दो राय नहीं हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कानपुर गये थे तब वहां पर मलिन बस्ती बहुत सी थीं। आज भी मलिन बस्ती जिस हालत में मंत्री जी ने कहा उससे गई गुजरी हालत में हैं। मंत्री जी को तो नोट से पता लगा होगा, लेकिन हमने तो वहां जाकर देखा है और हम वहां रहे हैं। मैंने भी कानपुर की एक फैक्टरी में सन् १९४४-४५ में काम किया है। काम भी करता था और ला भी पढ़ता था। मैं भी स्लम में रहा हूं और वहां पर मजदूर नेताओं के भाषण सुने हैं। यहां पर बहुत थोड़े ऐसे सदस्य होंगे जिन्होंने मिल में काम किया हो। वहां पर हालत यह है कि अगर किसी स्लम में चले जांय तो वहां पर आपको लवेन्डर और इवनिंग इन बैरिस की खुशबू आने लगेगी। तब आपको मालूम होगा कि कितना स्लम वहां पर है। न उनके मकानों में सहन है और न दालान है। इतनी गन्दगी है कि जैसा अभी मंत्री जी ने बतलाया। मेरा उनसे निवेदन यह है कि ऐसी व्वयस्था वहां पर करें कि उनके मकानों के नजदीक अस्पताल हों, स्कूल हों और दूसरे साधन भी हों, । इस स्लम को जितना जल्दी हो सके क्लीयर किया जाय।

जब इस देश में कोई विदेशी आता है तो उसको भाखरा नांगल दिखाया जाता है। अगर कोई आदमी ऐसा आवे जैसा कि वह जर्मनी का प्रोफेसर आया था जो यहां से रिपोर्ट लिखकर ले गया, तो फिर हमारे लिये बड़ी मुश्किल हो जायगी। दिल्ली में बड़ी-बड़ी आलीशान इमारतें बनी हैं। दिल्ली में जाकर ऐसा मालूम होता है कि जैसे वह अलकापुरी हो या इंग्लैंड में या अमेरिका में आगये हों। यह अन्दाजा वहां जाकर नहीं रहता है कि हम हिन्दुस्तान में हैं। हिन्दुस्तान की गरीबी का ध्यान दिल्ली को देखकर नहीं आता है, इसलिये कि वहां पर बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स बनी हुई है। हमारी सरकार मलिन बस्ती के लिये जो यह विधेयक लाई है मैं इसका समर्थन करता हूं और मंत्री जी को, जो मुझे सुझाव देने होंगे, वह वहां पर दूंगा। अब तो मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—अभी तो मैं १५ मिनट समय सदन का बढ़ा देता हूं, उसके बाद यदि कोई और समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव आयेगा तो देखा जायगा।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जहां की मलिन बस्ती का जिक्र जोरों से किया गया है इत्तफाक से मैं उसी शहर का रहने वाला हूं। कानपुर नगर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। यह स्लम जो पैदा हो गये हैं यह उसी उद्योग की देन है। जहां उद्योग होते हैं वहां आमतौर से मिल मालिक मजदूरों के रहने के लिये उनके मकानों का इन्तजाम नहीं करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जिस एरिया में मिल खोले जाते हैं उसी के आस पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि कुछ जमीन के मालिक होते हैं। वह उसको घेर देते हैं जिसको आप अहाता कहते हैं। उसको घेरकर वह मान्दे बना देते हैं और उनमें ही मजदूर रहा करते हैं। जैसा कि मंत्री जी ने जिक्र किया है कि प्रधान मंत्री जब सन् १९५२ में कानपुर में आये थे तो उन्होंने उन एरिया का निरीक्षण किया था। उसके बाद जो बातें उन्होंने कहीं उनको कहकर मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। इस विधेयक में केवल एक बात स्पष्ट नहीं हुई है। कि कानपुर नगर में अब से करीब २५ वर्ष पहले लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के मातहत बहुत सी बस्तियों को स्लम डिक्लेयर किया जा चुका है। २५ वर्ष से न तो म्यूनिसिपलबोर्ड ने उनको लिया है और न उन्हें बनाने या सुधारने के लिये इजाजत दी जाती है।

[श्री उमाशंकर शुक्ल]

न उनको कंपेंसेशन देते हैं, उन के बारे में कोई व्वयस्थ नहीं है । वास्तव में जो मलिन बस्तियां नहीं थीं इस ऐक्ट के मातहत उनको मलिन बस्ती बना दिया गया है । जो एरिया २० बरस पहले से एक्वायर्ड ह उनके बारे में इसमें कोई बात नहीं कही गई है । मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वे इसका स्पष्टीकरण करें कि २०, २५ साल पहले जो बस्तियां स्लम डिक्लेयर हो चुकी हैं वे इस ऐक्ट के द्वारा गवर्न होंगी अथवा नहीं ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इसमें जो कंपेंसेशन का प्राविजन रखा गया है वह ठीक है । मैं उसे पसन्द करता हूं । पहले लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के मातहत जो फैसले होते थे वे बड़े दिक्कत तलब होते थे और उनमें बड़ा वक्त लगता थ । इसमें यह प्राविजन रखा गया है कि जो मौजूदा भाड़ा आता हो उसका १०० गुना मुआवजा दिया जायगा और इसे बाद में डिफाइन किया गया है कि औसत मासिक सकल किराया, उस सकल किराये का साठवां भाग होगा जो धारा १७ के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक के पूर्व लगातार पांच वर्षों की अवधि में उसके स्वामी को वास्तव में प्रोदभूत हुआ हो । इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो बस्तियां २० साल पहले ले ली गई थी क्या उसका भी मुआवजा इसी आधार पर मुकर्रर किया जायगा ? या उन के लिये कोई दूसरा प्राविजन होगा ? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

इस ऐक्ट के मातहत कई बातें कही गई हैं । उनके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता पर दो तीन बातें सामने आयी हैं । एक तो यह कि जो लोग उन जगहों पर रहते हैं उनको हटाने के पहिले आल्टरनेटिव एकोमोडेशन का हमें तत्काल प्रबन्ध करना पड़ेगा । इसका कोई जिक्र इसमें नहीं है । इसके अलावा कुछ लोगों के अपने मकान हैं जो इस स्लम एरिया में आ जाते हैं । उनके मकान जब लिये जायेंगे तो मैं चाहता हूं कि इस एरिया में प्लाट बनने पर उन लोगों को प्लाट के लिये प्रायरिटी दी जानी चाहिये । इस विधेयक को दो हिस्सों में बांट दिया गया है । इसके पहले भाग पर मुझे आपत्ति है । इसमें कहा गया है कि मलिन बस्तियों का सुधार करेंगे अगर वह इस हालत में हों कि जिनका सुधार किया जा सकता हो । माननीय मंत्री जी स्वयं जानते हैं कि मालिक आज उनका सुधार करना नहीं चाहते । म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा चालान हो कर जब उन पर मुकदमा चलता है तो वह चाहते हैं कि उन पर जुर्माना हो जाय क्योंकि जुर्माना के १० या २० रुपये देकर उनकी जान बच जाती है और सुधार करने में ४, ५ सौ रुपये खर्च हो जाते हैं । इसलिये यह काम मालिक मकान पर न छोड़ा जाय । अगर वह निश्चित समय के अन्दर सुधार न करे तो सरकार स्वयं उसमें सुधार कर दे और उसमें यह प्राविजन हो कि जिस तरह से जमींदारी का लगान वसूल किया जाता है उसी तरह से उस रुपये को सरकार वसूल कर ले । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शांतिप्रसन्न शर्मा)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का समय साढ़े पांच बजे तक बढ़ा दिया जाय ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---यह समय कैसे बढ़ायेंगे । यह तो अवैधानिक है ।

श्री अध्यक्ष---१५ मिनट का समय तो मैंने बढ़ा दिया था । अब वह १५ मिनट और समय बढ़ाना चाहते हैं ।

प्रश्न यह है कि सदन का समय १५ मिनट और बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---लेकिन यह समाप्त हो जायगा तब दूसरा लिया जायगा । दूसरे के लिये फिर समय बढ़ाना पड़ेगा ।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की प्रगति के लिये और उसके स्वास्थ्य के लिये मलिन बस्तियों का न होना आवश्यक होता है....

श्री अध्यक्ष--अगर माननीय सदस्य बोलने वाले नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि यह प्रस्ताव आज ही पास हो जाये ।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा--इस संबंध में आज तक जो भी प्रगति हमार प्रदेश में हुई है वह बहुत धीमी है । यह तो ठीक है कि हमारे पास साधन बहुत ही कम हैं, इस कारण हम उनका फैलाव बहुत अधिक नहीं कर सके हैं, किन्तु फिर भी जो कार्य कवाल टाउन्स में या नगरमहापालिकाओं में लिये गये हैं उनको हमें जल्दी समाप्त करना चाहिये ताकि फिर उनका फैलाव हम दूसरी जगह कर सकें । इन नगरों के अलावा जो और नगर हैं उनकी दशा तो बहुत ही खराब है । अभी तक उनकी ओर हमारी निगाह नहीं पहुंची है । जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अगर इसको उनके मालिकों पर ही छोड़ देते हैं तो इसमें वे बहुत देर करेंगे, इसलिये जो भी संशोधन इस समय किया जाय वह ऐसा होना चाहिये कि बजाय उसको उन पर छोड़ने के उनको कुछ दिनों का नोटिस दे दिया जाय और अगर उस समय के अन्दर वे उसको नहीं करते हैं तो फिर सरकार को उसका जिम्मा लेना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि जब आपके अधिकारी निर्माण हेतु उन बस्तियों को ले लेते हैं तो वहां के बसने वालों को उसको खाली करना होता है फिर और दूसरी जगह मकानात आदि के संबंध में उनको बड़ी परेशानी होती है । इसलिये जो लोग वहां से निकाले जाते हैं, निर्माण करने के कारण, सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये कि उनको दूसरी जगह रहने के लिये मिल जाय । अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो एक दूसरी आफत उनके सामने आ जाती है । ऐसी दशा में इस कार्य के साथ साथ आपको उनके लिये दूसरी जगह का प्रबन्ध भी करना चाहिये ।

चकबन्दी एक बड़ी तारीफ की चीज है, लेकिन उसके अधिकारी ऐसे रख दिये जाते हैं कि जो उस काम को जैसे होना चाहिये वैसे नहीं कर पाते हैं और उसमें बदनीयती से काम करते हैं, तो उससे बड़ा नुकसान होता है और वह कार्य बजाय अच्छा होने के और खराब हो जाता है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस काम के लिये जो भी अधिकारी रखे जांय अच्छे चुने हुये आदमी रखे जांय और ऐसे आदमी हों जिनकी नेक नीयती पर कोई शुबहा न हो । ऐसे ही आदमियों के हाथ में इसको देना चाहिये तब ठीक तरह से काम हो सकेगा वरना आप नेक काम करने चलेंगे और उसमें बुराई पैदा होगी ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है वह बहुत ही प्रगतिशील है, लेकिन अबतक की योजनाओं का जो असर हुआ है, कानपुर और चार बड़े नगरों में यह योजना लागू है, वाराणसी में भी कुछ कार्य किया गया है, वहां के परिणामों की रोशनी में सेलेक्ट कमेटी में इस विधेयक पर विचार होना चाहिये । गन्दी बस्तियों में लोगों से कहा जायगा कि वह अच्छे मकान बनवा लें और अगर वह नहीं बनवाते तो उसके लिये सरकार अपने हाथों में यह अधिकार लेना चाहती है कि वह उनको गिराने का आदेश दे सके । जहां तक गिराने की बात है वह तो ठीक है, लेकिन सरकार यह क्यों नहीं सोचती कि जिन गरीब आदमियों की स्थिति मकान बनवाने की न हो उनको मकान बनवा कर दे । कानपुर में साढ़े ३७ फीसदी अनुदान भारत सरकार देती है और साढ़े १२ फीसदी यह सरकार देती है तो फिर सरकार इस बात को सोचे कि उन गरीब लोगों को ७५ फीसदी अनुदान दिया जाय और २५ फीसदी ऋण दिया जाय । मान्यवर भेलूपुर में जो दुर्दशा की गई उससे मंत्रिगण भी परिचित हैं कि किस तरह से उनके मकानों को गिरा दिया गया, लेकिन उनके बसाने की कोई व्यवस्था सरकार या नगरपालिका की तरफ से नहीं की गई । नगरपालिका ने उनको सस्ता मुआवजा दिया और ज्यादा कीमत पर वह जमीन बेची । मैं चाहूंगा कि भेलूपुर की जांच सरकार करवा ले ।

कानपुर के मकानों का मंत्री जी ने जिक्र किया । मैं जानता हूं कि वहां मजदूर जाने के लिये तैयार नहीं होते । मान्यवर, वहां १२-१५ रुपये से कम भाड़ा नहीं है । इस भाड़े के मकानों में दो सौ या तीन सौ पाने वाले मध्यवर्ग के लोग ही रह सकते हैं । तो सरकार को इस

[श्री ऊदल]

पर भी विचार करना चाहिये कि इतने भाड़े में मजदूर रह भी सकते हैं या नहीं। अगर वह मकान ज्यादा दाम के बन गये हैं तो मजदूरों के रहने लायक और मकान बनवाये जायं। बम्बई में सरकार और कम्पनियों की तरफ से ६ रुपये से ज्यादा किराये की कोठरी मजदूर को नहीं मिलती।

मैं एक उदाहरण दाऊलशफा का पीछे का देना चाहता हूं। वहां के कुछ मकान इस स्कीम के अन्तर्गत आ गये थे। गतवर्ष एक भंगी के यहां बच्चा होने वाला था, लेकिन जबर्दस्ती उसके सामान को निकाल कर बाहर फेंक दिया गया और कहा गया कि तुम्हारा मकान गिराया जायगा। वे बेचारे वैसी ही हालत में जाड़े में ठिठुरते रहे। तो मेरा निवेदन है कि इन तमाम पहलुओं पर विचार करके इस विधेयक को बनाया जाय और सरकार की यह नीति होनी चाहिये कि गरीबों को मकान मिल सकें और मलिन बस्तियों का सुधार हो सके और जिनकी जमीन ली जाय उनको अच्छा मुआवजा भी मिल सके, तभी यह स्कीम कामयाब हो सकेगी।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल को प्रवर समिति में तो जाना ही चाहिये। आज हमारी सरकार को शासन की बागडोर संभाले करीब १२, १३ वर्ष हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, एक सिद्धांत की बात है और सिद्धांत की ही बात नहीं, बल्कि परम्परा है कि जब कोई व्यक्ति किसी नये भवन में पदार्पण करता है तो सबसे पहले उसकी सफाई कराता है। हमारी सरकार १२, १३ वर्ष से रह रही है इस प्रदेश में स्वतंत्र होकर-परतंत्र तो बहुत दिन रही, लेकिन इनको आज तक मलिन बस्तियों का सुधार करने की चिन्ता नहीं हुई। अब इन्हें किसी वजह से दुर्गन्ध आई और यह बिल आया।

कानपुर में एक लेक हाउस, जिसे जल-महल कहते हैं, वह तो बनवाया गया, लेकिन गन्दी बस्तियों की ओर इनका ध्यान नहीं गया। जल-महल राणा उदयपुर ने सांगा सागर में बनवाया था। इसी तरह से लखनऊ में रंगशाला का निर्माण हो रहा है। अगर उससे पहले मलिन बस्तियों का निर्माण करा दिया जाय, जो बहुत जरूरी है, तो इससे गरीब लोगों का बड़ा उद्धार हो सकता है। एक चिट्ठी अभी मैंने माननीय प्रताप सिंह जी के हाथ में देखी कि ३१ मार्च के बजाय इसकी मियाद २५ जुलाई कर दी जाय। इस मुहलत के कोई मानी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—वह १५ जुलाई है।

श्री शिवप्रसाद नागर—हां, १५ जुलाई। मेरी समझ में नहीं आता कि १५ जुलाई तक क्यों इसे बढ़ाना चाहते हैं। मलिन बस्तियों के लोगों के साथ सबसे बड़ा अन्याय तो यह होता है कि उनको उजाड़ कर धनीमानी लोगों की कोठियां वहां बनती हैं और उनके लिये कोई खयाल नहीं। मलिन बस्तियों को सुधारने की योजना जैसी बनाई जाती है अगर वैसी ही कार्यान्वित कर दी जावें तो ठीक है मगर उन्हें बदल कर गरीब लोगों की जगह बड़े बड़े लोगों के मकान वहां बन जाते हैं। गरीब लोग मलिन बस्तियों में ही जाकर बसते हैं जिससे क्षय और दूसरे रोग उन्हें घेरे रहते हैं। नैनीताल, आगरा, वाराणसी, कानपुर और लखनऊ सब जगह यही बात देखी जाती है। लेकिन आज सरकार को अकल आ तो गई। एक दफा सरकार ने जवाब दिया था कि मजदूर फलां जगह बसाये गये थे, लेकिन वे वहां जाना नहीं चाहते हैं। वह जगह शहर से इतनी दूर कर दी गई थी कि वहां आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी और उनको अपने काम पर जाने के लिये अधिक खर्च करना पड़ता था। उनको सवारी चाहिये। ऐसा न हो कि उन्हें मलिन बस्तियों के नाम से हटाकर दूर फेंक दें और यह कह दें कि यहां पर कलोनाइज करते हैं। जहां पर नौकरी करेंगे, मजदूरी करेंगे वहां से आने जाने में ज्यादा वक्त लगेगा और न वक्त पर काम पर पहुंच सकेंगे और न वक्त से घर वापस पहुंच सकेंगे। तो इस बात पर भी प्रवर समिति में विचार होना चाहिये। उनको उन बस्तियों में सुविधा अवश्य मिलती है, लेकिन मलिन बस्तियों के

सुधार के नाम से अगर शिफ्ट कर दिया गया तो सारी सुविधायें मारी जायेंगी। जहां स्वच्छता का प्रश्न है वहां उनको रोजी-रोटी का भी प्रश्न है। श्रीमन्, प्रवर समिति में यह जाय तो इस बात का भी खयाल रखा जाय कि जो घर बनवाये जायं उनमें ऐसा न हो कि उन्हें निवास स्थान से दूर फेंक दिया जाय स्वच्छता और सुधार के नाम पर। ऐसा न हो कि जहां से वह अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं, किसी मिल एरिया के या अपनी नौकरी के नजदीक हैं, वहां से इतनी दूर कर दिया जाय कि आना जाना बड़ा महंगा पड़े।

*श्री वीरसेन (जिला मेरठ)---अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस बिल की बहुत पहले से जरूरत थी और यह काफी देर में आया है। लेकिन जब भी कोई ऐसा कानून सुधार के सिलसिले में आता है तो उसका दूसरा पक्ष भी होता है और यह मुमकिन है कि ऐसे अच्छे कानून का भी नाजायज इस्तेमाल हो जाय। इसमें भी वह गुंजायश है।

इस बिल में तीन तरह के प्रावीजन किये गये हैं। पहला तो उन स्लम एरियाज के संबंध में जिनमें तीन बटे चार ऐसे मकान हों जो रहने लायक न हों, उनके बारे में यह प्राविधान है कि ऐसे मकान जो रहने लायक नहीं है उनको सुधारा जाय और मकान मालिक उन्हें सुधरवायें, लेकिन म्युनिसिपैलिटीज में अब भी यह होता है कि मकान मालिक अगर चाहता है कि पुराने किरायेदार को निकाल दे और ज्यादा किराये के लायक मकान को बना दे तो म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों को मिला करके यह एलान करा दिया जाता है कि मकान रहने लायक नहीं है, गिरा देना चाहिये और कभी-कभी म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारियों को भेज दिया जाता है और गरीब टेनेन्ट हिफाजत नहीं पाता। तो इस दुरुपयोग का डर यहां भी है और टेनेन्ट को सिर्फ मकान मालिक के लालच को पूरा करने के लिये निकाला जा सकता है।

दूसरा प्राविधान इसमें यह किया गया है कि कुछ एरियाज को क्लियरेंस एरिया डिक्लेयर कर दिया जाय। इसमें यह अधिकार दिया गया है कि जो जमीन का मालिक है वह जो पुराने मकान हैं उनको गिरा दे और नये बना दे। इसमें भी बहुत मुमकिन है कि इस अधिकार का दुरुपयोग किया जाय और जहां जमीन का मालिक समझे कि ज्यादा किराया आ सकता है वहां वह किरायेदार को निकाल दे। श्रीमन्, कुछ ऐसे भी हल्के हैं जहां सदियों से गरीब किस्म के लोग, नीची जाति के लोग रहते हैं और जमीन के मालिकों द्वारा वहां इस बात की कोशिश होती है कि उन्हें निकाल दिया जाय। मैं हापुड़ के बारे में जानता हूं जहां ऐसे एरियाज हैं, जिन्हें स्लम तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वहां उस प्रकार से लोगों को निकालने की कोशिश होती है और मुकदमें भी चलाये जाते हैं। तो उससे भी हिफाजत करने की जरूरत है।

तीसरी बात एक्वीजीशन की है। लैन्ड का एक्वीजीशन कर लिया जाय और फिर नये सिरे से डेवलप किया जाय। इसके बारे में तो यह ज्यादा मुमकिन नहीं होगा कि जमींदार नाजायज फायदा उठा सके, लेकिन जब कभी इस तरह की सफाई होती है तो गरीब आदमी की हिफाजत नहीं हो पाती। दिल्ली की मिसाल मैं देता हूं। जहां स्लम्स थे वहां ऊंचे-ऊंचे मकान और मालदार लोगों के मकान बन गये। तो गरीबों की लाश के ऊपर बड़े-बड़े महल बनाये जाते हैं।

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात पर गौर करें और इस बात की कोशिश करें कि जहां पर कहीं भी लैन्ड एक्वायर की जाय तो उन्हीं लोगों के लिये की जाय जो पहले से रहते आये हैं और अगर मुमकिन हो तो कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाकर उनके जरिये से मकान बनाये जायं तो इससे फायदा होगा और मैं चाहता हूं कि ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी इस चीज पर ध्यान दें।

श्री उग्रसेन---माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक के अन्त में लिखा हुआ है उद्देश्य और कारण में कि 'तदनुसार यह विधेयक पुनः स्थापित किया जाता है'। मुझे स्मरण नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उग्रसेन]

है कि पहले यह कब पेश हुआ था जो यह लिखा गया है कि पुनः स्थापित किया गया । इसके उद्देश्य और कारण में मंत्री जी ने माना है कि इन मलिन बस्तियों में ऐसे लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिनका जीवन बड़ा त्रस्त है और जहां हर तरह के अपराध, अनैतिकता तथा भ्रष्टाचार-का अड्डा सा बन गयी हैं । श्रीमन्, यह बड़े दुख की बात है कि जहां कहीं हिन्दुस्तान की भारतीय आत्मा रहती है वे नागरिक इस आजादी के १३ वर्षों में उसका फल नहीं भोग पाये हैं और सरकार का ध्यान तक उनकी ओर नहीं गया था उत्तर प्रदेश में और बिहार में खास तौर से ऐसी स्थिति है । बिहार में जहां खेतों के मजदूर रहते हैं उनकी बस्ती को "धोबड़ी" कहते हैं । मद्रास में ऐसी बस्तियां "चेरी" और कानपुर में "अहाते" के नाम से पुकारी जाती हैं । अहाता के मजदूरों की क्या हालत है ? मुझे वहां मजदूरों में काम करने का मौका मिला है । जैसा कि उमाशंकर जी ने बतलाया एक अहाते के एक कमरे में १४–१४ चूल्हे जलते हैं, उस समय ४–५ आदमी रहते हैं जो सबके खाने की निगरानी करते हैं । ४०–५० आदमी एक साथ एक कमरे में रहते हैं और उनकी बीमारी और दवा-दारू की हालत यह है कि अगर वह मर जायं तो कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे छूत की बीमारी फैल जाय या कुछ भी क्यों न हो । कहीं ऐसी जमीन होती है, जैसे कि नजूल लैन्ड है, म्युनिसिपैलिटी की है, वहां मजदूर झोंपड़ी बनाकर रहने लगे तो पुलिस फौरन मार-मार कर वहां से निकाल देती है । तो उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है । आज सरकार का ध्यान उधर गया है, यह प्रसन्नता की बात है ।

अगर मलिन बस्ती को हटाने के बाद उसके स्थान पर उज्ज्वल बस्ती की व्यवस्था करनी है तो ऐसा न होना चाहिये कि लेबर कालोनी में १६–१७ रुपया किराया मजदूरों के लिये रखा गया और उसमें बजाय मजदूरों के अफसरान की संख्या अधिक है, क्योंकि किराया बहुत ज्यादा हो गया है । तो अगर किसी का मकान लेकर या प्रतिकर दे कर मलिन बस्ती को उज्ज्वल बनाने की योजना है तो उसमें एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिये कि किराये पर नियंत्रण रखा जाय और वह इतना रखा जाय कि एक गरीब मजदूर उसको दे सके । बम्बई में सेक्सरिया इत्यादि की ओर से जो खोली हैं उनका किराया ५ रुपया १४ आने से अधिक नहीं है और बिजली भी है, पानी का बढ़िया इंतजाम है और फ्लश सिस्टम के लैटरीन हैं । टाटा के मजदूर, बरमा शेल के और कालटेक्स के मजदूरों के लिये बड़ी अच्छी व्यवस्था है । लेकिन कानपुर में करोड़ीमल, रामेश्वर, रामरतन गुप्त, सिंघानियां के मजदूरों के लिये जैसी व्यवस्था है उसे देखकर ऐसा लगता है कि इंसानियत नहीं रही । तो मैं कह रहा था कि किराये पर नियंत्रण होना चाहिये । साथ ही जहां तक प्रतिकर का सवाल है, जैसा उमाशंकर जी ने कहा कि ऐसा होता था कि मजदूर दूर गांव में चला जाता था तब उस जमीन के मालिक ने देखा कि जरा इसको घेर कर एक छप्पर रख दें, जब वह १२ बजे के बाद कारखाने में से निकलेगा अपनी पाली से तो मजबूरन वहां रह जायगा । मजदूर रहते-रहते रह गये और उसको फोकट में किराया मिलने लगा । इस प्रकार के बहुत से कागज पत्र मिले हैं ।

मेरा अन्त में सरकार से निवेदन है कि मलिन बस्तियों की उचित व्यवस्था की जाय । वहां पर मकान बनाये जायं और उनका किराया बहुत कम रखा जाय । इस प्रकार से इन मलिन बस्तियों को उज्ज्वल बनाया जाय । इन शब्दों के साथ मैं सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेज दिया जाय जो उसमें आधारभूत परिवर्तन करे । इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

रामप्रकाश,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१० मई, १९६१ ई० ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८६ पर)

क्र० सं०	तहसील का नाम	वन क्षेत्र जिसमें जंगल खड़े हैं		वन क्षेत्र जिसमें ऊसर भूमि हैं तथा छप्पर छाने वाली घास उगी है	
		ग्राम	क्षेत्रफल (एकड़ में)	ग्राम	क्षेत्रफल (एकड़ में)
१	२	३	४	५	६
१	बांसी	बेलहर	५४१	बोदोहर	२६७
				गोपालपुर	१०८
				दाशाहर	२३६
				सुरसाचमन जोत	४५२
				दुधौनी	१०६
				बेलहर	३२५
				करदाहा	४००
				अंवरैहिया मझरिया	१४४
				लौकी चिसरा	१.६५
				गझारा	३.८५
				बसहया	६.८०
				पिपरपाती	५.३४
				कुशाहरा	१८.६०
				भिदौरा पिकौरा	७४.६२
		५४१		२१५८.४६	

क्र० सं०	तहसील का नाम	वन क्षेत्र जिसमें जंगल खड़े हैं		वन क्षेत्र जिसमें ऊसर भूमि है तथा छप्पर छाने वाली घास उगी है	
		ग्राम	क्षेत्रफल (एकड़ में)	ग्राम	क्षेत्रफल (एकड़ में)
१	२	३	४	५	६
२	नौगढ़	रोमापार	१२१	भौमापार	१६३
		गुजरौलिया	३३८	चिलदहरा ग्रांट	१६६
		कफाला ग्रांट	१	बिरदपुर नं० १४	८६६
		कपिया बुकानिया	६३	मदारहना उर्फ खास	२० ६८
		टेकनार	४९	भदेहर ग्रान्ट	११६
		विरदपुर नं २	२१८	कोदरा ग्रान्ट	६६
		,, ३	२९३	बरगान	७९
		,, ४	४८१	धौमपुर	१०
		,, ५	३५७	बिरदपुर नं० १३	३५
		,, ६	११	गायघर	१५०
		दुलहानार्थ	१५१	पालटा देवी	११९
		दुलहा दवमीयारी	२५१	सूरजकुंडिया	५८
		दुलहा साउथ	८३	जमुहवा	५४
		दुलहा खुर्द	१७	सीतारामपुर	५०
		नेजारा स्टेट	२७	अर्लादापुर	३१
		माधोबनिया	९	बैजाहा	४
			२४६५		२०५५
बांसी और नौगढ़		कुल योग	३००६		४२१३.४६

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६४ पर)

अन्तरिम जिला परिषद्, बरेली द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण हेतु सिफारिश की गई सड़कों की प्राथमिकतानुसार सूची

	मील
१—आंवला-सिरौली	१७
२—बलिया-प्रतापपुर	६
३—बरेली-बीसलपु : वाया उमेदपुर	१६
४—फरीदपुर-बी..लपुर वाया ढकनी	१३
५—शाही-बहेड़ी	२०
६—रामपुरा-सिरौली, वाया विशारतगंज एवं अलीगंज ..	२४
७—रौछा-जहानाबाद	१०
८—हाफिजगंज-बरखेड़ा वाया कुलरिया बांध ..	१५

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९५ पर)

Copy of letter no. dated March 24, 1961 from Income-tax and Sales-tax Practitioners Association, Mathura.

It is submitted that the Incometax and Sales-tax Practitioners Association, Mathura,held its meeting on February 18, 1961 to consider over the proposed amendments in Sales Tax (Temporary) Rules, 1948. The meeting was unanimously of the opinion that the said amendments if carried out would highly jeopardise the interests of the assessees who would be deprived of cheap and immediate justice.

The Association consequently, adopted a resolution with specific objections, a copy of which is enclosed for your kind perusal and necessary action into the matter.

In case, however, it may not be possible to set aside the proposed amendments, it is submitted that 3,000 appeals are lying pending for disposal in Mathura District and 200 appeals are filed every month before the Judge Appeals, Sales-tax.

It is, therefore, requested that a separate Headquarter fo Judge Appeals Sales tax may be established at Mathura to cope with the large number of appeals.

Thanking you.

Copy of resolution adopted by the Income-tax and Sales-tax Practitioners Association in its meeting held on Februrary 18, 1951, at Mathura.

—

"Referring to the proposed draft of amendments to the Uttar Pradesh Sales-Tax (Temporary Rules), 1948,published in the Notification Miscellaneous no. ST3827/X—948(5)-60 of the Vitt (Lekha Pariksha tatha Bikrikar) Vibhag of Uttar Pradesh Shasan, dated Lucknow, February 28, 1961, this Association resolves as under :

1. It is the considered opinion of this Association that paras 3 and 4 of the amendments wherein it is proposed to make arrangements for hearing of appeals and revision applications at the respective Headquarters of the Judge (Appeals) and Judge (Revisions) or Additional Judge (Revisions) are in complete disregard of the feelings and conveniences of the vast majority of the trading public of this State.

2. This Association is vehemently opposed to such undemocratic moves of our elected Government, whose object should be to work for the people and not against them.

3. Obviously the proposed amendments would result in harrassment to our trading masses of those unfortunate districts where the Headquarters of the Judge (Appeals) are not situated.

4. The well-known principle that justice should be cheap for all concerned shall not be adhered to if the proposed amendments are carried through against the wish of the people.

5. Such a move is cleary a discriminatory treatment against the inhabitants of those districts where the Judge(Appeals),Headquarters are not located.

6. It is the belief of this Association that the proposed arrangements would cause heavy wastage of human energy, time and money, which could be usefully spend otherwise.

7. Our State Government has to learn from the Central Government whose Income Tax Department provides facility of hearing of appeals at the district headquarters and thereby it does not deprive the smallest assessee of his right to apeal.

8. If the proposed arrangement is put into force, many people would be virtually deprived of their given right to appeal as it would be costlier and beyond the capacity of a small assessee who is aggrieved by the order of a Sales-tax Officer.

9. The Association strongly feels that the proposed amendments in paras 3 and 4 as a result would crush the democratic rights of our people."

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९८ पर)

१९५२ तथा १९६० में झांसी जिले के सरकारी वनों का तहसीलवार क्षेत्रफल तथा उनका जिले के कुल क्षेत्रफल से सम्बन्धित अनुपात नीचे दिया गया है:—

सूची

जिला	तहसील		सरकारी बनों का क्षेत्रफल				
	नाम	क्षेत्रफल (एकड़ों में)	सन् १९५२ (पहली अप्रैल में)			सन् १९६० (पहली अप्रैल में)	
			कुल क्षेत्रफल (एकड़ों में)	तहसील की कुल भूमि में सरकारी वन क्षेत्र का प्रतिशत		कुल क्षेत्रफल (एकड़ों में)	तहसील की कुल भूमि में सरकारी वन क्षेत्र का प्रतिशत
१	२	३	४	५		६	७
झांसी ..	झांसी ..	२,८६,८६९	१४,०९९.८०	४.९१		२०,४६४.०४	७.१३
	मऊ ..	२,६८,००४	१०,९८४.००	४.१०		१५,३४०.०४	५.७२
	महरौनी ..	५,२५,२०४	४०,५३६.००	७.७१		६२,९५२.३९	११.९८
	ललितपुर ..	६,७७,४७७	४९,५०७.३०	७.३०		१,००,६३०.१२	१४.८६
	गरौठा ..	३,७५,२५४	२,६७४.००	०.७१		२६,१८७.७५	६.९८
	मौंठ ..	२,८८,६९१	..	०.०		१४,०४९.६६	४.८६
	योग ..	२४,२१,४९९	१,१७,८०१.१०	४.८६		२,३९,६२१.००	९.८९

० जिले का प्रतिशत।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ८५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०० पर)

सूची

क्रम-संख्या	इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी का नाम	ऋण का रुपया जो दिया गया	सूद की दर	ऋण का रुपया जो बाकी है
१	२	३	४	५
१	आगरा इलेक्ट्रिड सप्लाई कम्पनी लिमिटेड आगरा ..	१२ लाख	५ प्रतिशत	९ लाख
		६० ,,	५१४ ,,	५६ ,,
२	बनारस इलेक्ट्रिक लाइट ऐण्ड पावर कम्पनी लिमिटेड, वाराणसी ..	१० ,,	५१४ ,,	९,३३,३३३.३४
		२५ ,,	५ ,,	१७,६४,२७४.४४
		१.२५ ,,	४१/२ ,,	५८,३३३.००
		१० ,,	४१/२ ,,	७,०१,५९७.७६ (इस में असल तथा सूद दोनों शामिल हैं।)
३	पीलीभीत इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, पीलीभीत ..	४ ,,	४१/२ ,,	३,४२,८५९
४	बरेली इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, बरेली	५०,००० ,,	५ ,,	३७,५००.००
५	रोहतक ऐण्ड हिसार डिस्ट्रिक्ट्स इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड ..	८ ,,	५ ,,	५,६४,७०५.९३
६	कोसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी (राधा गोविन्द इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, कोसी कलां)	५ ,,	५ ,,	५ लाख
७	यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ (इलाहाबाद) ..	३ ,,	५ ,,	३ लाख
८	झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, झांसी	३० ,,	५१४ ,,	२८ ,,
		२ ,,	५ ,,	५७,३१३.५०
		२ ,,	५ ,,	१,००,०००